MASK-UP INDIA

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 5 पृष्ठ : 56 मार्च 2021 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण भारत के लिए बजट 2021–22

बजट में आत्मनिर्भरता और प्रत्येक नागरिक को शामिल करने की दृष्टि: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास की वास्तविकता और विश्वास की भावना है और यह भारत के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कठिन समय में यह बजट दुनिया में एक नए आत्मविश्वास का संचार करेगा। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भरता और प्रत्येक नागरिक व वर्ग को शामिल करने की दृष्टि है। श्री मोदी ने बताया कि बजट के सिद्धांतों में शामिल हैं– विकास के लिए नए अवसरों का विस्तार; युवाओं के लिए नए अवसर; मानव संसाधन को नया आयाम देना; बुनियादी ढांचा विकास और नए क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट, प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाकर आम आदमी के लिए 'जीवनयापन में आसानी' को और भी बेहतर बनाएगा। बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने बजट का आकार बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पर उचित ध्यान दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विशेषज्ञों द्वारा बजट के पारदर्शिता आयाम की सराहना की गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय बजट 2021–22 पर अपना वक्तव्य देते हुए

चाहे कोरोना महामारी हो या आत्मनिर्भरता अभियान हो, सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बजट में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण का अंश मात्र भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम सक्रियता से आगे बढ़ चुके हैं और एक अधिक सक्रिय बजट प्रस्तुत किया गया है।"

बजट द्वारा सर्वांगीण विकास पर ज़ोर देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह धन और कल्याण, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि बजट में दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर और लेह, लद्दाख की विकास जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे हमारे तटीय राज्यों को व्यावसायिक रूप से ताकतवर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बजट असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की अपार क्षमता के उपयोग में भी बहुत सहायक होगा।

श्री मोदी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर बजट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में अनुसंधान और नवाचार पर ज़ोर दिया गया है, जिससे युवाओं को मदद मिलेगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ जल और अवसरों की समानता से आम आदमी और महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसी तरह, बुनियादी ढांचे में अधिक आवंटन और प्रक्रियात्मक सुधारों से रोज़गार सृजन और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रावधान हैं। किसानों को आसान और अधिक ऋण मिलेगा। एपीएमसी और कृषि अवसंरचना कोष को मज़बूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह दिखाता है कि गांव और हमारे किसान इस बजट के केंद्र में हैं।"

- गांव और हमारे किसान इस बजट के केंद्र में हैं;
- बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा;
- बजट भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है।

श्री मोदी ने कहा कि रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के आवंटन को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट नए दशक के लिए एक मज़बूत नींव रखेगा। उन्होंने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए बधाई दी।

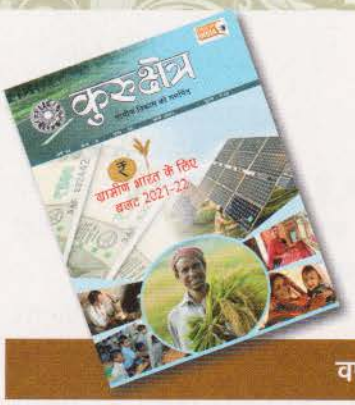

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 5 ★ पृष्ठ : 56 ★ फाल्गुन–चैत्र 1942 ★ मार्च 2021

प्रधान संपादक: राकेशरेणु

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

उत्पादन अधिकारी : के. रामालिंगम

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही पत्रिका प्राप्त न होने की शिकायत करें।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

रोज़गार, निवेश और आय बढ़ाने पर ज़ोर 5
–डॉ. नीलम पटेल, साक्षी गुप्ता और रणवीर नगाइच

स्वस्थ नागरिकों से सशक्त राष्ट्र का निर्माण 9
–उर्वशी प्रसाद

स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग को मिलेगी मज़बूती 14
–सतीश सिंह

एमएसपी और एपीएमसी पर सरकार का बुलंद संदेश 20
–भुवन भास्कर

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर 24
–डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

अवसंरचना विकास से सशक्त बनता ग्रामीण भारत 29
–अरविंद कुमार सिंह

शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा 33
–राशि शर्मा

सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि 39
–संतोष पाठक

महिलाओं और युवाओं के लिए आशा का संदेश 44
–बनश्री पी.

गैस ग्रिड : स्वच्छ ऊर्जा का टिकाऊ तंत्र 50
–अरविन्द मिश्रा

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

संपादकीय

अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनज़र बजट 2021–22 कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो यह इस दशक का पहला बजट है; साथ ही, भारत के इतिहास में पहली बार बजट 'डिजिटल' रूप में पेश किया गया है। यही नहीं,इस बजट में घोषित आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी।

कोविड–19 महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, यह बजट उसी नुकसान को कमतर करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। 2020 के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के ज़रिए भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यह बजट इसी आत्मनिर्भरता के संकल्प और विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट में आत्मनिर्भर भारत का विज़न प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा– "यह 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है।" उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, समावेशी विकास, इत्यादि का संकल्प और मज़बूत होगा।

कृषि और ग्रामीण भारत के उत्थान के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

वर्ष 2021–22 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित हैं– स्वास्थ्य एवं कल्याण; भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना; आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास; मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना; नवाचार और अनुसंधान व विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के मद्देनज़र देश को भविष्य में स्वास्थ्य आपदाओं के लिए तैयार करने के लिए इस बजट में स्वास्थ्य एवं कल्याण के हेतु आवंटन में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए तीन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है– निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण।

बजट में एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के तहत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत करने और नए संस्थानों का सृजन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी हो।

इस बजट की एक प्रमुख घोषणा 'स्वामित्व' योजना के विस्तार को लेकर है। इस योजना का अब सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया जा सके।

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित की जाएगी ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिले। साथ ही, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए 1000 और मंडियों को ई–नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपशिष्ट जलशोधन, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने पर ज़ोर दिया जाएगा। वहीं वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति लायी जाएगी।

महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। बजट में पोषण 2.0 योजना की घोषणा भी की गई है जोकि एक व्यापक योजना है जिसके दायरे में समन्वित बाल विकास सेवा, आंगनवाड़ी सेवा, पोषण अभियान,किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है।

संक्षेप में, बजट में सरकार का संदेश काफी स्पष्ट है। एक तरफ देश की अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए व्यापक कदम उठे गए हैं तो दूसरी तरफ, देश में निवेश, रोज़गार सृजन और विकास दर को बढ़ा कर देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का मज़बूत संकल्प है।

रोज़गार, निवेश और आय बढ़ाने पर ज़ोर

–डॉ. नीलम पटेल, साक्षी गुप्ता और रणवीर नगाइच

बजट 2021–22 का संदेश काफी स्पष्ट है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को फिर से मज़बूत बनाना, विकास की रफ्तार बढ़ाना और रोज़गार सृजन एवं निवेश को बढ़ावा देना है। बजट में ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र के उत्थान को लेकर एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई गई है। इस बजट से संकेत मिलते हैं कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने और अलग–अलग क्षेत्रों में काम करने को लेकर काफी सक्रिय है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

केंद्रीय बजट 2021–22 को असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है। बजट का लक्ष्य काफी स्पष्ट है। दरअसल, सरकार का संदेश पूरी तरह साफ था; अर्थव्यवस्था को फिर से मज़बूत बनाना, विकास की रफ़्तार तेज़ करना और रोज़गार पैदा करना। बजट में ग्रामीण भारत के उत्थान को लेकर प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत दिया गया है। इस बजट से संकेत मिलते हैं कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने और अलग–अलग क्षेत्रों में काम करने को लेकर काफी सक्रिय है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकेगी। वैश्विक–स्तर पर कोरोना महामारी की वजह से सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को नुकसान हुआ। साथ ही, वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई। हालांकि, इस मुश्किल दौर में भी उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही थी। पूरी अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखने को मिली। सरकार ने समय–समय पर कई उपायों के जरिए इस क्षेत्र के विकास की रफ़्तार को बनाए रखने का प्रयास किया। इन उपायों के तहत कई तरह के सुधार किए गए हैं। साथ ही, आय बढ़ाने के लिए राहत पैकेज, किसानों के लिए उचित मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की घोषणा भी की गई है।

पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। हालांकि, अगर हम बजट अनुमानों की तुलना की बात करें, तो पिछले दो साल के आंकड़ों की तुलना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि साल 2020 का दौर बेहद संकटपूर्ण रहा। बहरहाल, 2021–22 के लिए मंत्रालय का आवंटन, 2020–21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। सारणी–1 में आवंटनों को दिखाया गया है और बजट अनुमानों और पिछले साल के संशोधित अनुमानों की तुलना की गई है। जैसाकि देखा जा सकता है, कटौती की मुख्य वजह, पीएम–किसान योजना के आवंटन में की गई कटौती है।

कम आवंटन की वजह, हालिया दौर में पंजीकृत लाभार्थियों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच अंतर हो सकती है। पीएम–किसान पोर्टल पर कुल 11.62 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं, जबकि दिसंबर 2020 में किए गए भुगतान में कुल 9.44 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाया गया। औसतन, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान पीएम–किसान की तीन किस्तों का लाभ 10.04 करोड़ किसानों को

मिला, जबकि पंजीकृत किसानों की संख्या 11.62 करोड़ है। इसका मतलब है कि पंजीकृत लाभार्थियों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच 1.57 करोड़ का अंतर है। योजना के तहत, किस्त का भुगतान करने से पहले सरकारी मशीनरी को किसानों के ब्यौरे की जांच करनी चाहिए। पंजीकृत लाभार्थियों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच अंतर ही पीएम किसान के लिए कम आवंटन की वजह है। अब ज़्यादा लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जा रहा है और इसी हिसाब से आवंटन में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

निवेश को प्रोत्साहन

कृषि बजट में मुख्य ज़ोर मौजूदा आधारभूत संरचना को विकसित करने और संबंधित क्षेत्रों में कर्ज़ और निवेश की सुविधा बढ़ाने पर है। कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना की भूमिका बेहद अहम है और इसके जरिए उत्पादन में बढ़ोत्तरी की रफ़्तार तेज़ की जा सकती है। आधारभूत संरचना को विकसित करने से (खासतौर पर फार्मगेट–स्तर पर और कटाई के बाद के चरण में) अवशिष्ट की चुनौती से निपटा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी की वजह से फसलों की कटाई के बाद का नुकसान तकरीबन 15–20 प्रतिशत है। सरकार ने मई 2020 में 1 लाख करोड़ के कुल कोष के साथ कृषि आधारभूत संरचना फंड (एआईएफ) का ऐलान किया था। यह आधारभूत संरचना को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कटाई के बाद के प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश के लिए लंबी अवधि के कर्ज़ की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आगामी वित्त वर्ष के लिए आवंटन बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि तकनीक की मदद से उद्यमियों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो।

यह योजना उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्टार्टअप फर्मों के लिए पहले से उपलब्ध है। हालांकि, बजट भाषण में ऐलान किया गया है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड भी इस फंड का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने में कर सकेंगे। इससे एपीएमसी सिस्टम को मज़बूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी पता चलता है। साथ ही, ई–नाम (e-NAM) का विस्तार करने की भी घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 1,000 मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जा चुका है और 1.68 करोड़ किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए पारदर्शी कीमत प्रणाली का लाभ मिला है। अब 1,000 और मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जाएगा। इस तरह, फसलों की कीमतों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिसका फायदा किसानों को होगा। उत्पादन और उत्पादकता में कर्ज़ की सुविधा एक अहम पहलू है। कृषि क्षेत्र से जुड़े कर्ज़ वितरण के लक्ष्य में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए यह लक्ष्य 16 लाख करोड़ रुपये है। पशुपालन और मत्स्यपालन जैसे सहयोगी क्षेत्रों से मांग में बढ़ोत्तरी के जरिए इस लक्ष्य को पूरा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, इससे किसानों की आय में विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा।

सिंचाई की बेहतर प्रणाली को अपनाने के लिए, नाबार्ड के तहत बनाए गए लघु सिंचाई फंड को दोगुना कर दिया गया है। ज़्यादा बेहतर सिंचाई प्रणाली से जल–संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जल एक बेहद अहम् प्राकृतिक संसाधन है और इसका संरक्षण न सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कृषि में निवेश की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फंड (आरआईडीएफ) में 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस फंड की बजटीय राशि 10,000 करोड़ रुपये है। ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए फंड आवंटन में हुई बढ़ोत्तरी का फायदा किसानों को कई तरह से मिलेगा। कुल 37 क्षेत्रों में आरआईडीएफ फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ कृषि आधारभूत संरचना बल्कि सामाजिक आधारभूत संरचना में भी किया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन आदि।

सारणी 1: कृषि और संबंधित अन्य मंत्रालयों में बजटीय आवंटन

(करोड़ रुपये में)

	2020–21		2021–22	2020–21 की तुलना में अंतर	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1,34,400	1,16,758	1,23,018	–11,382	–6,260
कृषि शोध और शिक्षा विभाग	8,363	7,762	8,514	151	751
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	1,42,762	1,24,520	1,31,531	–11,231	–7,011
मत्स्यपालन विभाग	825	910	1,221	396	310
पशुपालन और डेयरी विभाग	3,289	2,646	3,102	–187	456
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	4,114	3,557	4,323	209	766
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,233	1,247	1,309	76	62

सारणी–2 : प्रमुख योजनाओं के तहत व्यय

	बजट अनुमान 2021–22 (करोड़ रु. में)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	16,000
किसानों के छोटी अवधि वाले कर्ज़ के ब्याज पर सब्सिडी	19,468
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)	65,000
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1,00,468
उर्वरक सब्सिडी	79,530
खाद्य सब्सिडी	2,42,836

स्रोतः केंद्रीय बजट 2021–22

प्रमुख सब्सिडी पर खर्च

कृषि क्षेत्र में जो अहम सरकारी योजनाएं हैं, उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ब्याज सबवेंशन योजना (किसानों के लिए छोटी अवधि के कर्ज़ में ब्याज पर सब्सिडी) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट 16,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में इसके लिए 15,695 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसी तरह, वित्त वर्ष 2021–22 में किसानों के लिए छोटी अवधि के कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी के लिए 19,468 करोड़ रुपये है। यह पिछले साल की बजटीय राशि 21,175 करोड़ रुपये से कम है। (सारणी–2)

खर्चों के बारे में जानकारी देने में पारदर्शिता बढ़ाने (खासतौर पर खाद्य और उर्वरक क्षेत्र में) को लेकर भी बजट की प्रशंसा की जानी चाहिए। इससे पहले, खाद्य सब्सिडी से जुड़ी बकाया रकम को बजट में नहीं दिखाया जाता था और इसे भारतीय खाद्य निगम की उधारी में शामिल किया जाता था। पिछले कई वर्षो में यह उधारी इकट्ठा होकर तीन लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई। वित्त वर्ष 2021 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,15,570 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इसी साल के संशोधित अनुमानों में इसे 3.6 गुना बढ़ाकर 4,22,618 करोड़ रुपये कर दिया गया।

इस साल भारतीय खाद्य निगम की सभी उधारी को चुकाने के फैसले के साथ ही बजट में खाद्य सब्सिडी की सही तस्वीर पेश की गई है। वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 2,42,836 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, उर्वरक सब्सिडी के मद में बकाया राशि का भुगतान करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजटीय प्रावधान 71,309 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमानों में 1.8 गुना बढ़ाकर 1,33,947 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 से हालात दुरुस्त होने की उम्मीद है। आगामी वित्त वर्ष के लिए इस मद में 79,530 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

इन दोनों सब्सिडी का बोझ काफी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब इसका प्रबंधन मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में खाद्य सब्सिडी के बढ़ते बिल की समस्या को भी दूर करने की बात कही गई है। भारतीय खाद्य निगम में चावल की लागत 37 रुपये प्रति किलो और गेहूं की लागत 27 रुपये प्रति किलो है और खाद्य सुरक्षा की प्रतिबद्धताओं के चलते इन अनाजों की आर्थिक लागत को कम करना मुश्किल है। लिहाजा, आर्थिक सर्वेक्षण में सीआईपी (सेंट्रल इश्यू प्राइज़) में संशोधन पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। एनएफएसए, मध्याह्न भोजन योजना और समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की सीआईपी क्रमशः 3.2 रुपये प्रति किलो और एक रुपये प्रति किलो तय की गई है। एनएफएसए 2013 की शुरुआत के बाद से सीआईपी में बदलाव नहीं हुआ है।

उर्वरक पर भारी सब्सिडी की वजह से कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। एक तरफ जहां सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ रहा है, वहीं उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। बड़े पैमाने पर सब्सिडी की वजह से यूरिया का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और खाद के इस्तेमाल में अंसतुलन देखने को मिल रहा है। इस असंतुलन की वजह से फसलों के प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है। यूरिया को पोषण–आधारित सब्सिडी के दायरे में लाकर और प्रति हेक्टेयर के आधार पर यूरिया और अन्य खाद के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा शुरू कर इस समस्या से निपटा जा सकता है।

"सरकार ने बजट के जरिए सरकारी खरीद की प्रणाली यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। वित्तमंत्री ने समर्थन मूल्य के ज़रिए हासिल उपलब्धियों के बारे में ऐलान कर एमएसपी पर खरीद को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमुखता से पेश करने की कोशिश की है।"

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा

सरकार ने बजट के जरिए सरकारी खरीद की प्रणाली यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। वित्तमंत्री ने समर्थन मूल्य के जरिए हासिल उपलब्धियों के बारे में ऐलान कर एमएसपी पर खरीद को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमुखता से पेश करने की कोशिश की है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान गेहूं के मामले में एमएसपी के लाभार्थी किसानों की संख्या 35.57 लाख थी, जो 2020–21 में बढ़कर 43.36 लाख हो गई। इसी तरह, वित्त वर्ष 2019–20 में चावल के लिए एमएसपी का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1.24 करोड़ थी, जो 2020–21 में बढ़कर 1.54 करोड़ हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संबंधी नियमों में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। एमएसपी के दायरे में आने वाली सभी 23 कमोडिटी के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना

"खर्चों के बारे में जानकारी देने में पारदर्शिता बढ़ाने (खासतौर पर खाद्य और उर्वरक क्षेत्र में) को लेकर भी बजट की प्रशंसा की जानी चाहिए। इससे पहले, खाद्य सब्सिडी से जुड़ी बकाया रकम को बजट में नहीं दिखाया जाता था और इसे भारतीय खाद्य निगम की उधारी में शामिल किया जाता था।"

हो। कीमतों की गारंटी की इस व्यवस्था की वजह से वित्त वर्ष 2019–20 में चावल उत्पादकों को 21 लाख करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित हो सकी। एमएसपी की व्यवस्था न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मददगार रही, बल्कि इससे पर्याप्त खाद्य भंडार का लक्ष्य हासिल किया जा सका। 1960 के दशक से ही एमएसपी की व्यवस्था कृषि क्षेत्र का अहम हिस्सा रही है। एपीएमसी मंडियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बजट में जरूरी प्रावधान किए हैं। साथ ही, एमएसपी को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई गई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश में सरकारी एपीएमसी मंडियों को खत्म करने के बारे में चल रही अफवाहों पर विराम लग जाएगा।

अन्य अहम घोषणाएं

किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान में विविधीकरण का फॉर्मूला काफी अहम है। उत्पादन क्लस्टर और एफपीओ को मज़बूत बनाने, उन्हें कृषि बाज़ारों से जोड़ने, फसलों का नुकसान कम करने के लिए कटाई के बाद की कृषि आधारभूत संरचना में निवेश और खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं में बढ़ोत्तरी के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है। शुरू में इस योजना के दायरे में टमाटर, प्याज और आलू को शामिल किया गया था। अब इस योजना के दायरे में जल्दी खराब होने वाली 22 और कमोडिटी को शामिल किया गया है। इससे फसलों के विविधीकरण को और बढ़ावा मिलेगा।

किसानों की आय बढ़ाने में मत्स्यपालन क्षेत्र भी काफी अहम भूमिका निभा सकता है। नीली अर्थव्यवस्था (खासतौर पर मात्स्यिकी बंदरगाह और दूसरी जगहों पर मौजूद मत्स्य पालन केंद्र) को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की बात कही गई है। पांच प्रमुख मात्स्यिकी बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इनमें कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआघाट के बंदरगाह शामिल हैं। मत्स्यपालन विभाग के लिए बजटीय आवंटन में 48 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। वित्त वर्ष 2020–21 में इससे जुड़ा बजटीय अनुमान 825 करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में यह आंकड़ा बढ़कर 1220.84 करोड़ रुपये हो गया (देखें सारणी–1)। मत्स्यपालन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फोकस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) पर है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह रकम मत्स्यपालन विभाग को आवंटित कुल रकम का 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

बजट में एक और अहम ऐलान 'स्वामित्व' योजना को लेकर किया गया। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसका मकसद नई और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर ग्रामीण इलाकों में रिहायशी ज़मीन के मालिकाना हक का गैर–विवादास्पद रिकॉर्ड तैयार करना है। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कर दिया गया है। इस योजना को चार साल (2020–2024) में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसे देश के कुल 6.62 लाख गांवों में लागू किया जाएगा। इससे किसानों को ज़मीन के मालिकाना हक का गैर–विवादास्पद रिकॉर्ड मिल सकेगा, उन्हें कर्ज़ मिलना आसान होगा और ज़मीन विवाद और इससे संबंधित मुकदमों के मामले कम होंगे। बजट में कृषि आधारभूत संरचना और विकास उपकर (सेस) लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस उपकर के जरिए अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। यह उपकर सोना, चांदी, शराब, कोयला, कपास आदि आइटम पर लगाया जाएगा और इसी अनुपात में बुनियादी सीमा शुल्क में भी कटौती की जाएगी। इसके अलावा, पेट्रोल और डीज़ल पर भी क्रमशः 2.5 रुपये और 4 रुपये प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया जाएगा और इतनी रकम की कटौती उत्पाद शुल्क में की जाएगी। यह ऐलान उपभोक्ताओं और किसानों, दोनों के लिए फायदेमंद जान पड़ता है। इससे उपभोक्ताओं पर वास्तविक रूप से कोई असर नहीं होगा और कृषि आधारभूत संरचना में निवेश के लिए फंड भी जुटाए जा सकेंगे।

सरकार ने बजट 2021–22 में कृषि क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दिखाया है। साल 2020 में अहम सुधारों के ऐलान के बाद यह बजट इन सुधारों के आधार पर तैयार किया गया है। कृषि आधारभूत संरचना फंड के जरिए फार्मगेट और अन्य सुविधाओं के लिए निवेश उपलब्ध होगा। बजट में एपीएमसी मंडियों को कृषि आधारभूत संरचना फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। यह एमएसपी और एपीएमसी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। जल्दी नष्ट होने वाली 22 कमोडिटी को ऑपरेशन ग्रीन के दायरे में शामिल करके विविधीकरण को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। मत्स्यपालन की दिशा में भी कई उपाय किए गए हैं। खाद्य सब्सिडी के प्रावधानों को ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है।

कुल मिलाकर, बजट का संदेश काफी स्पष्ट है। इसका मकसद निवेश, वृद्धि दर और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है। पूंजीगत खर्चों में 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है और सड़कों और रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। आधारभूत संरचना का विकास कई स्तरों पर प्रभाव छोड़ता है और बेहतर जुड़ाव (कनेक्टिविटी) के लिए भी गुंजाइश बनती है। सड़क परिवहन और रेलवे के लिए रिकॉर्ड–स्तर पर पूंजीगत खर्च का प्रस्ताव है और इससे संपर्क और जुड़ाव बेहतर होगा, जिसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। कृषि बाज़ारों की दूरी कम होगी और इस तरह बाजार की उपलब्धता की राह आसान हो सकेगी।

(डॉ. नीलम पटेल नीति आयोग में सीनियर एडवाइज़र, कृषि हैं; साक्षी गुप्ता और रणवीर नगाइच नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : neelam.patel@gov.in

स्वस्थ नागरिकों से सशक्त राष्ट्र का निर्माण

–उर्वशी प्रसाद

स्वास्थ्य क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के एजेंडे में एक प्रमुख स्थान हासिल किया है जिससे सुधारों और पहलों की एक शृंखला क्रियान्वित हुई है। केंद्रीय बजट 2021–22 में स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आवंटन 94,452 करोड़ रुपये से (2020–21 बजट अनुमान) बढ़ा कर 2,23,846 करोड़ रुपये किया गया है जो 137 प्रतिशत की वृद्धि है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण साधन है फिर भी कार्रवाई का एक बड़ा भाग यानी स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों की है।

केंद्रीय बजट 2021–22 में स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आवंटन 94,452 करोड़ रुपये से (2020–21 बजट अनुमान) बढ़ा कर 2,23,846 करोड़ रुपये किया गया है जो 137 प्रतिशत की वृद्धि है। यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य में निवेश दुरुस्त आर्थिक समझ का द्योतक है। यह जीवन की रक्षा करता है, कल्याणकारी होता है और सुख–सामर्थ्य बढ़ाता है, उत्पादकता में वृद्धि करता है और रोज़गार पैदा करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के एजेंडे में एक प्रमुख स्थान हासिल किया है जिससे सुधारों और पहलों की एक शृंखला क्रियान्वित हुई है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण साधन है फिर भी कार्रवाई का एक बड़ा भाग यानी स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों की है।

इस वर्ष के केंद्रीय बजट को ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत किया गया, जब कोविड–19 महामारी से विश्वभर में जीवन और आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित थी। यह उल्लेखनीय है कि बड़ी आबादी और उच्च जनसंख्या घनत्व के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण के पुष्ट मामले और उससे होने वाली मृत्यु के आंकड़े दुनिया में सबसे कम में शामिल हैं। महामारी संक्रमण के 12 महीने से अधिक के समय में एक फरवरी, 2021 तक भारत में लगभग 1.09 करोड़ कोविड के मामले आए और 155,653 लोगों ने जान गंवाई। इसके विपरीत यूरोप (74 करोड़) और उत्तरी अमेरिका (58 करोड़) की संयुक्त आबादी जो लगभग भारत के समान है, में 6.4 करोड़ कोविड मामले आए हैं और मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली होने के बावजूद लगभग 15 लाख मौतें हुई हैं। सितंबर 2020 से भारत के सक्रिय कोविड केस लोड में लगातार गिरावट आई है और 13 फरवरी, 2021 तक भारत में लगभग 1.35 लाख सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा, सितंबर 2020 में कोविड से प्रतिदिन होने वाली लगभग 1,000 मौतों का आंकड़ा वर्तमान में घटकर 85 हो गया है। भारत ने अब एक महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया है जिसमें अधिक असुरक्षित वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब तक स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मियों को 70 लाख डोज़ दिए जा चुके हैं।

बजट 2021–22 की घोषणाओं को भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेजों के परिदृश्य में देखा जाना चाहिए जिसके एक भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाए जा रहे हैं। 53 थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आरंभिक सामग्रियों, ड्रग इंटरमीडियरीज़ (डीआई) और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव

(पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा, स्वदेशी विनिर्माण की लागत को कम करने के लिए बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइज़ पार्क को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा की गई है। स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोविड सुरक्षा मिशन (वित्तीय परिव्यय 900 करोड़ रुपये) भी शुरू किया गया था। अब तक 92 देश कोविड–19 वैक्सीन के लिए भारत से संपर्क कर चुके हैं। भारत सरकार ने कोविड संकट के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी शुरू किया। लगभग 17 राज्य पहले से ही लाभार्थियों विशेष रूप से 13 करोड़ प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देशभर में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज पाने के लिए 'एक राष्ट्र एक कार्ड' योजना लागू कर चुके हैं।

केंद्रीय बजट 2021–22 में स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आवंटन 94,452 करोड़ रुपये से (2020–21 बजट अनुमान) बढ़ा कर 2,23,846 करोड़ रुपये किया गया है जो 137 प्रतिशत की वृद्धि है। यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य में निवेश दुरुस्त आर्थिक समझ का द्योतक है। यह जीवन की रक्षा करता है, कल्याणकारी होता है और सुख–सामर्थ्य बढ़ाता है, उत्पादकता में वृद्धि करता है और रोज़गार पैदा करता है।

ऐतिहासिक रूप से भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त की बहुत कम मात्रा खर्च की है। वास्तव में समान–स्तर का कर राजस्व प्राप्त करने वाले देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय भी असंगत रूप से बहुत कम हुआ है। कुल स्वास्थ्य व्यय का केवल 30 प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत निजी व्यय है। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक व्यय[1] स्वास्थ्य पर कुल व्यय का औसतन 60.1 प्रतिशत है।

चित्र 1: स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र– व्यय (करोड़ रुपये में)

मंत्रालय / विभाग	2019–20 वास्तविक	2020–21 बजट अनुमान	2021–22 बजट अनुमान
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	62,397	65,012	71,269
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,934	2,100	2,663
आयुष मंत्रालय	1,784	2,122	2,970
कोविड संबंधित विशेष प्रावधान			
टीकाकरण			35,000
पेयजल और स्वच्छता विभाग	18,264	21,518	60,030
पोषण	1,880	3,700	2,700
वित्त आयोग अनुदान			
जल और स्वच्छता			36,022
स्वास्थ्य			13,192
कुल योग	86,259	94,452	2,23,846

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डाटाबेस, 2016 (डाटा वर्ष 2014)

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यय पिछले दो दशकों में लगभग एक प्रतिशत पर स्थिर है। जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है सरकार (केंद्र और राज्य) का स्वास्थ्य पर खर्च जो 2014–15 में जीडीपी का 1.2 प्रतिशत था, बढ़कर केवल 1.8 प्रतिशत (2020–21 बजट अनुमान) हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2024–25 तक सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5 प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है जिसे प्राप्त करने के लिए वित्त आयोग का अनुमान है कि 2021–22 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य बजट सकल घरेलू उत्पाद का 0.34 प्रतिशत की बजाय 0.68 प्रतिशत होना चाहिए। बेशक यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य पर सरकार के खर्च को जुटाने के लिए राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के वर्ष 2015–16 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का हिस्सा 35.6 प्रतिशत था जबकि राज्य सरकारों का हिस्सा 64.4 प्रतिशत था।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा बजट 2021 में छह साल की अवधि में 64,180 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई। इस योजना का लक्ष्य हर स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना है– प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य में पूंजीगत व्यय का निवेश करना है। यह सार्वजनिक–निजी भागीदारियों के अवसर भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा, जैसा विशेषज्ञों ने सुझाया है, इस योजना का उद्देश्य रोग निगरानी तंत्र को मज़बूत करना है ताकि देश को भविष्य में रोगों के प्रकोप का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। इसके तहत प्रस्तावित कुछ उल्लेखनीय पहलों में शामिल हैं–4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 2 मोबाइल अस्पताल और एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की स्थापना। इस योजना के भाग के रूप में 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी और 33 मौजूदा इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। सभी जन–स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को विस्तारित एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को सुदृढ़ करने की भी योजना बनाई गई है जिसमें इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाएं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयां शामिल हैं। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कवरेज का विस्तार करने के लिए क्रमशः 17788 और 11024 स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में

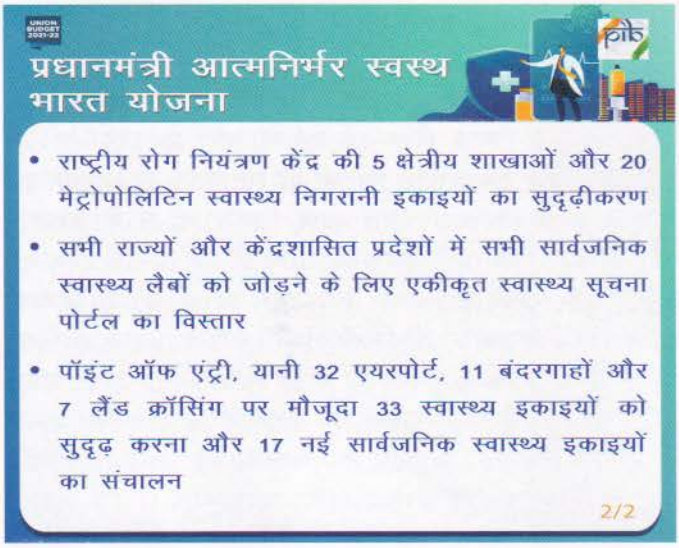

स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 602 ज़िलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।

आयुष्मान भारत– स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

किसी भी सार्वभौमिक कवरेज प्रणाली के मूल में एक समान और समय पर प्राथमिक देखभाल का प्रावधान होता है। एक मरीज़ के लिए, प्राथमिक देखभाल अक्सर स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। इस स्तर पर आनुवांशिक, पर्यावरण और व्यवहार सहित कई कारकों से उपजी व्यापक अनिश्चितता होती है। यह भी सच है कि अधिकांश बीमारियों को अधिक जटिल, इलाज में कठिन और महंगी बीमारियों में बदलने की दशा से पहले ही प्राथमिक देखभाल के स्तर पर निपटाया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत में प्राथमिक देखभाल काफी हद तक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के साथ–साथ संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। हालांकि प्राथमिक देखभाल प्रणाली में सेवाओं का एक बहुत व्यापक पैकेज शामिल होना चाहिए।

इसलिए 2018 और 2022 के बीच चरणबद्ध तरीके से 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की सहायता से लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणाली की स्थापना आयुष्मान भारत का एक प्रमुख स्तंभ है। 1 फरवरी, 2021 तक 1,04,860 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंज़ूरी दी गई थी और 57,747 चालू हो गए थे[2]। इनमें 28,320 एसएचसी–एचडब्ल्यूसी, 18,972 पीएचसी– एचडब्ल्यूसी और 3,635 यू पीएचसी– एचडब्ल्यूसी शामिल हैं। ये केंद्र प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, गैर–संक्रामक रोग (उच्च रक्तचाप, मधुमेह के साथ–साथ मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगे। इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और उनमें मानसिक स्वास्थ्य, नेत्र विज्ञान, मुख स्वास्थ्य, ज़राचिकित्सा और उपशामक देखभाल, अभिघात देखभाल के साथ–साथ स्वास्थ्यवर्धन और योग जैसी स्वास्थ्य देखरेख गतिविधियां शामिल होंगी। इन केंद्रों पर दवाएं और नैदानिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, सामुदायिक–स्तर पर स्वास्थ्य रिकार्डों का डिजिटलीकरण करने और उन्हें ज़िला अस्पतालों से जोड़ने पर ज़ोर दिया जाता है।

1 फरवरी, 2021 तक एचडब्ल्यूसी में मुख कैंसर के लिए 3.27 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, 1.21 करोड़ महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई और 1.78 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्तन कैंसर के लिए जांचा गया। इसके अलावा, उच्च रक्तचाप के लिए 6,53,28,182 लाभार्थियों की जांच की गई और मधुमेह के लिए 5,32,12,517 लाभार्थियों की जांच की गई। 1 दिसंबर, 2020 तक देश में कार्यरत एचडब्ल्यूसी में 33,07,951 योग और स्वास्थ्य देखभाल सत्र आयोजित किए गए थे। कोविड–19 संक्रमण के बाद, 23,817 एचडब्ल्यूसी ने टेली–परामर्श शुरू किए हैं और अब तक 87,85,928 रोगियों ने टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाया है।

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ–साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत एचडब्ल्यूसी के निरंतर विस्तार और मज़बूती के लिए धन आवंटित किया है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई)

हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली चाहे कितनी प्रभावी क्यों न हो, इसके बावजूद लोगों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की आवश्यकता बनी रहेगी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दूसरे स्तंभ पीएम–जेएई जैसी योजना के अभाव में गरीब मरीज़ों को अक्सर देरी से उपचार करवाने या उपचार बिलकुल न करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वास्तव में यह अनुमान है कि भारत में लगभग 6 करोड़ लोग उपचार पर होने वाले आकस्मिक व्यय के कारण गरीबी–रेखा से नीचे आ जाते हैं।

पीएम–जेएवाई अस्पताल–संबंधी खर्चों के लिए 5 लाख रुपये के वार्षिक स्वास्थ्य कवर के साथ सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर परिवारों को लगभग 10.74 करोड़ रुपये प्रदान करके इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। पीएम–जेएवाई के तहत कई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को समेकित करके सरकार ने 'वन नेशन वन स्कीम' की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है जिससे अंततः

चित्र 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय

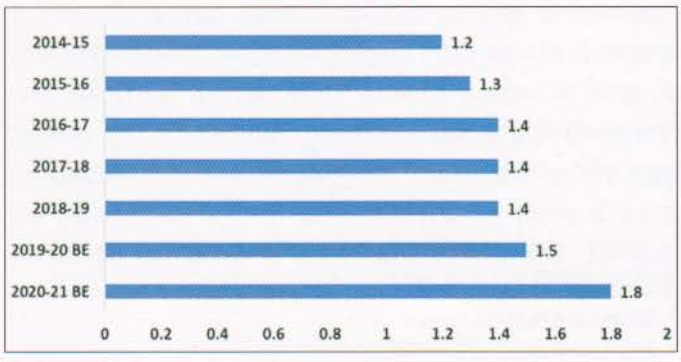

2 स्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

UNION BUDGET 2021-22

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

- 2021–2026 तक पांच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आबंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा

- इस योजना के तहत मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. संपूर्ण मल स्लज प्रबंधन और गंदे जल का संशोधन
2. स्रोत में ही कचरे को अलग–अलग कर देना
3. सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाना
4. निर्माण और ढहाने की गतिविधियों से उत्पन्न मलबे के प्रबंधन से वायू प्रदूषण में कमी लाना
5. बड़े–बड़े कचरा स्थलों का बायो–रिमेडिएशन

यह सुनिश्चित हुआ है कि सभी नागरिक देश में कहीं भी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के समान पैकेज का लाभ उठा सकते हैं चाहे वे किसी राज्य में निवास करें।

वर्तमान में 33 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पीएम–जेएवाई को लागू कर रहे हैं। 12 फरवरी, 2021 तक योजना के तहत 13.73 करोड़ से अधिक ई–कार्ड जारी किए गए थे और 1.6 करोड़ से अधिक रोगियों की अस्पताल में भर्तियां कवर की गई हैं[3]। लाभार्थी सत्यापन का अधिकांश कार्य आधार के माध्यम से किया गया है। इस योजना के तहत 24,269 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं। यह उत्साहजनक है क्योंकि देश की सबसे गरीब 40 प्रतिशत आबादी के लिए निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर आने वाले खर्च को वहन करना मुश्किल था जबकि इनमें अस्पताल के बेड का 80 प्रतिशत से अधिक मौजूद है। पीएम–जेएवाई और सरकारी पहलों के कारण भुगतान सामर्थ्य के काफी बढ़ने के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में निजी चिकित्सा केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी तदनुरूप सुधार आना चाहिए। हालांकि साथ ही, पीएम–जेएवाई सार्वजनिक अस्पतालों के उपयोग–स्तर और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2021–22 में पीएम–जेएवाई के लिए आवंटन पिछले वर्ष के बजटीय आवंटन के समान स्तर पर है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पीएम–जेएवाई के आरम्भ के बाद थोड़े समय के भीतर ही स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है[4]। जिन राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है उन राज्यों में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसकी तुलना में जिन राज्यों ने पीएम–जेएवाई लागू नहीं किया था, उनमें स्वास्थ्य बीमा की पैठ में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2015–16 और 2019–20 के बीच उन राज्यों में शिशु मृत्यु दर में 12 प्रतिशत की गिरावट आई जिसने पीएम–जेएवाई को नहीं अपनाया और उन राज्यों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई, जिन्होंने इसे अपनाया। इसी प्रकार, जिन राज्यों ने पीएम–जेएई को नहीं अपनाया, उनमें 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के शिशुओं की मृत्यु दर में 14 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि जिन राज्यों ने इस योजना को लागू किया, उन राज्यों में 19 प्रतिशत की गिरावट आई। इसलिए राज्यों की प्रशासन व अवशोषण क्षमता बढ़ने के साथ इस योजना को जारी रखना और इसकी कवरेज बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

आयुष

स्वच्छ भारत के बाद सही पोषण, जीवनशैली और योग के बारे में जागरूकता के माध्यम से स्वस्थ भारत को एक जन–आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा विशेष रूप से आयुर्वेद और योग का एक समृद्ध इतिहास रहा है, हालांकि आयुष को आज़ादी के बाद वांछित मान्यता नहीं मिली है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आयुष को औपचारिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस प्रयास किए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थानीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2017 ने भी आयुष को मुख्यधारा में शामिल करने की सलाह दी है।

यह देखते हुए कि भारत बीमारी के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है (कुछ अनुमानों के अनुसार 4 में से 1 भारतीय 70 साल की उम्र तक गैर–संक्रामक रोग के कारण जान गंवा सकता है), आधुनिक चिकित्सा अकेले समाधान नहीं दे सकती है। हाल के वर्षों में आयुर्वेद और योग समग्र स्वास्थ्य कल्याण प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुए हैं। एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व के साथ–साथ रसायनों की प्रचुरता वाले उत्पादों से दूर जाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी ने निवारक स्वास्थ्य और देखरेख की ओर बढ़ने को प्रेरित किया है। तनाव कम करने के साथ–साथ पुरानी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में आयुर्वेद और योग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बजट अनुमान 2020–21 की तुलना में बजट अनुमान 2021–22 में आयुष मंत्रालय का आवंटन 40 प्रतिशत बढ़ाकर केंद्र सरकार ने बीमारियों के इलाज के अलावा नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आयुष का लाभ उठाने के संकेत दिए हैं।

पोषण, पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ वायु

स्वास्थ्य क्षेत्र में कई पहलों के अलावा, बजट 2021–22 में विभिन्न कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो प्रत्यक्ष या

3. https://www.pmjay.gov.in
4. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.asp(PRID)1693217

अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य परिणामों पर प्रभाव डालते हैं जैसे पोषण, पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ हवा।

भारत में पोषण की कमी, बच्चों के विकास में कमी, (स्टंटिंग) और एनीमिया की गंभीर समस्या है। जबकि इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं; फिर भी, कुपोषण का संकट बना हुआ है। इस चुनौती का सामना करने के लिए 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था जिससे एक उपयुक्त प्रशासन व्यवस्था मिल सके जो किसी व्यक्ति या घर के पोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाले कई अतिव्यापी कारकों को दर्शाने में सक्षम हो। केंद्रीय बजट 2021–22 में मिशन पोषण 2.0 को पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों की पोषण सामग्री, वितरण, पहुंच और परिणाम को मज़बूत बनाना है। 112 आकांक्षी ज़िलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए एक गहन कार्यनीति भी अपनाई जाएगी।

केंद्र सरकार पोषण के क्षेत्र में कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है जिन्हें राज्यों के साथ साझेदारी में और मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। इनमें पोषण अभियान, समन्वित बाल विकास योजना, एनीमिया–मुक्त भारत, बच्चों के लिए गृह–आधारित देखभाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ–साथ रोटा वायरस और न्यूमोकोकल संयुग्मन (कॉन्जुगेट) वैक्सीन शामिल हैं।

स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल आवश्यक है जैसेकि उपयुक्त सीवेज निपटान के साथ स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच ज़रूरी है। अच्छी स्वच्छता आदतों के साथ जुड़े ये दो तत्व रुग्णता और मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारत ने अपने नागरिकों के लिए पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफी प्रगति की है, फिर भी चुनौतियां अभी शेष हैं।

फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की अत्यंत उच्च मात्रा के कारण कई क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता समस्याग्रस्त है। वायरस और बैक्टीरिया से सम्बंधित संदूषण का मुद्दा भी मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति 'जलस्तर में गिरावट' से और अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि यहां जल के प्रमुख स्रोत नलकूप और हैंडपंप हैं। इसके अलावा, पर्याप्त सीवेज निपटान के अभाव में जलस्रोत दूषित हो जाते हैं। शहरी भारत समीपवर्ती जल निकायों या उपसतह जल पर काफी हद तक निर्भर करता है। कुछ घरों में भूजल जलीय चट्टानी परतों पर निर्भर है जो कई शहरों में प्रदूषित हैं। वास्तव में, अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप भूजल की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मानसून में बाढ़ के साथ–साथ सीवेज और पेयजल के स्रोतों के मिलने के कारण जल की गुणवत्ता बिगड़ जाती है।

पेयजल और स्वच्छता तक वांछित पहुंच न होने और साथ ही अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को सीमित रूप से अपनाने के परिणामस्वरूप जल–जनित रोग भारत में व्याधियों और बच्चों की

"पीएम–जेएवाई के तहत कई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को समेकित करके सरकार ने 'वन नेशन वन स्कीम' की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी नागरिक देश में कहीं भी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के समान पैकेज का लाभ उठा सकते हैं चाहे वे किसी राज्य में निवास करें।"

मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि 21 प्रतिशत संक्रामक रोग जलजनित हैं। नवजात शिशुओं की जटिलताओं, निमोनिया और सेप्सिस के अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया के कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं । पर्याप्त रूप से सक्षम और उपयुक्त रखरखाव वाले जल उपचार विकल्पों की अनुपलब्धता और धातु संदूषण भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए जल में 10 से 40 भाग प्रति अरब के बीच आर्सेनिक के स्तर को हृदय रोग, फेफड़े की कार्यक्षमता घटाने, त्वचा के घावों जैसे मेलेनोसिस और कैंसर से जोड़ा गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपये का आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन के तहत 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 500 अमृत (अटल मिशन ऑफ़ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन) शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान से हासिल लाभों को बनाए रखने के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मिशन के तहत प्रस्तावित प्रमुख पहलों में संपूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार; कचरे का स्रोत पर पृथक्करण; एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी; निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के साथ–साथ सभी विरासत डंपसाइटों का बायोरिमेडिएशन शामिल है। भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए बजट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के एजेंडे में एक प्रमुख स्थान हासिल किया है जिससे सुधारों और पहलों की एक शृंखला क्रियान्वित हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण साधन है, फिर भी कार्रवाई का एक बड़ा भाग यानी स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों की है। इस प्रकार अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि के साथ–साथ बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाने हैं तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

(लेखिका नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं।
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)
ई–मेल : urvashi.prasad@nic.in

स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग को मिलेगी मज़बूती

–सतीश सिंह

वित्त वर्ष 2021–22 का बजट सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पेश किए गए बजट पर रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने का दारोमदार है। इसलिए बजट में कई सुधारात्मक प्रावधान किए गए हैं। स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए बजट में किए गए उपाय इस दिशा में अग्रसर कदम हैं।

कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बजट में संजीवनी की ज़रूरत थी, ताकि वह कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभावों से जल्द से जल्द उबर सके। कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस–नहस कर दिया है। सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पर्यटन, होटल, निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) आदि पर पड़ा है। बड़ी संख्या में आम जन और कारोबारी बेरोज़गार हो गए हैं। इन कारणों से वित्त वर्ष 2021–22 का बजट सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पेश किए गए बजट पर रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने का दारोमदार है। इसलिए, बजट में कई सुधारात्मक प्रावधान किए गए हैं। स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए बजट में किए गए उपाय इस दिशा में अग्रसर कदम हैं।

रोज़गार सृजन और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में स्टार्टअप और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। स्टार्टअप और उद्यमिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि, दोनों के बीच एक बड़ा अंतर भी है। स्टार्टअप सभी क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उद्यमिता शुरू करने की संभावना सभी क्षेत्रों में है अर्थात् उद्यमी स्टार्टअप के ज़रिए या दूसरे माध्यम से किसी भी क्षेत्र में स्वरोज़गार शुरू कर सकते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसलिए बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, चूंकि बैंकिंग क्षेत्र के मज़बूत बनने से अर्थव्यवस्था स्वतः ही मज़बूत हो जाएगी। इसी वजह से पिछले सालों में केंद्र सरकार ने विनियामक शर्तों के अनुपालन हेतु एवं आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए सरकारी बैंकों को विविध माध्यमों से लगभग 3,50,000 करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया कराई है। इस क्रम में सरकार ने 10 बैंकों का विलय करके चार बैंकों के गठन को

भी मंजूरी दी है। अर्थव्यवस्था के दूसरे मानक जैसे, उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के विकास व संवर्धन के लिए भी वित्त वर्ष 2020–21 के बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

स्टार्टअप

हमारे देश में एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जिनमें कई हुनरमंद हैं, लेकिन अर्थाभाव एवं जानकारी के अभाव में वे बेरोज़गार हैं। इसलिए देश में स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद युवाओं को रोज़गार मुहैया कराना और रोज़गार सृजन के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत युवाओं को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का फायदा लेने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की आधिकारिक वेबसाइट या एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें उन लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है, जिनका कारोबार 7 या 10 वर्षों में 25 करोड़ से कम रहा है या फिर आवेदक नया उद्यमी है। नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। साथ ही, कारोबार शुरू करने से पहले उद्यमी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नए कारोबारी से कारोबार लागत की 20 प्रतिशत राशि पर कर नहीं वसूल किया जाता है। साथ ही, अगर नया कारोबार सही से नहीं चलता है तो सरकार नए कारोबारियों को 90 दिनों के अंदर अपने कारोबार को बंद करने की भी छूट देती है।

आज स्टार्टअप स्वरोज़गार शुरू करने और दूसरों को रोज़गार मुहैया कराने का एक महत्वपूर्ण ज़रिया बना हुआ है। स्टार्टअप की मदद से बड़ी संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से अगर लोग आत्मनिर्भर होंगे तो देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना आसान होगा। स्टार्टअप के महत्व को समझकर ही वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में टैक्स हॉलिडे की मौजूदा सुविधा को एक साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका यह अर्थ हुआ कि स्टार्टअप को 31 मार्च, 2022 तक कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, स्टार्टअप को दिए गए कैपिटल गेन्स की छूट को भी एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

बजट में स्टार्टअप के लिए 830 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार एकल व्यक्ति वाली कंपनियों (ओपीसी) के गठन को भी प्रोत्साहन देगी। इसके तहत किसी भी समय किसी भी श्रेणी की कंपनी के रूप में बदलाव करने, एक भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी बनाने में निवास की समय–सीमा को 182 दिन से घटाकर 120 दिन करने तथा अनिवासी भारतीयों को देश में ओपीसी बनाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व में कंपनी की श्रेणी में बदलाव के लिए 2 वर्ष की समय–सीमा की व्यवस्था थी। स्टार्टअप कंपनियों को अब पेडअप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के बढ़ोत्तरी करने की भी छूट दी जाएगी। पहले ऐसी स्टार्टअप कंपनियों का पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपये और सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये होना चाहिए था।

"देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमती सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए कर छूट का दावा करने की समय–सीमा एक वर्ष और यानी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्टार्टअप्स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्त करने के लिए समय–सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है।"

सरकार ने नए स्टार्टअप को शुरू और विकसित करने में मदद करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये स्टार्टअप को दिए हैं, जिसे 'सीड' फंड का नाम दिया गया है। इसकी मदद से नए कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आम जन के जीवन में बेहतरी लाने और स्टार्टअप की राह में पूंजी की कमी बाधा नहीं बने, इसके लिए इस फंड की घोषणा की गई है, क्योंकि मौजूदा समय में अनेक स्टार्टअप पूंजी की कमी की वजह से अपने सफर के शुरुआत में ही दम तोड़ दे रहे हैं। बजट में स्टार्टअप के लिए किए गए प्रावधान 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

स्टार्टअप को वित्तीय सहायता

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप (सीजीएसएस) की स्थापना की है, जिसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई है। स्टार्टअप को ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को डीआईपीपी की शर्तों का अनुपालन करना होगा। डीआईपीपी से मान्यता–प्राप्त वित्तीय संस्थान ही स्टार्टअप को ऋण मुहैया करा सकेंगे। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी, डिबेंचर, मियादी ऋण आदि के रूप में दिए जाएंगे। डीआईपीपी के सदस्य ऋण संस्थान बिना तीसरे पक्ष की गारंटी या संपार्श्विक प्रतिभूति के स्टार्टअप को 5 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये का ऋण लेना चाहता है तो उसकी 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता संस्थान देगा और बची हुई 25 प्रतिशत राशि का इंतजाम उद्यमी को खुद से करना होगा। वहीं, 5 लाख रुपये से कम ऋण मांगने वाले उद्यमियों को 85 प्रतिशत तक ऋण वित्तीय संस्थान देगा और 15 प्रतिशत राशि की व्यवस्था उद्यमी को स्वयं करनी होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमी को केवाईसी के शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही, वित्त लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड भी वित्तीय संस्थान को देना होगा। गौरतलब है कि सीजीएसएस नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के ट्रस्टीशिप प्रबंधन की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा।

उद्यमिता

किसी उद्यमी द्वारा किसी भी क्षेत्र में किसी नए व्यवसाय को शुरू करना 'उद्यमिता' कहलाता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) का भी

गठन किया गया है, जिसका कार्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसी आलोक में सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में कई ऐसे प्रावधानों की घोषणा की गई है, जिसकी मदद से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। बजट में सरकार ने ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने, कृषि क्षेत्र व स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने एवं वित्तीय क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लिए 6,400 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पताल हैं, लेकिन 2 से 3 स्तर वाले शहरों में गरीबों के इलाज के लिए अधिक अस्पतालों की जरूरत है। लिहाज़ा, आयुष्यमान भारत योजना के तहत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) आधार पर और भी ज्यादा अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। बजट में वित्त वर्ष 2022–23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव है। साथ ही, वित्त वर्ष 2024–25 तक मछली का निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबी उन्मूलन के तहत 50 लाख परिवारों को 58 लाख स्वयंसहायता समूहों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों आदि में उद्यमिता के विकास की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में उद्यमी नए कारोबार शुरू करके अपना जीवनयापन भी कर सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। साथ ही, दूसरों को भी रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। इस राह में आने वाली पूंजी की कमी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से दूर किया जा सकता है। इसके तहत छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना ज़मानत के दिया जाता है। मुद्रा ऋण की ब्याज दरें दूसरी तरह के ऋणों के मुकाबले कम हैं। इस योजना का मकसद एमएसएमई उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह एक ऐसी योजना है, जो अपने आगाज़ के दिनों से ही असंगठित क्षेत्र में लाखों की संख्या में रोज़गार सृजन करने का कार्य कर रही है। इस योजना को तीन वर्गों यथा–शिशु, किशोर और तरूण में बांटा गया है। शिशु के तहत 50 हजार रुपये, किशोर के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपये और तरूण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ सभी कारोबारी इकाइयों जैसे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मशीन ऑपरेटर, पेशेवर जैसे, डॉक्टर, इंजीनियर; सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग; लघु एवं छोटे कारोबारी मसलन किराना एवं जनरल स्टोर चलाने वाले दुकानदार, फल या सब्जी विक्रेता, रेहड़ी व खोमचे वाले, हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटी पार्लर वाले, शिल्पकार, पेंटर, रेस्त्रां चलाने वाले, साइकिल व बाइक रिपेयर करने वाले आदि उठा सकते हैं।

बैड बैंक

अन्य व्यवसायों की तरह बैंकिंग व्यवसाय में भी नफा–नुकसान होता रहता है। अधिकांश मामलों में नुकसान की वजह गिरवी रखी परिसंपत्ति का समय पर नहीं बेचा जाना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक ऐसे कार्यों में कुशल नहीं होते हैं। इसलिए बैड बैंक के गठन का फैसला किया गया है। हालांकि, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) का अस्तित्व पहले से हमारे देश में है, लेकिन यह बैंकों की गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को कम करने में विफल रही है, क्योंकि यह बाज़ार से बहुत कम कीमत पर बैंकों में गिरवी या बंधक रखी परिसंपत्ति को खरीद रही थी। अतः वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पेश किए गए बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए बैड बैंक बनाने की घोषणा की गई है, जो समय की मांग है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आम जन और कारोबारियों की आय में भारी कमी आई है और इस वजह से वे ऋण की किस्त एवं ब्याज चुकाने में असमर्थ हैं। इससे बैंकों के एनपीए में भारी–भरकम इज़ाफा होने की संभावना है।

सरकार बैड बैंक के तहत एआरसी एवं परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की मदद से बैंकों के एनपीए को कम करने की कोशिश करेगी। एआरसी और एएमसी का उद्देश्य बड़े दबावग्रस्त ऋण खातों का समाधान प्रस्तुत करना है, जिनका एक्सपोज़र एक से अधिक बैंकों में है। एआरसी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए काम करेगा, जबकि एएमसी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, विपणन, परिसंपत्ति की वास्तविक मूल्य की वसूली आदि का काम करेगा। बैड बैंक में सरकार कोई निवेश नहीं करेगी और न ही इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी (शेयर होल्डिंग) होगी। बैड बैंक बाज़ार भाव पर बैंकों से उनका डूबा कर्ज़ खरीदेगा, जिससे अधिक एनपीए वाले बैंकों की बैलेंसशीट साफ–सुथरी हो जाएगी और उन्हें अपने कारोबार के लिए पूंजी जुटाने में आसानी होगी। बैड बैंक के कई मॉडल हो सकते हैं। सभी सरकारी बैंकों के लिए एक बड़ा बैड बैंक हो सकता है या फिर एक की जगह, कई बैड बैंक बनाए जा सकते हैं। बैड बैंक में सभी बैंकों के एनपीए खातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस बैंक में शुरुआत में 2 से 2.25 लाख करोड़ रुपये तक की एनपीए राशि शामिल की जा सकती है और इसकी स्थापना 2 से 3 महीनों के अंदर किए जाने का अनुमान है।

वैश्विक–स्तर पर एनपीए कम करने में सफल बैंक

बैड बैंक की संकल्पना नई नहीं है। वैश्विक–स्तर पर चले 2007 से 2010 तक के वित्तीय संकट के दौर में कई देशों में बैड बैंक स्थापित किए गए थे। आयरलैंड में राष्ट्रीय परिसंपत्ति एजेंसी के रूप में एक बैड बैंक स्थापित किया गया था, ताकि

वहां के बैंकों के वित्तीय संकट का समाधान किया जा सके। इसी तरह, वर्ष 2001 में बर्लिन में अवस्थित एक होल्डिंग कंपनी, जिसका नाम बर्लिनर बैंकगेलशाफ्ट (बीबी) था, दिवालिया हो गई थी, लेकिन वर्ष 2006 में स्थापित बैड बैंक, बर्लिनर इमोबाईलिन होल्डिंग (बीआईएच) ने बीबी सहित कई अन्य संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों को वित्तीय संकट से उबारा। दो दशक से अधिक पहले, मलेशियाई बैंकिंग प्रणाली मुद्रा संकट की वजह से ध्वस्त होने के कगार पर थी। कई दूसरे एशियाई देश भी इस संकट से प्रभावित थे। मलेशिया के बैंकों में एनपीए का स्तर बहुत ही ज़्यादा था। यह 4 से 5 सालों के अंदर में 2 से 3 प्रतिशत से बढ़कर दो अंकों के स्तर पर पहुंच गया था। मलेशिया में लगभग एक दशक तक विकास दर 9 प्रतिशत से अधिक रही थी। तदुपरांत, 1997 में मुद्रा संकट शुरू हुआ। फिर, मलेशियाई सरकार ने दो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) की स्थापना की। एक की स्थापना फंसे कर्ज़ के टेकओवर के लिए की गई, जिसे "दानहर्ता" नाम दिया गया और दूसरे की स्थापना कमज़ोर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए की गई, जिसे दानामॉडल कहा गया। इन दोनों संस्थानों की मदद से मलेशिया में एनपीए की अधिकता वाले बैंकों को 7 से 8 सालों के अंदर संकट से उबार लिया गया।

बैड बैंक के फ़ायदे

बैड बैंक के अनेक फायदे हैं। इस बैंक के अस्तित्व में आने पर बैंक गुणवत्तायुक्त परिसंपत्ति पर विशेष ध्यान दे पाएंगे, जिससे स्टैंडर्ड खातों के एनपीए में तब्दील होने की संभावना कम हो जाएगी। बैलेंस शीट के साफ–सुथरा होने से रेटिंग एजेंसियों, देसी व विदेशी निवेशकों, जमाकर्ताओं आदि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बैंक अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सकेंगे।

ई–अदालत

एनपीए की वसूली में तेज़ी लाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ढांचे को और मज़बूत करने और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के तेज़ी से समाधान के लिए ई–कोर्ट प्रणाली शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है। इस नई संकल्पना की मदद से अदालत में चल रहे वादों का जल्दी निपटारा किया जाएगा, जिससे बैंकों के एनपीए स्तर में कमी आएगी। सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के एनपीए की वसूली के लिए सरकार एक अलग ढांचा बनाएगी, क्योंकि 31 मार्च, 2021 से एमएसएमई क्षेत्र के एनपीए के नए मामलों के एनसीएलटी में दर्ज करने पर लगी पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव है। मौजूदा प्रावधान की वजह से एनपीए की वसूली में कमी आई है, लेकिन नए प्रस्ताव से इसमें और भी तेज़ी आने की उम्मीद है।

पीसीआर ज़्यादा

सरकारी बैंकों का प्रोविज़न कवरेज अनुपात (पीसीआर) 86 प्रतिशत है, जो वर्ष 2018 में 62 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि दबावग्रस्त परिसंपत्ति में वृद्धि होने की वजह से सरकारी बैंकों को एनपीए के मद में ज़्यादा राशि का प्रावधान करना पड़ रहा है, जिससे बैंकों का मुनाफा प्रभावित हो रहा है। साथ ही, उनके कारोबार में भी इज़ाफा नहीं हो पा रहा है। इसलिए, बैड बैंक के गठन के बाद दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को तुरंत बैड बैंक में स्थानांतरित करना बैंकों और सरकार दोनों के लिए मुफीद होगा।

पुनर्पूंजीकरण

सरकारी बैंकों के विकास को सुनिश्चित करने और उनके द्वारा विनियामक द्वारा निर्दिष्ट पूंजी प्राप्त करने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2020 तक सरकारी बैंकों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करा चुकी है। वित्त वर्ष 2020–21 में भी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकारी बैंकों को देने के लिए किया है, जिसमें से विनियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवंबर 2020 में पंजाब और सिंध बैंक को 5500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बॉन्ड के जरिए आईडीबीआई में 4557 करोड़ रुपये, इक्जिम बैंक में 5050 करोड़ रुपये और आईआईएफसीएल में 5297.60 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है। पुनः वित्त वर्ष 2021–22 में सरकारी बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी के जरिए उन्हें देगी। सरकार द्वारा सरकारी बैंकों में डाली गई पूंजी करदाताओं की है। इसलिए, इस पर सवाल उठना लाज़िमी है, लेकिन आज विश्व के अनेक देशों में सरकारी बैंकों की स्थिति खस्ताहाल है। इसी वजह से अनेक देशों में करदाताओं का पैसा वहां के सरकारी बैंकों में डाला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में वहां के सरकारी बैंकों में जीडीपी के 10 प्रतिशत से भी अधिक की पूंजी हाल के वर्षों में डाली गई है।

सीआरएआर में सुधार

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारवादी कदमों से सरकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) में सुधार हुआ है. सीआरएआर किसी बैंक की कुल संपत्ति और उसकी जोखिम भारित संपत्तियों का अनुपात होता है। इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि, इस दौरान बैंकों की जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि हुई है, लेकिन इसे ज्यादा जोखिम वाली स्थिति नहीं माना जा सकता है। बैंकों की मौजूदा आर्थिक हालात और एनपीए की बिगड़ती स्थिति को देखने से ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2022 में उन्हें और भी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी। सरकारी बैंकों का काम सिर्फ 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नहीं चलेगा। बैंकों को बाज़ार से पूंजी उगाहने की जरूरत होगी।

बाज़ार से पूंजी उगाही

पिछले कुछ महीनों में बैंकों ने बाज़ार से 40,000 करोड़ रुपये की उगाही की है, जिसमें से केनरा बैंक का 1635 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक का 3788 करोड़ रुपये शामिल हैं। बजट में दो सरकारी बैंकों में विनिवेश का भी प्रस्ताव है। विनिवेश से दोनों बैंकों को नीतिगत निर्णय लेने में ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और

सरकार को भी गैर कर राजस्व की प्राप्ति होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी बैंकों को पूंजी की जरूरत रिज़र्व बैंक के अनुमान से अधिक है, जो अप्रैल 2015 में शुरू किए गए परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से पहले लगाया गया था। विगत 5 सालों में सरकार ने सरकारी बैंकों में 3.16 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत है।

कृषि ऋण को बढ़ाने का लक्ष्य

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया है। कृषि ऋण में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सबसे लोकप्रिय ऋण है। किसानों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने में यह संजीवनी का काम कर रहा है। वर्तमान में 11.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6.5 करोड़ किसानों के पास ही केसीसी ऋण की सुविधा है। बचे हुए 5 करोड़ किसानों को केसीसी ऋण दी जा सकती है और जो किसान इस ऋण को पाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) की तर्ज पर बैंकों से जोड़कर किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सकता है।

> बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र की उपेक्षा करके देश के समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तालाबंदी को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बाद यह ज़रूरी है कि सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आम जन और कारोबारियों को ऋण दिया जाए। सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की वजह से बैंकों ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

डिजिटलीकरण

बजट में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को सरल, सहज एवं प्रभावी बनाया जाएगा। सरकार के इस कदम से बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने में आसानी होगी, जिससे बचे हुए समय का इस्तेमाल वे बैंक का कारोबार बढ़ाने में कर सकेंगे। बजट में दो सरकारी बैंकों के विनिवेश का प्रस्ताव है। इस प्रावधान को मूर्त रूप देने के लिए संसद के चालू सत्र में कानून में संशोधन किया जाएगा। इससे बैंकों को नीतिगत निर्णय लेने में ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और सरकार को भी गैर कर राजस्व की प्राप्ति होगी।

जमा बीमा कवरेज में इज़ाफा

पिछले साल के बजट में, सरकार ने जमा बीमा कवरेज को एक लाख प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता कर दिया गया था। इस साल के बजट में सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई बैंक वित्तीय संकट की वजह से विफल होता है तो जमाकर्ता तुरंत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत बीमित 5 लाख रुपये तक की निकासी कर सकता है। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रावधान से बैंक डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को तत्काल अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे बहुत सारे छोटे जमाकर्ताओं की ज़िंदगी भर की कमाई डूबने से बच जाएगी। गौरतलब है कि डीआईसीजीसी भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायक कंपनी है, जो जमाकर्ताओं की जमा को सुरक्षित करता है।

बुनियादी सुविधाओं के लिए डीएफआई

बजट में सरकार ने एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। इसके स्टेकहोल्डर सरकारी और निजी बैंक होंगे। सरकार की योजना डीएफआई के साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को विलय करने की भी है। नए डीएफआई का नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक होगा। इसमें केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी और आगामी 3 सालों में प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से इसमें 5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। वैसे, डीएफआई कोई नई संकल्पना नहीं है, यह उदारवाद शुरू होने से पहले मौजूद था। उस कालखंड में इसकी मदद से लंबी अवधि की जमा को 10 से 15 सालों वाले आधारभूत से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश किया जाता था और यह परियोजनाओं को तब तक मदद करता था, जब तक वह कार्यशील न हो जाएं। साथ ही, डीएफआई देनदारी और लेनदारी के बीच संतुलन बनाए रखने का भी काम करता था, ताकि अचानक से पूंजी की कमी का संकट पैदा नहीं हो। हालांकि, उदारवाद के दौर में डीएफआई की प्रासंगकिता खत्म हो गई। नए डीएफआई का उद्देश्य है आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं में लंबी अवधि के लिए जमा की गई राशि का निवेश करना। आज आधारभूत संरचना का विकास बहुत ही जरूरी है। इसकी मदद से ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है।

ऋण वितरण में हुई वृद्धि

तालाबंदी को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बाद आवास ऋण, वाहन ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण जैसे सभी उप ऋण खंडों में ऋण की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में इज़ाफा हो रहा है। हालांकि, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी (ईसीएलजीएस) योजना की मदद से ऋण वितरण में और भी तेज़ी लाई जा सकती है, क्योंकि यह योजना मार्च 2021 तक वैध है। इसके तहत 8 जनवरी, 2021 तक एमएसएमई क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है। फिर भी, इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अभी भी बैंक नए मियादी ऋण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसकी मांग कम है। लिहाज़ा, कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों जैसे, रियल एस्टेट, निर्माण, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों को कार्यशील और मियादी दोनों

तरह के ऋण देने की ज़रूरत है। सरकारी बैंकों के ऋण वितरण के आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना महामारी के दौरान 40 प्रतिशत ऋण वितरण खुदरा एवं कृषि क्षेत्र को किया गया है, जबकि 52 प्रतिशत ऋण वितरण उद्योग और अन्य कारोबार को किया गया है।

निष्कर्ष

आज रोज़गार सृजन के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता का विकास बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के विकास में मूल बाधा पूंजी की कमी है और बैड बैंक एनपीए खातों में से वसूली करके पूंजी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। पूंजी होने पर ही बैंक ज़रूरतमंदों को ऋण दे सकते हैं। इसी वजह से बैड बैंक की ज़रूरत बैंकिंग क्षेत्र में एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी। माना जा रहा है कि इस बैंक के अस्तित्व में आने के बाद, बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकेंगे। साथ ही, ग्राहक सेवा में भी सुधार कर सकेंगे, जिससे बैंकों के मुनाफे में वृद्धि तो होगी ही; साथ ही, ग्राहकों, निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों का भरोसा भी उन पर बढ़ेगा। सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए भी प्रावधान किए हैं, जिससे कमज़ोर बैंकों को राहत मिलेगी। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से ग्राहकों एवं बैंकों को तो फायदा होगा ही; साथ ही, इससे लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। डीआईसीजीसी के तहत जमाकर्ताओं की जमा को 5 लाख रुपये तक बीमित करना सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बैंकों के विफल होने पर आम जन को बड़ी राहत मिलेगी। डीएफआई की ज़रूरत बुनियादी ढांचा को खड़ा करने के लिए ज़रूरी है। इसकी मदद से लंबी अवधि की परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। खास करके इसकी मदद से सड़क, बिजली, रेललाइन, संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को खड़ा किया जा सकता है, जिन्हें विकास की 'धमनी' कहा जाता है।

बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र की उपेक्षा करके देश के समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तालाबंदी को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बाद यह ज़रूरी है कि सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आम जन और कारोबारियों को ऋण दिया जाए। सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की वजह से बैंकों ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

कोरपोरेट्स और खुदरा क्षेत्र में ऋण की मांग बढ़ने लगी है। सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एएससीबी) का वृद्धिशील ऋण वितरण सकारात्मक हो गया है और ऋण वितरण में लगातार मज़बूती से वृद्धि हो रही है। ऋण के वर्ष से तारीख (वाईटीडी) वृद्धि अप्रैल, 2015 से जनवरी 2021 के दौरान 2.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान यह 2.4 प्रतिशत रही थी। उल्लेखनीय है कि वाईटीडी, कैलेंडर वर्ष के पहले दिन या वित्तीय वर्ष की वर्तमान तिथि तक की अवधि को संदर्भित करता है। नवंबर, 2020 के बाद से बैंकों का वृद्धिशील ऋण वितरण लगभग 3 लाख करोड़ रुपये रहा है। ऐसे में कहना अनुचित नहीं होगा कि कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभावों से बैंकिंग क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बाहर आने में समर्थ हो सकते हैं।

संदर्भ स्रोतः

1–बजट दस्तावेज़
2–भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट
3–भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट

(लेखक मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नरीमन पॉइंट, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं; विभाग से प्रकाशित होने वाली आर्थिक एवं बैंकिंग विषय पर केंद्रित पत्रिका "आर्थिक दर्पण" के संपादक भी हैं।)

ई–मेल : satish5249@gmail.com

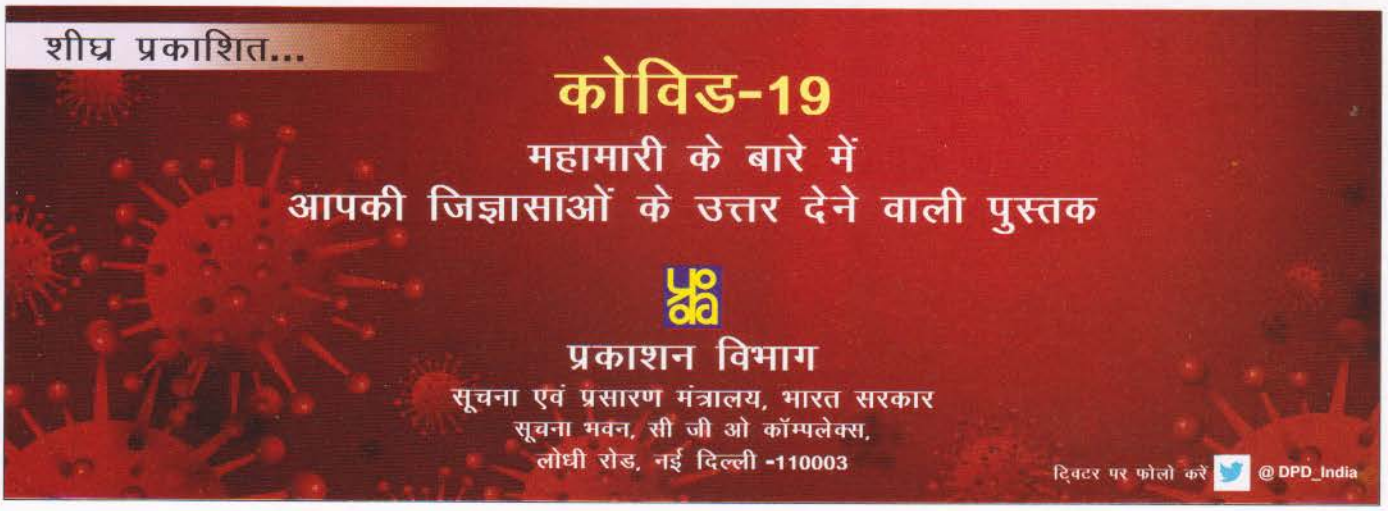

एमएसपी और एपीएमसी पर सरकार का बुलंद संदेश

–भुवन भास्कर

पहले जहां सरकारी खरीद का मतलब सिर्फ धान और गेहूं हुआ करता था, वहीं अब इसका दायरा बढ़कर कई दलहन, तिलहन फसलों और कपास तक पहुंचा है। एपीएमसी (एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) मंडियों को लेकर की कई घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति सरकार की भावी योजना का खुलासा करते हैं। पहली घोषणा, ई–नाम में 1000 मंडियों को जोड़ने की है और दूसरी, एपीएमसी मंडियों में बुनियादी ढांचे के विकास में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड (एआईडीएफ) का इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने की है। ई–नाम में शामिल होने का मतलब यह है कि देश की 7000 में से 2000 मंडियां अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित होंगी।

वर्ष 2021–22 के लिए पेश हुआ आम बजट दो बड़ी घटनाओं के साये में आया–पहला, कोविड–19 और दूसरा, किसान आंदोलन। ज़ाहिर है कि यह माना जा रहा था कि एक ओर तो पूरे बजट पर कोविड–19 के खिलाफ देश की लड़ाई की छाप दिखेगी, वहीं यह बजट किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं लेकर आएगा। दरअसल यह कहा जाए कि मोदी सरकार के पिछले 6 बजटों में से कम से कम 3 तो पूरी तरह किसान बजट ही थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसीलिए इस बार का बजट किसानों के लिए बिग बैंग घोषणाओं से सजा होगा, यह उम्मीद बेमानी भी नहीं थी।

लेकिन वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट में कृषि को लेकर की गई घोषणाएं चौंकाने वाली हैं। यदि वास्तव में बजट प्रावधानों को देखा जाए, तो कृषि के मोर्चे पर इसमें कुछ बहुत ही रुटीन बातें, कुछ योजनाओं के बढ़े हुए आवंटन और पिछले साल के कुछ कार्यक्रमों का ब्यौरा है, जिनमें न तो किसी किस्म का ग्लैमर है और न ही कोई बड़े वादे। तो सवाल यह है कि आखिरकार वे क्या कारण हो सकते हैं, जिसके कारण वित्तमंत्री ने तमाम अनुमानों को नकारते हुए बजट को कृषि के मोर्चे पर लो–प्रोफाइल रखने का फैसला किया। इस सवाल का जवाब बजट में ही ढूंढते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है, वह क्यों है।

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही एग्री मार्केटिंग के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई–नाम), इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट

"न सिर्फ चालू साल में एफसीआई की पूरी देनदारी खत्म कर दी गई, बल्कि अगले साल 2021–22 के लिए भी इसके लिए 2,42,836 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वित्तमंत्री ने एक नीतिगत फैसला करते हुए यह भी घोषित कर दिया कि आइंदा से एफसीआई को एनएसएसएफ से कोई कर्ज़ नहीं लेना होगा। यानी यदि खाद्य सब्सिडी में खर्च और ज्यादा होता है तो उसे संशोधित अनुमान में अगले साल के बजट में जोड़ा जाएगा। यह वर्तमान सरकार का अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधारात्मक फैसला है।"

(ई–एनडब्ल्यूआर) और कृषि सुधार कानून तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन उसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को लेकर सरकार ने कई ऐसी पहल की हैं, जो गेम चेंजर हैं। तीनों कृषि कानून, जिनके खिलाफ ये आंदोलन हो रहे हैं, वे दरअसल पिछले 7 सालों में कृषि को लेकर सरकार के किए गए तमाम प्रयासों का निचोड़ हैं। संभवतः सरकार कोई भी नई घोषणा या नीतिगत पहल करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसान आंदोलन का परिणाम किस दिशा में जाने वाला है।

वित्तमंत्री ने जो बजट भाषण लोकसभा में पढ़ा, उसमें कुल 191 बिंदु थे, जिनमें 96 से 107 तक यानी 12 बिंदुओं में उन्होंने कृषि से जुड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं का बिंदुवार जायज़ा लिया जाए, तो आधे यानी 5 बिंदुओं में उन्होंने कुल मिलाकर यह बताया कि सरकार ने 2020–21 में और 2014–15 के बाद से खेती और किसानों के लिए क्या–क्या किया। शेष 7 बिंदुओं में उन्होंने 2021–22 के लिए कृषि और किसानों से संबंधित अपने प्रस्ताव बताए। इनमें 6 प्रस्ताव पहले से जारी योजनाओं का या तो एक्सटेंशन हैं या फिर पहले से आवंटित फंडों में वृद्धि से संबंधित हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हुई सरकारी खरीद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले तो एमएसपी को लागत का डेढ़ गुना किया और फिर गेहूं, चावल, दलहन और कपास में 2013–14 की तुलना में खरीदारी बढ़ायी। गेहूं के किसानों को मिलने वाली रकम में जहां 121 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, वहीं चावल में खरीदारी 170 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी।

पहले जहां सरकारी खरीद का मतलब सिर्फ धान और गेहूं हुआ करता था, वहीं अब इसका दायरा बढ़कर कई दलहन, तिलहन फसलों और कपास तक पहुंचा है। वित्तमंत्री ने आंकड़ों में इसे पुख्ता करने के लिए बताया कि 2013–14 में दालों की एमएसपी पर खरीद पर 236 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन 2020–21 में यह 40 गुना बढ़कर 10530 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह कपास में होने वाली खरीद 6 वर्षों में 288 गुना बढ़कर 90 करोड़ रुपये से 25000 करोड़ रुपये पार कर गई है। इतना ही नहीं, पहले जहां एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित थी, अब वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों तक भी पहुंचने लगी है। यहां तक कि बीते सीज़न में पहली बार मध्यप्रदेश ने गेहूं की खरीद में पंजाब को पीछे छोड़ कर पहला स्थान हासिल कर लिया।

यानी कुल मिलाकर देखा जाए, तो वित्तमंत्री ने एमएसपी को लेकर 'चिंतित' और बवाल मचाते किसानों को खुश करने की कवायद न कर बाकी देश को इन किसानों के आंदोलन का खोखलापन बताने पर ज़्यादा ध्यान लगाया है। वित्तमंत्री ने देश के बाकी हिस्से के किसानों में एमएसपी के प्रति अपनी गंभीरता को प्रमाणित करने के लिए ये आंकड़े जारी किए हैं।

अब चलते हैं उन प्रस्तावों की ओर, जिनमें 2021–22 के लिए घोषणाएं हैं। इनमें 5 घोषणाएं हैं। पहली, कृषि कर्ज़ का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये से हर वर्ष की तरह 10 प्रतिशत बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करना; दूसरी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करना; तीसरी, नाबार्ड के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करना और चौथी, ई–नाम में 1000 और मंडियों को जोड़ना। पांचवीं घोषणा पिछले साल शुरू की गई 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम' में आलू, प्याज और टमाटर के अलावा 19 और जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज को शामिल करना है। ये सारी घोषणाएं बेहद साधारण हैं।

एपीएमसी (एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) मंडियों को लेकर की गई कई घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति सरकार की भावी योजना का खुलासा करती हैं। पहली घोषणा ई–नाम में 1000 मंडियों को जोड़ने की है और दूसरी, एपीएमसी मंडियों में बुनियादी

- माइक्रो सिंचाई फंड 5,000 करोड़ रुपये से दुगुना कर 10,000 करोड़ रुपये

किसानों को भुगतान

(*करोड़ में)

	2013-14	2019-20	2020-21
गेहूं	₹ 33,874	₹ 62,802	₹ 75,060
धान	₹ 63,928	₹ 1,41,930	₹ 172,752
दालें	₹ 236	₹ 8,285	₹ 10,530

- स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा। 1241 गांवों में 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये की जाएगी।
- सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी करके 10 हजार करोड़ रुपये की गई।
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिले।
- ई–नाम के माध्यम से लगभग 1.68 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया गया और 1.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य का व्यापार किया गया। 1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई–नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- ईपीएमसी को बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा निधियों तक पहुंच मिलेगी।

मछली पालन

- देश में आधुनिक मछली बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए निवेश
- पांच प्रमुख मछली बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क।

ढांचे के विकास में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड (एआईडीएफ) का इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने की है। ई–नाम योजना सरकार ने 14 अप्रैल, 2016 को शुरू की थी, जिसका लक्ष्य देश को एक मंडी प्लेटफॉर्म के रूप में बदलना है। इसमें अब तक 1000 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इस बजट की घोषणा के बाद अब इस नेटवर्क में अगले साल तक कुल 2000 मंडियां शामिल हो जाएंगी।

ई–नाम में शामिल होने का मतलब यह है कि देश की 7000 में से 2000 मंडियां अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित होंगी। इन्हें उपज की गुणवत्ता टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75 लाख रुपये मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनके विकास में एआईडीएफ की अनुमति का भी बहुत साफ संदेश है। आंदोलनकारी किसानों ने बार–बार यह आशंका जताई है कि एपीएमसी मंडी के बाहर फसलें बेचने की अनुमति देने से मंडियां गैर–प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी क्योंकि किसान वहां आएंगे नहीं और इसलिए उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी, जिससे उनका बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों ने मंडियों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए मंडी फीस बहुत कम कर दी है या खत्म ही कर दी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एपीएमसी मंडियों के लिए वित्त की व्यवस्था कर साफ कर दिया है कि वह किसी भी हाल में मंडियों को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती।

इसके अलावा, एक और घोषणा स्वामित्व योजना से जुड़ी है, जो ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। कृषि से जुड़े दूसरे सेक्टरों, जैसे पोल्ट्री, डेयरी इत्यादि के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई हैं और मछली पालन से जुड़ी दो घोषणाएं हैं जिसमें दरअसल कोई आवंटन नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो इस बजट का उपयोग आने वाले समय में कृषि से संबंधित किसी बड़ी योजना की भूमिका तैयार करने के लिए किया गया है।

सरकार ने एमएसपी और एपीएमसी के मुद्दे पर पूरे ज़ोर से यह संदेश दिया है कि इन पर कोई खतरा नहीं है। और अब वह किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहती है। इस लिहाज से किसानों के आंदोलन को कृषि क्षेत्र में युगांतकारी सुधारों का एक संक्रमणकाल माना जाना चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम के कर्ज़ की भरपाई

वर्ष 2021–22 के लिए बजट में वित्तमंत्री ने जो सुधारात्मक फैसले किए, उसके लिए तो उन्हें चारों तरफ से वाहवाही मिली है, लेकिन एक काम उन्होंने और किया है, जिस पर चर्चा कम हुई है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि 2020–21 में देश का राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत पहुंच गया, जो रुपये के लिहाज से देखें तो 18,48,655 करोड़ रुपये है। यदि पिछले बजट में रखे गए राजकोषीय घाटे के 3.5 प्रतिशत लक्ष्य यानी 7,96,337 करोड़ रुपये से इसकी तुलना करें, तो यह अंतर विशाल है।

यदि यह बजट सामान्य परिस्थितियों में आया होता, तो इस आंकड़े ने मीडिया और विशेषज्ञों के बीच तहलका मचा दिया होता। लेकिन कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में क्योंकि पहले से ही राजकोषीय घाटे के 7 प्रतिशत से ज़्यादा रहने की आशंका जताई जा रही थी, इसलिए 9.5 प्रतिशत के आंकड़े ने भी बहुत ज्यादा हलचल पैदा नहीं की। लेकिन यदि मान लें कि कोरोना की परिस्थिति पैदा नहीं हुई होती और सरकार ने राजकोषीय घाटे का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया होता, तो भी 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 307048 करोड़ रुपये ज्यादा होने वाला था। क्यों?

इस सवाल का जवाब सरकार के खर्चों का ब्यौरा देखने से मिल सकता है। खाद्य सब्सिडी में 2020–21 का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपये था, लेकिन वित्तमंत्री ने जो संशोधिन अनुमान पेश किया है, उसमें इसे बढ़ाकर 4,22,618 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आखिर ये पैसा कहां गया? वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण के

पैराग्राफ 143 में यह बताया है। उन्होंने कहा, "अपने 2020–21 के बजट में, मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दिए गए ऋणों को शामिल करके कथन के स्कोप और कवरेज का विस्तार कर दिया। इस दिशा में और एक कदम उठाते हुए संशोधित अनुमान 2020–21 में और बजट अनुमान 2021–22 में बजटीय प्रावधान करके खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले एनएसएसएफ ऋण को बंद करने का प्रस्ताव करती हूं।"

साफ है कि वित्तमंत्री ने एफसीआई को बकाया 3 लाख करोड़ रुपये चुका कर उसका खाता बंद कर दिया है। यह अपने आप में भारत सरकार की अकाउंटिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ी घटना है। दरअसल एफसीआई भारत सरकार की ओर से जो धान और गेहूं की खरीदारी एमएसपी पर करता है, उसे पीडीएस में बांटने के लिए बेहद कम दाम पर बेचता है। इस क्रम में उसे जो घाटा होता है, उसे केंद्र सरकार को पूरा करना होता है। लेकिन अब तक होता यह रहा था कि एफसीआई के घाटे का सिर्फ एक हिस्सा केंद्र देता था और बाकी की रकम उसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से कर्ज़ के तौर पर लेनी होती थी।

इस तरह हालांकि सरकार अपने घाटे को कम कर दिखाती थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसकी देनदारी को वह अगले सालों पर टाल देती थी। जैसे 2019–20 में सरकार की एफसीआई को कुल देनदारी 3,17,905 करोड़ रुपये थी लेकिन वित्तमंत्री ने उसे सिर्फ 75,000 करोड़ रुपये दिए। यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ की देनदारी को अगले साल पर टाल कर अपना राजकोषीय घाटा उतना कम कर लिया।

कुछ यही काम वित्तमंत्री ने अपने 2020–21 बजट में भी किया था, जब उन्होंने खाद्य सब्सिडी पर 1,15,570 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। लेकिन अपने बजट भाषण में उन्होंने साफ कर दिया कि न सिर्फ चालू साल में एफसीआई की पूरी देनदारी खत्म कर दी गई, बल्कि अगले साल 2021–22 के लिए भी इसके लिए 2,42,836 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वित्तमंत्री ने एक नीतिगत फैसला करते हुए यह भी घोषित कर दिया कि आइंदा से एफसीआई को एनएसएसएफ से कोई कर्ज़ नहीं लेना होगा। यानी यदि खाद्य सब्सिडी में खर्च और ज्यादा होता है तो उसे संशोधित अनुमान में अगले साल के बजट में जोड़ा जाएगा।

यह वर्तमान सरकार का अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधारात्मक फैसला है, जिसका महत्व सिर्फ अकाउंटिंग के लिहाज से नहीं है। बल्कि एक तरह से सरकार ने दुनिया भर की उन रेटिंग एजेंसियों को भी धता बता दिया है, जो अपनी सॉवरेन रेटिंग से सरकारों और देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करती रहती हैं। ये वही एजेंसियां हैं, जो 2008 में लीमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने से कुछ महीनों पहले तक उसे 'ए' ग्रेड की रेटिंग देते नहीं थक रही थीं। वित्तमंत्री का एफसीआई की अकाउंटिंग साफ करना सरकार के मनोबल और दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है कि भारत का निर्माण भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाएगा। इसे एक तरह से 'आत्मनिर्भर' भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की एक और घोषणा कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(लेखक कॉरपोरेट क्षेत्र से संबद्ध हैं।)
ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर

–डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का कार्य चुनौतीपूर्ण है। यह निश्चित रूप से एक कठिन काम है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस उपलब्धि के लिए अब दो घटक हैं अर्थात् सबसे पहले महामारी के गंभीर आघात से उबरना; और दूसरा विकास के द्रुत मार्ग को अपनाना। क्षति इतनी गहरी और व्यापक है कि अल्पावधि में पुनर्निर्माण और बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि यह आशावादी रूप से माना जा सकता है कि इस दुर्गम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024–25 तक खुद को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जैसाकि विश्व बैंक के आंकड़ों से स्पष्ट है स्थिर कीमतों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2019 में 2.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। बड़े भौगोलिक आकार, मज़बूत जनसांख्यिकीय स्थिति और सुदृढ़ आर्थिक बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए देश इस लक्ष्य की महत्वाकांक्षा के लिए बेहतरीन स्थिति में है। इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने की दिशा में देश की प्रगति को कोविड 19 महामारी के अतिक्रमण से क्षति पहुंची है। इस परिप्रेक्ष्य में यह लेख ऐसी कुछ चुनौतियों और भारत के कठिन परंतु प्राप्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपनाए गए बहु–आयामी दृष्टिकोण का आकलन करता है।

वर्तमान चुनौतियां

वर्ष 2020 में पहले से ही मंद हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को वैश्विक महामारी से एक और झटका लगा। महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगने वाले कड़े लॉकडाउन के दौरों से आर्थिक विकास बाधित हुआ। साथ ही, ये लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा नकारात्मक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के कारण भी बने। महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया जिसके फलस्वरूप आर्थिक मंदी का दौर व्याप्त हुआ यानी उत्पादन में गिरावट आई, आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी हुई, बेरोज़गारी में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ तेज़ी से घटता व्यापार देखा गया। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ना महामारी के तेज़ी से फैलने के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया।

इस पृष्ठभूमि में द्विआयामी कार्यनीति का पालन करने की सख्त आवश्यकता थी जिससे (क) महामारी के परिणामों के प्रभाव को कम किया जा सके और (ख) त्वरित विकास सुनिश्चित हो। नकदी के प्रवाह और राजकोषीय प्रोत्साहनों, दोनों का उपयोग अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर वापस लाने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2021–22 का दृष्टिकोण सामयिक रहा है और प्रत्येक घोषणा ने वर्तमान में अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जा रहे किसी व्यावहारिक मुद्दे को संबोधित किया है। विकास की उच्च दर को प्राप्त करने के कुछ आधार हैं– कृषि क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, रोज़गार की गारंटी देना और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।

आर्थिक सुस्ती पर लगाम कसना

भारत की सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पिछले सात दशकों के दौरान, कुछ असामान्य वर्षों को

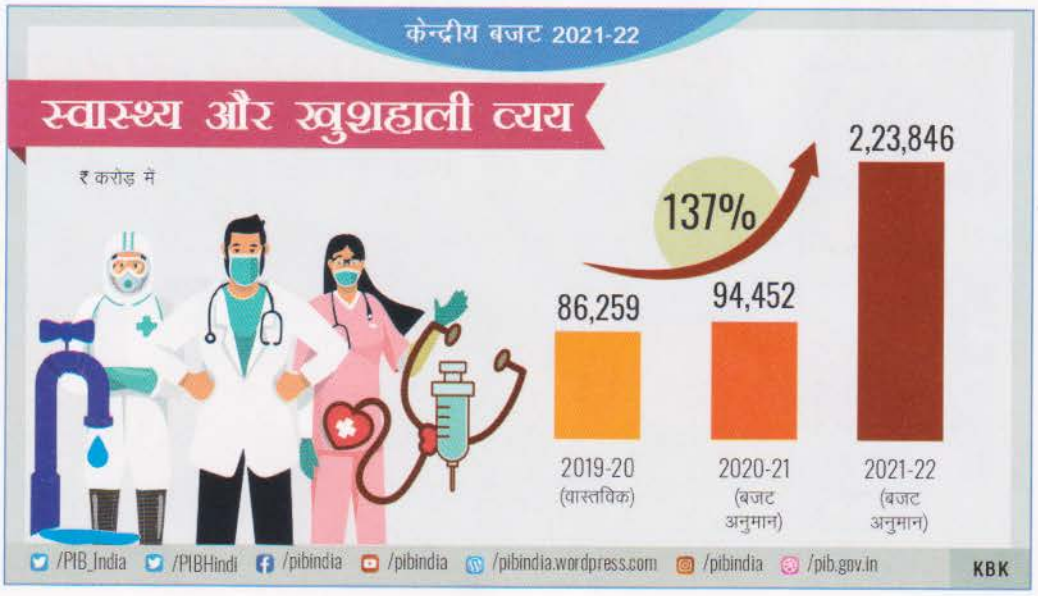

छोड़कर, हमेशा सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। हाल के वर्षों में 2017–18 (तालिका–1) के बाद से जीएनआई की वृद्धि दर धीमी हो गई है। परन्तु 2020–21 में –7.9 प्रतिशत का अभूतपूर्व संकुचन देखा गया। यह चुनौती न केवल मंदी को तेज़ी में बदलने की है बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की है कि विकास दर पहले की तुलना में अधिक हो और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

वर्ष 2020 के दौरान भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत पैकेजों के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के साथ मिला कर ये पैकेज 27.1 लाख करोड़ रुपये के थे यानी जीडीपी का लगभग 13 प्रतिशत। 2020–21 में 9.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद से 2021–22 में राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत और 2025–26 में 4.5 प्रतिशत तक घटने का अनुमान है जिसके लिए बजट में राजकोषीय समेकन की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, पैकेज के एक हिस्से के रूप में पिछले एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों ने विस्तार किया है जिसमें कृषि के लिए नए अधिनियम, एमएसएमई के लिए नई परिभाषा, श्रम कोडों को लागू करना, बिजली और खनिज क्षेत्रों में सुधार, इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस (व्यापार सुगमता सूचकांक) की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इन उपायों ने आपूर्ति बढ़ाने के साथ–साथ मांग पैदा करने के महत्व को सही ढंग से रेखांकित किया है। इस संदर्भ में बजट का विनिवेश से प्राप्तियों के रूप में 1,75,000 करोड़ रुपये उगाहे जाने के अनुमान का महत्व है।

स्वास्थ्य को प्राथमिकता

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले संकटों यानी 1991 के विदेशी मुद्रा भंडार संकट और 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के विपरीत वर्तमान आर्थिक संकट का कारण स्वास्थ्य संकट है। इससे वित्तीय और संपदा दोनों क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, यह राष्ट्र के जन–स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के बीच संबंधों को प्रकट करता है। इसके अनुरूप सुधारात्मक कार्यनीति को राजकोषीय प्रोत्साहन और मौद्रिक सहजता के अलावा टीकों की उपलब्धता, पहुंच और वहनीयता से सरोकार रखना आवश्यक होगा।

वर्तमान स्वास्थ्य संकट से जो एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, वो है नए और अज्ञात रोगों से निपटने के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे और तैयारियों की आवश्यकता। इस आवश्यकता को रेखांकित करते हुए बजट ने स्वास्थ्य बजट में लगभग 137 प्रतिशत की वृद्धि की है और साथ ही, **प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना** की घोषणा की गई है जिसके तहत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत करने और नए और उभरते रोगों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थानों के निर्माण हेतु 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सारणी–1 : स्थिर कीमतों पर जीएनआई की वार्षिक विकास दर

वर्ष	स्थिर कीमतों पर जीएनआई (प्रतिशत)
2012–13	5.1
2013–14	6.3
2014–15	7.5
2015–16	8.0
2016–17	8.3
2017–18	7.1
2018–19	6.1
2019–20	4.2
2020–21	–7.9

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, 2020–21

बजट की घोषणाओं में शामिल 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (शहरी) और 1,41,678 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 सार्वभौमिक स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने में अतिरिक्त रूप से सहायक होंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 42 शहरी केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपये; स्वैच्छिक वाहन कबाड़ (स्क्रैपिंग) नीति; पूरे भारत में न्यूमोकोकल टीके उपलब्ध कराना; और कोविड–19 वैक्सीन के प्रावधान से जन–स्वास्थ्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर हो सकेगा। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक जो नर्सिंग पेशे में पारदर्शिता, दक्षता और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है, देश में एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के उद्भव का संकेत देता है।

अंतर्निहित शक्तियों का दोहन

आत्मनिर्भर भारत में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्निहित शक्तियों का दोहन करना शामिल है। देश ने महामारी के दुष्परिणामों का मुकाबला करने के लिए अपार लचीलापन दिखाया है और यह महत्वपूर्ण है कि कमज़ोरियों और खतरों से निपटने के लिए शक्ति और अवसरों का उचित उपयोग किया जाए। ऐसा करने में एक महत्वपूर्ण कदम पोषण, शिक्षा के सभी स्तरों और कौशल पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक–आर्थिक या अतिरिक्त आर्थिक परिवेश प्रदान करना है। यह इसलिए भी और अधिक आवश्यक है क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास केवल सरकार की पहल पर ही नहीं बल्कि नागरिकों की सक्रिय उद्यमिता पर भी निर्भर करता है।

इस संदर्भ में पोषण संबंधी आवश्यकताओं में सुधार महत्वपूर्ण है और 112 आकांक्षी ज़िलों में मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ इस दिशा में एक निश्चित कदम होगा। 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मज़बूत बनाने का प्रस्ताव है; 100 नए सैनिक स्कूल; और आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित किए

जाने हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह में प्रस्तावित है और नौ शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होगी। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। नवोन्मेष और आर एंड डी संचित शिक्षा और उसके प्रभावी उपयोग के नैसर्गिक विस्तार हैं। तदनुसार बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है। कौशल के महत्व को उपयुक्त रोज़गार के लिए घटाया नहीं जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग के बाद शिक्षा शिक्षुता, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं को संशोधित करना बजट में प्रस्तावित है।

इसके अलावा, सरकार संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ कौशल योग्यता, मूल्यांकन, प्रमाणन, और प्रमाणित कार्यबल की तैनाती के लिए साझेदारी में काम कर रही है; और क्रमशः जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित शिक्षा की सार्वभौमिकता को साकार करने की दिशा में बजट घोषणाएं एक सकारात्मक संकेत हैं।

तालिका–2 : भारत का व्यापार (यूएस + बिलियन)

निर्यात / आयात / व्यापार	अवधि	2019	2020	2019 से 2020 में आया अंतर
निर्यात	अप्रैल–दिसंबर	238	201	–16
आयात		364	261	–28
व्यापार संतुलन		–126	–60	–52
कुल व्यापार		602	463	–23
निर्यात	अप्रैल–जून	81	51	–36
आयात		130	61	–53
व्यापार संतुलन		–49	–10	–80
कुल व्यापार		211	113	–47
निर्यात	जुलाई–सितंबर	78	74	–5
आयात		118	91	–23
व्यापार संतुलन		–40	–16	–59
कुल व्यापार		196	165	–16
निर्यात	सितंबर–दिसंबर	79	76	–4
आयात		116	110	–6
व्यापार संतुलन		–37	–34	–8
कुल व्यापार		195	185	–5

स्रोत 3 : https://commerce.gov.in/trade-statistics/

बाहरी क्षेत्र का संचालन

आर्थिक मापदंडों की बहाली और बेहतरी बाहरी क्षेत्र के कार्य प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर है क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाएं विश्व–स्तर पर पहले से कहीं अधिक एकीकृत हो गई हैं। महामारी और लॉकडाउन के कारण सिकुड़ती क्रयशक्ति के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के परिणामस्वरूप अप्रैल–दिसंबर 2020 में शेष विश्व के साथ भारत का व्यापार 2019 में इसी अवधि की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत कम रहा है। व्यापार के विभिन्न घटकों में गिरावट दर्ज हुई : अप्रैल–दिसंबर 2019 (तालिका–2) की तुलना में अप्रैल–दिसंबर 2020 के दौरान 16 प्रतिशत कम निर्यात और 28 प्रतिशत कम आयात हुआ। व्यापार संतुलन लगातार घाटे में रहा हालांकि अप्रैल–दिसंबर 2020 में अंतर घटकर आधे से भी कम रह गया यानी 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जैसाकि तालिका–2 से स्पष्ट है– आयात और निर्यात में जो स्तर 2019 में प्राप्त हुआ था, 2020 में उसमें गिरावट दर्ज हुई परंतु अप्रैल–दिसंबर 2020 की प्रत्येक तिमाही में यह घटी जो अर्थव्यवस्था की बहाली की शुरुआत का संकेत देती है।

नई व्यापार नीति 2021–26 को 1 अप्रैल, 2021 को लागू किया जाना है। ज़िला–अग्रणी निर्यात विकास गत वर्ष के बजट की घोषणा के अनुरूप है जिसमें प्रत्येक ज़िले को एक उत्पाद के निर्यात हेतु अपनी क्षमता के दोहन के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसका उद्देश्य विशेषज्ञता को प्रखर करने के साथ–साथ बड़े पैमाने की लागत का लाभ उठाना है। बजट 2021–22 ने घरेलू उत्पादकों और घरेलू उपयोगकर्ताओं के कल्याण के बीच एक कठिन पर आवश्यक संतुलन बनाते हुए सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों से तांबे के स्क्रैप और नेफ्था पर लगने वाला शुल्क 2.5 प्रतिशत तक और सभी नायलॉन उत्पादों पर 5 प्रतिशत तक घट रहा है जबकि सौर इनवर्टर; सौर लालटेन; कपास; कच्चे रेशम और रेशम यार्न; और मोबाइल के कुछ पुर्जों पर क्रमशः 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक; 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक; 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक; 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक और 0 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाया गया है। इसके अलावा, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की सहायता के लिए सीमा शुल्क में एक समान 7.5 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है जबकि डंपिंग रोधी और काउंटरवेलिंग (प्रतिकारी) शुल्कों को रद्द कर दिया गया है। एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने के लिए, उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है मसलन स्टील के पेच, प्लास्टिक बिल्डर वेयर, झींगा फीड, और कृत्रिम रत्न। इसके अलावा, यूरिया, सेब, कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल, कच्चा ताड़ का तेल, काबुली चना और मटर

सहित कुछ वस्तुओं पर कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकर का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित उपकर से कृषि अवसंरचना में अति आवश्यक सुधार लाने में मदद मिलना अपेक्षित है।

अनिश्चितता के चरम–स्तर के बीच जब लॉकडाउन भी लगा था, अप्रैल–जून 2019 की तुलना में अप्रैल–जून 2020 की तिमाही में 60 प्रतिशत की गिरावट आई, 2020–21 की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) घट कर 6.6 बिलियन अमेरिकी डालर रह गया[4]। इसके बाद आर्थिक बहाली का दौर शुरू हुआ। अप्रैल–सितंबर 2020 में एफडीआई प्रवाह 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था यानी 2019 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक। भारत में निवेश को सहज बनाने के लिए बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है जिससे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाने, अधिक बीमा पैठ बनाने और व्यक्तिगत पॉलिसी धारकों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

रोज़गार के लिए बेहतर सुविधाएं

लॉकडाउन के दौर ने बड़े पैमाने पर शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में विपरीत प्रवास, सामाजिक–आर्थिक तंगहाली के बाद फिर से शहरी क्षेत्रों में पुनः प्रवास देखा। ऐसी परिस्थिति में मंदी का मुकाबला करने के लिए एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता होती है। तदनुसार एमएसएमई के लिए परिव्यय को दुगुना करना, जिसने देश में 11.10 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं[5], गेमचेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा, पोत पुनर्चक्रण की उच्च रोज़गार क्षमता है और बजट घोषणा में पुनर्चक्रण क्षमता को करीब 45 लाख लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) से बढ़ाकर 2024 तक दोगुना किया जाएगा जिससे देश में 1.5 लाख रोज़गार के अवसर तैयार होंगे। असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए एक नई योजना के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए बजट में विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं जैसे एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के तहत देशभर में राशन की दुकानों तक सार्वभौमिक पहुंच; प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल लांच करना; गिग कर्मियों और प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना; श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मज़दूरी लागू करना; कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सभी श्रमिकों को कवर किया जाना; महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाज़त दिया जाना और साथ ही महिलाओं को पर्याप्त संरक्षण के साथ रात्रिकालीन पालियों में भी काम करने की अनुमति दिया जाना; और नियोक्ताओं पर अनुपालन बोझ को कम करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना के माध्यम से कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण की मार्जिन पूंजी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कम किया जाना ऋण संबंधी अड़चनों को दूर

> "भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी। हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बनाने, विशिष्ट क्षमता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की ज़रूरत है। इन सभी को हासिल करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2021–22 से होगी। इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा, वैश्विक दिग्गजों का सृजन होगा और देश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा।"
>
> वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

करेगा। बजट ने स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से कर अवकाश का दावा करने की पात्रता बढ़ाने और 31 मार्च, 2022 तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ की छूट का प्रस्ताव किया है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

भौतिक और वित्तीय बुनियादी ढांचा रोज़गार प्रदान करने के अलावा सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित रूपरेखा प्रदान करता है। बजट में 13 क्षेत्रों में उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा जिसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपये होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट्स और रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्टों तक पहुंच आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन लांच की गई है। विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र के लिए मेगा इंवेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ सबसे महत्वपूर्ण है। परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए परिव्यय में वृद्धि की घोषणा की गई है। सड़क क्षेत्र के लिए बजट में आर्थिक गलियारों से संबंधित योजनाओं की घोषणा की गई है, सार्वजनिक बसों के लिए पीपीपी मोड पर एक नई योजना शुरू करने और पुराने तथा बेकार वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति बनाई गई है। सड़क मार्ग के बाद देश में परिवहन का अगला सबसे महत्वपूर्ण साधन रेलवे है विशेष रूप से लंबी दूरी की सवारी यात्रा और माल ढुलाई के लिए। 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली लाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है। परिवहन का अपेक्षाकृत नया साधन यानी मेट्रो रेल को भी बजट में बढ़ावा मिला। मेट्रो रेल के लिए दो नई प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है। बजट में जहाजरानी क्षेत्र में व्यापारिक जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। 31 मार्च, 2022 तक किफायती आवास परियोजनाओं को कर अवकाश देना भी प्रस्तावित है।

बिजली क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिसकाम्स) को सहायता प्रदान करने के लिए

UNION BUDGET 2021-22

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

- पहला मानव रहित लांच दिसंबर 2021 में करने की तैयारी
- देश में समग्र रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड रुपये का आबंटन
- गहरे महासागरीय सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरी महासागर जैव विविधता के संरक्षण के लिए डीप ओशन मिशन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 4000 करोड़ रुपये का आबंटन
- अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ब्राजील के एमोजोनिया सैटेलाईट समेत कई छोटे भारतीय सैटेलाईट लेकर जाने वाले पीएसएलवी–सीएस 51 को लांच करेगी
- गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत चार भारतीय एस्ट्रोनोट्स को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट असपेक्ट में ट्रेनिंग दी जा रही है

जिसमें प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग और फीडर सेपरेशन, सिस्टम का अपग्रेडेशन इत्यादि शामिल हैं, जो वित्तीय सुधारों से जुड़ा है। बजट में एक नई सुधार–आधारित, परिणाम–आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना की घोषणा की गई है जिस पर 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका उद्देश्य डिस्कॉम की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता सुनिश्चित करना है। ईंधन आपूर्ति के संबंध में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी योजना) में एक करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की गई है। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी विकारों, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करते हुए रियायती एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को धुआं–रहित बनाना है। इसके अलावा, बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 100 और ज़िलों को जोड़ने, जम्मू और कश्मीर के लिए एक गैस पाइपलाइन परियोजना और एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर की घोषणा की गई है।

पिछले एक साल में प्रौद्योगिकी का उपयोग अभूतपूर्व रहा है जिससे अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई क्षेत्र अछूता रहा होगा। यहां तक कि आगामी जनगणना भारत के लिए पहली डिजिटल जनगणना होने की संभावना है। भुगतान के डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड भारत में निवेश करते हैं, बजट में निजी फंडिंग पर रोक, वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित शर्तों में छूट दी गई है।

कृषि क्षेत्र का अभिनंदन

कृषि क्षेत्र के सर्वव्यापी महत्व और सहलग्नता को देखते हुए 2020 में कृषि को लॉकडाउन से पृथक रखा गया था और आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में प्रकाशित अग्रिम अनुमानों[6] से संकेत मिलता है कि यह एकमात्र क्षेत्र है जो 2020–21 में 0.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगा। इसके मद्देनज़र बजट में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि के लिए कुछ घोषणाओं में शामिल हैं : कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाना; ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये करना; सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के कॉर्पस फंड को 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करके दोगुना करना; ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ा कर उसमे 22 जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को शामिल करना; 1,000 मंडियों को शामिल करके ई–एनएएम के कवरेज को बढ़ाना; एपीएमसी के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध कराना; आर्थिक गतिविधियों के लिए पांच प्रमुख मात्स्यिकी केंद्र विकसित करना; कृषि अवसंरचना और विकास उपकर की घोषणा और बहु–उद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना। किसान उत्पादक संगठनों के बढ़ते महत्व को देखते हुए फार्म गेट अवसंरचना के निर्माण की दिशा में कदम विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जो प्रभावी रूप से कॉर्पोरेट और सहकारी समितियों दोनों के मूल सिद्धांतों को पूरा करते हैं।

निष्कर्ष

पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का कार्य चुनौतीपूर्ण है। यह निश्चित रूप से एक कठिन काम है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस उपलब्धि के लिए अब दो घटक हैं अर्थात् सबसे पहले महामारी के गंभीर आघात से उबरना; और दूसरा विकास के द्रुत मार्ग को अपनाना। क्षति इतनी गहरी और व्यापक है कि अल्पावधि में पुनर्निर्माण और बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि यह आशावादी रूप से माना जा सकता है कि इस दुर्गम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अर्थव्यवस्था का लचीलापन स्पष्ट है खासकर एफडीआई और व्यापार में बहाली से। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक[7] ने 2021–22 में 10.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष[8] ने भी 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 11.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है जो 2020 में –8 प्रतिशत के निराशाजनक स्तर पर पहुंच गई थी। बजट घोषणाओं के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा से संबद्ध हैं। वर्तमान में डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : igtripathy@gmail.com

अवसंरचना विकास से सशक्त बनता ग्रामीण भारत

–अरविंद कुमार सिंह

संसद में 1 फरवरी को प्रस्तुत 2021–22 का बजट कोरोना महामारी की अभूतपूर्व स्थितियों के बावजूद ग्रामीण भारत के बदलाव की दिशा में जारी प्रयासों की गतिशीलता की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादन बढ़ाने, मूल्य संवर्धन, भंडारण, ग्रामीण सड़क, आवास एवं स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्यों के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। इसे जहां 'आत्मनिर्भर भारत' का बजट माना गया है वहीं ग्रामीण भारत की अवसंरचना को मज़बूत करने की कोशिशों को गति देने वाला बजट भी माना गया है।

"ग्राम स्वराज की मेरी अवधारणा यह है कि वहां पूरी तरह लोकतंत्र हो और अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए वह अपने पड़ोस क्षेत्र पर निर्भर न रहे।" –महात्मा गांधी–1942

संसद में 1 फरवरी को प्रस्तुत 2021–22 का बजट कोरोना महामारी की अभूतपूर्व स्थितियों के बावजूद ग्रामीण भारत के बदलाव की दिशा में जारी प्रयासों की गतिशीलता की प्रतिबद्ध ता को दर्शा रहा है। कोरोना संकट से भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक साल से जूझ रही है। हालांकि अब संकट उतार पर है और टीकाकरण अभियान की गति के साथ लोगों की सजगता से तस्वीर बदल रही है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इसने जो चुनौतियां खड़ी की हैं, उसका असर जाने में समय लगेगा।

आम बजट 2021–22 में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र खास चर्चा में रहा। किसान आंदोलन के नाते भी इस क्षेत्र पर सबकी निगाहें लगी थीं। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा में कई सांसदों ने कुछ अहम योजनाओं में धन आवंटन को असंतोषजनक माना, वहीं सरकार ने संसाधनों की कमी न होने देने का भरोसा दिलाया। किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादन बढ़ाने, मूल्य संवर्धन, भंडारण, ग्रामीण सड़क, आवास एवं स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्यों के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। इसे जहां 'आत्मनिर्भर भारत' का बजट माना गया है वहीं ग्रामीण भारत की अवसंरचना को मज़बूत करने की कोशिशों को गति देने वाला बजट भी माना गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के मौके भी सुलभ कराता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और गरीबी पर भी प्रहार होता है। आधारभूत ढांचा या अवसंरचना विकास ग्रामीण भारत के लिए बेहद अहम है। इसकी कमज़ोरी का खामियाजा ग्रामीण भारत दशकों से भुगत रहा है। अब कई क्षेत्रों पर इसका असर दिखने लगा है तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधरी है और रोज़गार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अतीत में चाहे सड़क और बिजली जैसी भौतिक कनेक्टिविटी का मसला हो या डिजिटल कनेक्टिविटी का, गांव बहुत पीछे रहे हैं। ज्ञान–आधारित कनेक्टिविटी और बाज़ार कनेक्टिविटी में पीछे रहने का फल भी ग्रामीणों ने भुगता। लेकिन अब 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत के गांवों की तस्वीर बदलने के लिए समयबद्ध योजना के साथ जो काम हो रहे हैं, उनका असर बिजली से लेकर संचार क्षेत्र और सड़कों से लेकर खेत–खलिहानों तक दिखने लगा है। इन सुविधाओं के विकास से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी तेज बदलाव दिख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर या शिक्षक जिन कारणों से गांवों में जाने से हिचकता था, वे कारण अब बीते दिनों की बात बन गए हैं। ग्रामीण स्वच्छता में आमूलचूल बदलाव के साथ कई नई संभावनाएं दिख रही हैं।

वैसे तो विभिन्न योजनाओं में भूमि सुधार, बंजर भूमि का विकास, ग्रामीण जलापूर्ति और रोज़गार सृजन को प्राथमिकता

1/2

- राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाईपलाइन का 74000 परियोजनाओं तक विस्तार किया जाएगा
- इसे सरकार और वित्तीय क्षेत्र दोनों की ओर से फंडिंग में भारी वृद्धि अपेक्षित है

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है

1. संस्थागत ढांचे को सृजित करना इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग
   - विकासात्मक वित्त संस्थान की स्थापना के लिए बिल लाया जाएगा
   - 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान

2/2

2. संपत्ति के मुद्रीकरण पर विशेष ज़ोर

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाइन लांच की जाएगी

कुछ मुख्य उपाय हैं :

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीजीसीआईएल में से प्रत्येक ने एक आईएनवीआईटी प्रायोजित की है
- रेलवे डेडीकेटट फ्रेट कॉरीडोर को शुरू होने के बाद प्रचालन और रख रखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा
- विमान पत्तनों को आगामी लॉट, प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा

3. पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि

- 5.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जोकि 2020–21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है

दी गई लेकिन अपेक्षित टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन नहीं हुआ। लेकिन हाल के सालों में आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित ग्रामीण सेक्टर की स्कीमों को काफी गति मिली है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, सौभाग्य–ग्रामीण, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के साथ डिजिटल भारत ग्रामीण इलाके को सशक्त बनाने की बुनियाद रख रहे हैं।

आज ग्रामीण बाज़ार औद्योगिक विकास के मुख्य संचालक बनते जा रहे हैं और बेहतर आवास, स्वच्छ पानी, बिजली, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक ग्रामीणों की पहुंच सुगम हुई है। अध्ययन बताते हैं कि 2012 की तुलना में इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों ने तो अनूठी प्रगति की है। ग्रामीण विकास के लिए रणनीति तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की भी बेहद अहम भूमिका इसमें रही। ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित में अपनी भूमिका निभा रहा है। गांवों में कुटीर और ग्रामोद्योगों, खेतीबाड़ी और सहायक गतिविधियों से देश के 54.6 फीसदी कामगारों की आजीविका आज भी चल रही है। कोरोना संकट में इस क्षेत्र ने देश को अपनी अहमियत बताई है। इस नाते इस बार भी आम बजट में ग्रामीण अवसंरचना के विकास को विशेष तरजीह जारी रखी गई है।

नई ताकत बनता मनरेगा

दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार योजना मनरेगा कोरोना संकट में वरदान बन कर उभरी। वर्ष 2021–22 के बजट में मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपये तक सीमित रहने पर कई सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया। वर्ष 2020–21 में मनरेगा का अनुमानित बजट 61,500 करोड़ रुपये था जिसे बढ़ा कर 1,11,500 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड तक पहुंचाया गया। कोरोना संकट में नए रोज़गार सृजित करने के साथ ग्रामीण इलाकों में सिंचाई, तालाब से लेकर सड़कों तक के निर्माण में इसने अहम योगदान दिया। इससे कृषि उत्पादकता भी बढ़ी। बजट में कटौती की आलोचना पर संसद में सरकार ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो वह और धन देने से हिचकिचाएगी नहीं। वर्ष 2019–20 के बजट में मनरेगा खर्च का अनुमान 60,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 71,001.81 करोड़ रुपये किया गया था और चालू वित्त वर्ष में भी ऐसा ही हुआ।

कोरोना संकट में अतिरिक्त बजट के साथ मनरेगा से 311.92 करोड़ मानव दिवस रोज़गार मिला। इससे लाभान्वित होने वालों में 52.69 फीसदी महिलाएं थीं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी काफी मदद मिली। मनरेगा के तहत हुए कुल कामों में 68.3 फीसदी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। इसमें 3.28 लाख काम जल संरक्षण के हुए। वहीं 4.24 करोड़ परिसंपत्तियों को जियो टैग करके पारदर्शिता भी सुनिश्चित की गई। सरकार ने एक अप्रैल, 2020 को मनरेगा की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ा कर 202 रुपये की और मनरेगा में खातों में 99 फीसदी मज़दूरी का भुगतान हुआ जबकि 2013–14 में यह 37.17 फीसदी तक ही था। मनरेगा के 261 स्वीकृत कामों से से 164 कृषि से संबंधित हैं। यह योजना स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से पंचायतों की प्राथमिकताओं के तहत गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियां भी बनाती है, इस नाते इसकी दोहरी उपयोगिता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण भारत के ऐतिहासिक बदलाव में बेहद अहम रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मद में 2021–22 में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020–21 में इस मद में 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे कोरोना संकट के दौरान संशोधित कर 13,706 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2021–22 में हुआ प्रावधान इस संशोधित अनुमान से अधिक है। 25 दिसंबर, 2000 से आरंभ हुई इस योजना से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख 42 हजार किलोमीटर सड़कें बनी है। योजना के तीसरे चरण में ग्रामीण बसावटों के साथ–साथ स्कूलों, बाज़ारों और अस्पतालों आदि से जोड़ने वाली एक लाख 25 हजार किमी. सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।

भारत का सड़क नेटवर्क आज दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है लेकिन इसमें ग्रामीण सड़कों का योगदान 80 फीसदी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आरंभ होने के पहले अधिकतर बसावटों में सड़क संपर्क दयनीय दशा में थे। योजना के पहले चरण में 6.46 लाख किमी. सड़क और 7238 पुलों को मंजूरी मिली और दूसरे चरण में 50 हजार किमी. सड़कों और 662 पुलों को मंजूरी मिली। इस योजना से 2010 से 2014 के दौरान 1.33 लाख किमी. सड़कें बनीं जिसकी तुलना में 2014 से 2018 के

बीच 1.69 लाख किमी. से अधिक सड़कें बनीं। इस योजना की बहुत–सी कमज़ोरियों को समय के साथ दूर करते हुए सुधारा गया। **मेरी सड़क ऐप** खराब सड़कों को ठीक कराने में काफी सहायक साबित हुआ। इस योजना का तीसरा चरण 2024–25 तक साकार होगा। इसकी अनुमानित लागत में से 53,800 करोड रुपये का खर्च केंद्र और 26,450 करोड़ रुपये राज्य वहन करेंगे। इस योजना से बाज़ारों तक किसानों की पहुंच के साथ आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में मदद मिली। चूंकि इसकी इकाई बसावट है न कि एक राजस्व ग्राम, इस नाते बेहतर संपर्क में मदद मिली।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना भी बेहद अहम है। संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए दो करोड़ घरों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति तेज़ की गई है। इस योजना के तहत 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 2021–22 में इस योजना के लिए 27,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण आवास योजनाएं पहले भी रहीं लेकिन उनमें कई खामियां थीं जिनको दूर करते हुए 20 नवंबर, 2016 को नई योजना आरंभ की गई। इसमें घरों में स्वच्छ जल, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं समाहित कर और सार्थक बनाया गया। घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर बढ़ाया गया और धन भी। साथ ही, कुछ दूसरे रास्ते भी तलाशे गए। मनरेगा से 90 से 95 दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद भी इसमें ली गई। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से तालमेल बना कर एलपीजी कनेक्शन और सौभाग्य योजना से तालमेल कर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें समाहित है। इस योजना से बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेत मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है। जितने भी घर बन रहे हैं, सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है।

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को कार्यशील नल कनेक्शन मुहैया कराना है। अगस्त 2019 से आरंभ की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर दैनिक जल सुलभता के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का व्यय होना है। इसमें केंद्रीय अंश 2.08 लाख करोड़ रुपये है। इसे जलशक्ति मंत्रालय साकार कर रहा है। वर्ष 2021–22 में इस मद में 50,011 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगस्त 2019 में देश के महज 17 फीसदी ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा था। लेकिन अब इस मिशन से 35.24 फीसदी ग्रामीण घरों में नल से पानी उपलब्ध है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां शत–प्रतिशत परिवारों को जल नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके बाद तेलंगाना का स्थान है। जल जीवन मिशन राज्यों के साथ भागीदारी में चलाया जा रहा है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी–ग्रामीण मिशन

भारत सरकार ने 16 सितम्बर, 2015 को 5142.08 करोड़ रुपये की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी–ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी थी। विकास की संभावनाएं समेटे 300 सघन ग्रामीण बसावटों में आधारभूत, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना के विकास के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना शामिल है। इस मिशन के लिए 2021–22 में 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें 14 वांछनीय घटक शामिल हैं। आर्थिक कार्यकलाप और कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि

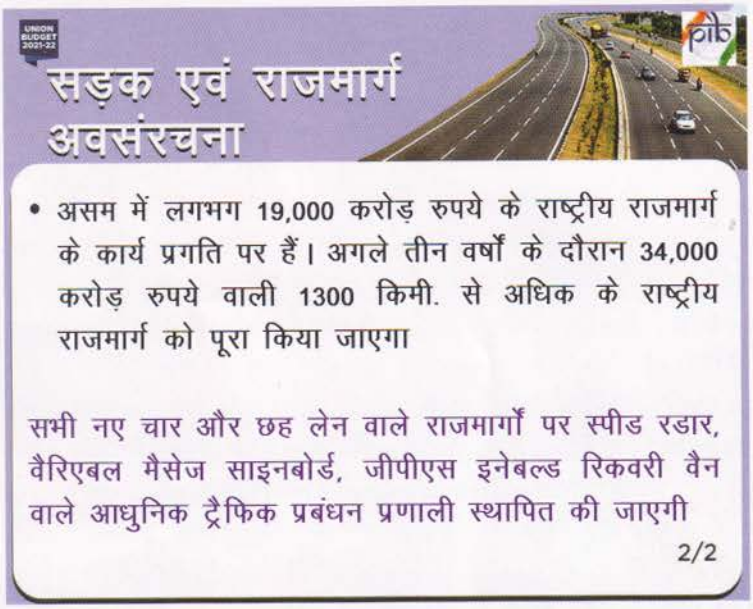

सेवाएं, संग्रहण और भंडारण, पूरी तरह सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, स्कूल, स्वच्छता, पाइप द्वारा जलापूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गलियां और नालियां, स्ट्रीट लाइट, सड़क से जुड़ाव और सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस, डिजिटल साक्षरता और नागरिक सेवा केंद्र शामिल हैं। यह योजना भी गति पकड़ रही है।

अन्य उल्लेखनीय पहलू

इस बार के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्रामीण हेतु 9994 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर 11588 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अत्यंत महत्व है और इसी के बूते हरित–क्रांति आई। फिर भी अभी देश के निवल बोए गए क्षेत्र में से 48 फीसदी सिंचित और 52 फीसदी वर्षा सिंचित हैं। इन योजनाओं के साथ सरकार किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान यानी कुसुम के तहत 2022 तक देश के तीन करोड़ डीज़ल या बिजली पंप सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जित करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है और जल संचय के तहत ड्रिप सिंचाई से लेकर कई क्षेत्रों में काम हो रहा है। सिंचाई के लिए 60 फीसदी पानी भूजल से उपयोग में लाया जा रहा है। लिहाज़ा जल के समझदारी से उपयोग पर भी सरकार का ज़ोर है।

गांवों में सड़कों और बिजली के आने के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अहम है। हर गांव तक बिजली पहुंचने के बाद से सरकार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चला रही है। कोविड–19 महामारी में संचार और आईटी क्रांति ने ग्रामीण भारत को भी काफी मदद की। ऑनलाइन शिक्षा से लेकर सरकारी तंत्र और ग्रामीण मंडियों तक पहुंच इससे सुनिश्चित हुई। आज डिजिटल संचार राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का केंद्रीय हिस्सा है। इस समय देश में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 74.90 करोड़ और मोबाइल फोनों की संख्या 117.52 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें ग्रामीण हिस्सेदारी कम लेकिन सम्मानजनक स्तर पर है। सभी पंचायतों में ब्राडबैंड होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी।

कोरोना संकट के दौरान सरकार की ओर से विशेष पहल के तौर पर 25 कामों पर फोकस कर 125 दिनों तक चले एक खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों के 116 जिलों में सड़क आवास, आंगनवाड़ी और पंचायत भवन समेत बहुत से कामों को साकार किया गया। इसके तहत 159,697 जल संरक्षण ढांचा, 481,210 ग्रामीण घरों और 3607 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के तहत 92,158 किमी. आप्टिकल फाइबल केबल बिछाया गया। इससे जहां गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को मदद मिली वहीं परिसंपत्तियां भी बनीं। उसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना भी आधारभूत ढांचे के विकास में प्रेरक का काम कर रही है। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं।

> 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष में अब मंडियों को भी शामिल किया गया है। इससे देश में एक हज़ार और मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जाएगा। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 40 हजार करोड़ रुपये की गई है।

कठिन हालात के बावजूद बजट में बुनियादी ढांचे की प्रगति को केंद्र में रख कर गांवों और किसानों को खास तरजीह दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का मानना है कि इस दशक का पहला बजट छह स्तंभों पर आधारित है। इसमें स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल किया गया है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष में अब मंडियों को भी शामिल किया गया है। इससे देश में एक हज़ार और मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जाएगा। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 40 हजार करोड़ रुपये की गई है। केंद्रीय करों में राज्यों को पहले केवल 30 से 35 फीसदी तक हिस्सा मिलता था लेकिन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद उनको 41 फीसदी धन मिल सकेगा जिससे राज्यों को भी गांवों की तस्वीर बदलने के लिए अधिक संसाधन सुलभ होंगे।

29 जनवरी को संसद में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। इनके पास सिर्फ एक या दो हेक्टेयर ज़मीन होती है। बेशक बजट ने छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों का ध्यान रखा है। अवसंरचना विकास के नाते आज देश के तमाम गांव जनभागीदारी से स्मार्ट गांवों में बदल रहे हैं। कई अनूठे प्रयोग भी हो रहे हैं। बेशक किसी बदलाव के पीछे कोई नायक होता है। लेकिन वास्तविक बदलाव समुदाय करता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी पर भी ठोस पहल करने, सामाजिक समीक्षा, वित्तीय अंकेक्षण, भौगोलिक टैगिंग और आईटी के उपयोग से गुणवत्ता और भरोसा कायम हुआ है। भ्रष्टाचार रुकने से ग्रामीणों की भागीदारी भी योजनाओं में बढ़ रही है। ग्राम संवाद, मेरी सड़क, आवास ऐप जैसे नागरिक–आधारित एप के साथ राष्ट्रीय–स्तर पर निगरानी से काम की गति तेज़ हुई है। पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व में भी बढ़ोतरी हुई है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज्यसभा टीवी में संसदीय और कृषि मामलों के संपादक रह चुके हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित और कई पुस्तकों के लेखक श्री सिंह की रचना एनसीईआरटी के आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल है।)

ई–मेल : arvindksingh.rtsv@gmail.com

शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा

–राशि शर्मा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी चरणों में समूची शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर व्यापक बदलाव की परिकल्पना की गई है। इसमें शिक्षा को और अधिक अनुभव–आधारित, समग्र, समन्वित, चरित्र निर्माण करने वाली, जिज्ञासा से प्रेरित, खोजपरक, सीखने वाले पर केंद्रित, संवादमूलक, लचीली और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण–आनंददायक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ऐसे अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना है जो युक्तिसंगत तरीके से सोच–विचार और कार्य कर सकें; जिनमें करुणा और सहानुभूति हो; साहस और विनम्रता हो; वैज्ञानिक मनोवृत्ति और सृजनात्मक कल्पना की क्षमता हो तथा जो नैतिकता और उच्च जीवन मूल्यों को स्वीकार करते हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी–2020) में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी चरणों में समूची शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर व्यापक बदलाव की परिकल्पना की गई है। इसमें शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में देखा गया है जिसमें कोई विभाजक रेखाएं नहीं हैं। इसमें शिक्षा को और अधिक अनुभव–आधारित, समग्र, समन्वित, चरित्र निर्माण करने वाली, जिज्ञासा से प्रेरित, खोजपरक, सीखने वाले पर केंद्रित, संवादमूलक, लचीली और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण–आनंददायक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ऐसे अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना है जो युक्तिसंगत तरीके से सोच–विचार और कार्य कर सकें; जिनमें करुणा और सहानुभूति हो; साहस और विनम्रता हो; वैज्ञानिक मनोवृत्ति और सृजनात्मक कल्पना की क्षमता हो तथा जो नैतिकता और उच्च जीवन मूल्यों को स्वीकार करते हों। इसका उद्देश्य हमारे देश के संविधान में उल्लिखित समतामूलक, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए कर्मठ, सहयोगी और उत्पादक नागरिकों का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भव्य परिकल्पना के तहत शिक्षा के तमाम स्तरों पर अनेक सुधार करने होंगे और सभी प्रतिभागियों का सक्रिय सहयोग हासिल करना होगा। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में इस ओर संकेत किया गया है कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद हमारे शैक्षिक मानदंडों में गिरावट आई है। यह धारणा कि बच्चों को स्कूल में लाने के लिए शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के पहले कदम के बाद शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में विचार किया जाना चाहिए, पूरी तरह भ्रांत धारणा है। बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रणाली से जोड़े रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और शिक्षा तक बच्चों की पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता, दोनों पर एक साथ विचार करना चाहिए। यह बुनियादी अवधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनेक अवसरों वाले, समतामूलक, न्यायोचित और मुक्त समाज के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भूमिका उत्प्रेरक की हो सकती है, तोता–रटंत शिक्षा को बढ़ावा देती है। इससे पिछले दशकों में विद्यार्थियों में सीखने के निम्न–स्तर की प्रवृत्ति दिखाई दी है। ऐसे में समूची शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों के माध्यम से उच्चतम–स्तर की गुणवत्ता, समतामूलकता और प्रामाणिकता लाना ज़रूरी है ताकि शैक्षिक अधिगम के वर्तमान परिणामों में उत्पन्न अंतराल को दूर किया जा सके। हमें इस धारणा को फिर से सुदृढ़ करना होगा कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस तरह की शिक्षा विद्यार्थी को सदाचारी, विवेकवान और क्षमाशील बनाती है और उन्हें ज़िम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करने के साथ–साथ उनके लिए उद्देश्यपूर्ण रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि करती है।

बजट 2021 में स्कूली शिक्षा की बुनियाद पर ध्यान दिया गया है जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। स्कूली शिक्षा के बारे में बजट में की गई घोषणाओं को मूलतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, शिक्षक, टेक्नोलॉजी, अभिनव शिक्षणशास्त्र, समतामूलकता व समावेशिता, मूल्यांकन प्रणाली में आमूल परिवर्तन और प्रौढ़ शिक्षा का सबलीकरण जैसे मुख्य विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच : बजट में शिक्षा को लेकर जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की गई है– वह 15,000 आदर्श स्कूलों के बारे में है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तमाम घटकों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता की दृष्टि से सुदृढ़ किया जाएगा। ये स्कूल बच्चों के सीखने के लिए ऐसा सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल उपलब्ध कराएंगे जिसमें भौतिक अवसंरचना के साथ–साथ सीखने में काम आने वाले उपयुक्त संसाधनों से उन्हें सीखने का विस्तृत अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

आदर्श विद्यालयों को ऐसे उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे बच्चों को ऐसे समतामूलक और समावेशी स्कूली माहौल तक पहुंच हासिल होगी जिसमें उनकी विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि, बहुभाषिक आवश्यकताओं और विविधतापूर्ण अकादमिक योग्यताओं का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय प्रतिभागी भी बनाया जाएगा। इन स्कूलों का मुख्य ज़ोर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास पर होगा। शिक्षकों को भी करके सीखने, कला से समन्वित और खेल–कूद से समन्वित शिक्षा, कहानी सुनाने और खिलौनों पर आधारित शैक्षिक गतिविधियों के जरिए सिखाने की प्रणाली अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदर्श विद्यालयों की अवधारणा को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा अन्य संबद्ध पक्षों के साथ सघन विचार–विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, एनजीओ/निजी/राज्य सरकारों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल और जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ताकि जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सुदृढ़ शैक्षिक ढांचा तैयार हो सके।

2. शिक्षक: देश की भावी पीढ़ियों के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षकों से हमारी अपेक्षाएं कई गुना बढ़ गई हैं– उनसे न सिर्फ अपने

मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना

स्कूली शिक्षा

- एनजीओ/निजी स्कूल/राज्य के साथ भागीदारी से 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी
- 15000 से अधिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के विशिष्ट स्कूल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी अवयवों को लागू किया जाएगा

उच्च शिक्षा

- लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी
- विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए समग्र संरचना तैयार करने के लिए ग्लू ग्रांट दी जाएगी

ज्ञान के आधार को अद्यतन करने तथा जहां भी संभव हो, वहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि यह भी उम्मीद की जाती है कि वे विद्यार्थियों की सामाजिक–भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्राथमिक स्तर के परामर्शदाताओं की भूमिका भी निभाएंगे तथा उनका मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों से इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट 2021 में उनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों के 56 लाख शिक्षकों को नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हैड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट (यानी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल–निष्ठा) के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी।

'निष्ठा' का शुभारंभ भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 21 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय मिशन के रूप में किया था। इसका उद्देश्य इस समन्वित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 42 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों, ब्लॉक संसाधन समन्वयकों तथा क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की क्षमताओं का निर्माण करना था। इस समन्वित कार्यक्रम की सबसे प्रमुख विशेषता इसके गतिविधि–आधारित मॉड्यूल हैं जिनमें शैक्षिक खेलकूद और क्विज़, सामाजिक–भावनात्मक अधिगम, प्रेरणास्पद संवाद, टीम निर्माण, स्कूल–आधारित मूल्यांकन के लिए तैयारियां, लगातार फीडबैक के लिए अंदरूनी प्रणाली का विकास, ऑनलाइन मॉनीटरिंग और सहायता कार्यक्रम और प्रशिक्षण से पूर्व तथा उसके बाद कमियों तथा प्रभाव का विश्लेषण शामिल है।

'निष्ठा' कार्यक्रम के तहत 2019–20 में कुल 23,137 'की–रिसोर्स पर्सन्स' (प्रमुख संसाधनकर्मियों) और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स (राज्य संसाधनकर्मियों) तथा प्राथमिक विद्यालयों के 16,99,931 स्कूल प्रमुखों व शिक्षकों को लॉकडाउन से पहले प्रशिक्षण दिया जा चुका था। महामारी के दौरान प्रशिक्षण के सभी 18 मॉड्यूलों को ऑनलाइन कर दिया गया। इसके लिए इन मॉड्यूल्स को संदर्भ के साथ 10 भाषाओं में अनुवाद करके दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया। 27 राज्यों और शिक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 7 संगठनों (सी.बी.एस.ई., केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, ए.ई.ई.एस., सैनिक स्कूलों, सी.टी.एस.ए.) और सी.आई.सी.एस.ई. ने करीब 24 लाख प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए दस भाषाओं (असमिया, बंगाली, बोडो, अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ओडिया, तेलुगु और उर्दू) में ऑनलाइन 'निष्ठा' पाठ्यक्रम शुरू किए। बजट 2021 की घोषणा के बाद अब 'निष्ठा' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए विस्तार किया जाना है। इसके अलावा, एक विशेष ऑनलाइन 'निष्ठा' प्रशिक्षण प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए भी तैयार किया जा रहा है जो उन्हें बुनियादी साहित्य और गणित के बारे में प्रशिक्षित करेगा।

तेज़ी से बदल रहे आज के युग में शिक्षकों को समय के अनुरूप संसाधनों से सुसज्जित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) तैयार किए गए हैं। एन.ई.पी.–2020 में दिशा–निर्देशक सिद्धांतों का एक साझा सेट तैयार करने की बात कही गई है जिसे संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक परामर्श से बनाया जाएगा। इन मानदंडों में विभिन्न विशेषज्ञताओं/स्तरों के शिक्षकों की भूमिका को लेकर अपेक्षाओं और उस स्तर की वांछित दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें हर स्तर के लिए कार्य निष्पादन आकलन के मानदंड तय करना भी शामिल है और यह आकलन आवधिक आधार पर किया जाएगा। आज शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित केवल न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित हैं। लेकिन एन.पी.एस.टी. में और अधिक विस्तृत मानदंडों को शामिल किया जाएगा जिनमें सभी प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें व्यवस्थित तरीके से शिक्षक के व्यवसाय के बारे में नियोजन शामिल हैं।

इतना ही नहीं, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की भी घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों का ऐसा पूल तैयार किया जाएगा जो एन.ई.पी.–2020 में किए गए प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के प्राध्यापकों को अल्पावधि और दीर्घावधि मेंटरिंग/व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के इच्छुक होंगे। मेंटरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनोवैज्ञानिक मदद और मेंटर तथा सहायता प्राप्त करने वाले के बीच अनौपचारिक संवाद (आमतौर पर लंबी अवधि के दौरान आमने–सामने की बातचीत के जरिए) शामिल होता है। इसलिए शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की मदद के लिए मेंटरों का पूल बनाने से राष्ट्र के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

3. टेक्नोलॉजी : एनईपी–2020 में अध्यापन–अधिगम, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षकों की तैयारी और उनके व्यावसायिक विकास, शैक्षिक पहुंच बढ़ाने तथा शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन व प्रशासन सहित प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन आदि से संबंधित तमाम प्रकियाओं को सुचारू बनाने में विभिन्न स्तरों पर टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। इसी संदर्भ में नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक अवसंरचना–इनडीआर) स्थापित करने की बात कही गई है। इस डिजिटल अवसंरचना से शिक्षा के विविधतापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास संभव हो सकेगा जिससे सभी हितधारकों, खासतौर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित होगी।

4. अभिनव शिक्षण शास्त्र : जैसाकि एनईपी–2020 में परिकल्पना की गई है, शिक्षण शास्त्र का इस तरह से विकास किया जाना चाहिए जिससे यह शिक्षा को व्यवहारमूलक, समग्रतापूर्ण, जिज्ञासा–प्रेरित, अन्वेषणमूलक, विद्यार्थी–केंद्रित, संवाद–आधारित,

नमनशील और आनंददायक अनुभव बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ़ शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा के तमाम चरणों में सीखने की अनुभव मूलक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसमें करके सीखने, शिक्षा के साथ कला और खेल–कूद को समन्वित करने और कहानियों के माध्यम से सिखाने जैसे तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह शिक्षकों को इस बात की स्वायत्तता भी प्रदान करता है कि वे कक्षाओं में अपनी रूचि की शिक्षण प्रविधि का चयन कर सकें। उपर्युक्त शिक्षण प्रविधियों के महत्व को रेखांकित करने का मूल उद्देश्य यह है कि अंततः हम सक्षमता पर आधारित अधिगम और शिक्षण को अपनाएं। बजट 2021 में सही मायने में मूल भावना को अपनाया गया है और इसमें खिलौनों पर आधारित अनोखी स्वदेशी अधिगम प्रक्रिया को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है।

खिलौनों से हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने और बच्चे के व्यक्तित्व के मनोतंत्रिका व भावात्मक पहलुओं को सुदृढ़ करने में मदद दी है। स्कूल–पूर्व शिक्षा में खिलौनों का उपयोग बच्चों में सीखने के लिए उत्सुकता पैदा करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग स्कूल–पूर्व कक्षाओं से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने में किया जा सकता है। शिक्षण–अधिगम संसाधन के रूप में खिलौनों में कक्षा की शिक्षण प्रविधि में आमूल परिवर्तन लाने की क्षमता है। कहानी सुनाने, ड्रामा शो आयोजित करने, वास्तविक जीवन की स्थितियों को अभिनीत करने आदि में खिलौनों का उपयोग बखूबी किया जा सकता है और पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को खिलौनों से जोड़कर अच्छे अधिगम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। खिलानों पर आधारित शिक्षण प्रविधि का उपयोग माता–पिता भी आसानी से कर सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। खिलौनों पर आधारित शिक्षण प्रविधि की अवधारणा को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है जो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय करीकुलम फ्रेमवर्क के साथ–साथ ई.सी.सी.ई. और अध्यापक शिक्षा के लिए भी एन.सी.एफ. (यानी राष्ट्रीय पाठ्यर्चा की रूपरेखा) तैयार करेगी और आधारिक साक्षरता तथा गणित के लिए ढांचा तैयार करेगी।

5. समतामूलकता व समावेशिता : राष्ट्रीय शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्य–4 (एसडीजी–4) के महत्व को भी रेखांकित करती है जिसे भारत ने 2015 में स्वीकार किया था। इसमें 2030 तक सभी को गुणवत्तायुक्त, समावेशी और समतामूलक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने और जीवन पर्यंत सीखने के मौके मुहैया कराने की बात भी कही गई है। बच्चों के लिए एक समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजट 2021 में घोषणा की गई है कि भारतीय संकेत भाषा (आई.एस.एल.) का मानकीकरण किया जाएगा ताकि ऐसे बच्चों को गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके मानकीकरण से समाज को समावेशी बनाने में सहयोग और योगदान करने के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे और देशभर में संकेत भाषा की अनेक बोलियों में कुछ एकरूपता आएगी। इससे सुनने से लाचार बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं के विकास में सक्षम हो सकेंगे। यही नहीं, इससे ऐसे सभी बच्चे एक–दूसरे के साथ आसानी से वार्तालाप कर सकेंगे और एक–दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इससे स्कूली शिक्षा के दौर में, जो विकास का नाजुक समय होता है, समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना का पुनर्गठन कर दिया गया है और इसके लिए केंद्रीय सहायता भी बढ़ा दी गई है। बजट 2021 में अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को 2020–21 से छह साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

6. मूल्यांकन प्रणाली में आमूल परिवर्तन : स्कूलों की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा बहुत ऊंचे अंक प्राप्त करना एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्षण है जो पूरी तरह तोता–रटंत पढ़ाई पर निर्भर है। ऐसी प्रणाली में विद्यार्थियों में सोचने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसीलिए कक्षाओं में पढ़ाई के साथ ही मूल्यांकन प्रणाली में (प्रश्न तय करना और उनका मूल्यांकन) रटने पर ज़ोर दिया जाता है। इस प्रणाली ने नौजवानों की ऐसी कई पीढ़ियां पैदा की हैं जिन्हें कभी सोचने की प्रेरणा नहीं मिली। नतीजा यह हुआ है कि इन्हीं विद्यार्थियों को आई.आई.टी., प्रतिरक्षा सेवाओं और विधि विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं में दाखिले के लिए ऐसी प्रवेश परीक्षा देनी होती है जिनमें उच्च–स्तरीय प्रश्नों और उच्चतर सोच वाली क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस विसंगति ने कोचिंग के कारोबार को फलने–फूलने का मौका दिया है ताकि स्कूली शिक्षा प्रणाली में खोखलेपन को भरा जा सके।

इसलिए, शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाने के लिए बच्चे की दक्षता पर आधारित, व्यक्तित्व का समग्र आकलन करने वाली, विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण और बहुभाषिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाली प्रणाली बनाकर और उसके आधार पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस की गई। एनईपी–2020 में सिफारिश की गई है कि हमारी स्कूली प्रणाली में मूल्यांकन के तौर–तरीकों में बदलाव का उद्देश्य पुरानी योगात्मक प्रणाली में परिवर्तन लाना है जिसमें विद्यार्थी की रटने की क्षमता ही मूल्यांकन का आधार होती है। इसमें ऐसा बदलाव लाने का प्रस्ताव है जो दक्षता पर आधारित हो, जो सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे और जिससे विद्यार्थी की विश्लेषण करने, आलोचनात्मक सोच और अवधारणात्मक स्पष्टता जैसे उच्चतर कौशलों की परीक्षा हो सके। इसमें यह भी कहा गया है कि समग्र विकास को बढ़ावा देने और बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव लाना ज़रूरी है। तभी कोचिंग लेने और रटे हुए की बजाय विद्यार्थी की मूलभूत

क्षमताओं/दक्षताओं का मूल्यांकन हो पाएगा। तभी स्कूली कक्षा में बुनियादी प्रयासों से ही बोर्ड की परीक्षा में भी बिना कोई कोचिंग हासिल किए या रटने का सहारा लिए विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।

बोर्ड परीक्षाओं के स्वरूप में बदलाव लाने के लिए बजट 2021 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में सुधार की वकालत की गई है। इसी के अनुसार सी.बी.एस.ई. ने अपने प्रश्नपत्रों के स्वरूप में बदलाव लाना शुरू किया है। उनमें ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जा रहे हैं जो संदर्भ/स्थितियों पर आधारित हैं। प्रश्न विभिन्न प्रारूपों में होंगे और विभिन्न विषयों में वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। सी.बी.एस.ई. की 2022 की बोर्ड की परीक्षाओं में दसवीं कक्षा की परीक्षा में अनुप्रयोग मूलक/स्रोत/स्थितियों पर आधारित प्रश्न 20 प्रतिशत और बारहवीं में 10 प्रतिशत होंगे।

विद्यार्थियों के लिए बजट में घोषित और एन.ई.पी.–2020 में परिकल्पित समग्र प्रगति कार्ड (पीएचसी) मूल्यांकन के पारम्परिक तरीके से एकदम हटकर है। स्कूल–आधारित मूल्यांकन के लिए सभी विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड समग्र प्रगति रिपोर्ट होगी जिसमें विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के तमाम पहलुओं का विस्तार से उल्लेख होगा जिनमें उसकी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनो–तंत्रिका क्षेत्र संबंधी विशिष्टताएं भी बताई जाएंगी। इसमें स्वमूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन को भी शामिल किया जाएगा तथा परियोजना आधारित और छानबीन आधारित अधिगम, क्विज़ प्रतियोगिताओं, रोल प्ले, सामूहिक कार्य, पोर्टफोलियो आदि के साथ–साथ शिक्षक का मूल्यांकन भी शामिल रहेगा। समग्र प्रगति रिपोर्ट (होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड–पीएचसी) से विद्यार्थियों को अपनी–अपनी क्षमता, रूचि के विषयों और मुख्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिससे उन्हें व्यावसाय संबंधी बेहतरीन निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य निश्चित रूप से सीखना ही होगा। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों तथा समूची स्कूली शिक्षा प्रणाली को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में लगातार सुधार करते हुए सभी विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास को अनुकूलतम बनाने में मदद मिलेगी। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों के मूल्यांकन का अंतर्निहित सिद्धांत होगा।

7. प्रौढ़ शिक्षा को मज़बूत बनाना : संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य–4.6 के अनुसार सभी नौजवानों और वयस्कों को, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, 2030 तक पढ़ना–लिखना सीखना और गणनाएं करना आना ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्रौढ़ साक्षरता के महत्व पर ज़ोर दिया गया है और कहा गया है कि बुनियादी साक्षरता हासिल करना, शिक्षा प्राप्त करना और आजीविका कमाना, प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार माना जाना चाहिए। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा से किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत सीखते रहने के दुनिया के दरवाज़े खुल जाते हैं जिससे वे व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर तौर पर प्रगति करने में सक्षम बनते हैं। समाज और राष्ट्र के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा जबर्दस्त शक्तिवर्धक की तरह हैं जिनसे विकास के अन्य सभी प्रयासों की सफलता काफी बढ़ जाती है। राष्ट्रों के बारे में वैश्विक डाटा से संकेत मिलता है कि साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। बजट 2021 में संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने और प्रौढ़ शिक्षा के समूचे परिदृश्य को शामिल करते हुए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने की बात कही गई है। 2030 तक प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना, सामुदायिक भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक होगा।

इन घोषणाओं के संभावित परिणाम

बच्चों के चरित्र के निर्माण तथा इक्कीसवीं सदी के कौशलों से सुसज्जित उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए करीब 15,500 स्कूलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए 'आदर्श' स्कूल के रूप में विकास किया जाएगा।

इन स्कूलों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी और समय के साथ–साथ ये आदर्श विद्यालय या उत्कृष्टता विद्यालय के रूप में उभर कर सामने आएंगे। ऐसे स्कूल अपने–अपने क्षेत्रों के दूसरे स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करेंगे। इन स्कूलों की शिक्षा समतामूलक, समावेशी और हंसी–खुशी के माहौल में प्रदान की जाएगी जिससे बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी बन सकेंगे।

शिक्षाशास्त्रीय अवधारणाएं अधिक प्रयोगमूलक, समग्र, समन्वित, जिज्ञासा से प्रेरित, अन्वेषणमूलक, विद्यार्थी केंद्रित, संवाद पर आधारित, लचीली और आनंददायक होंगी। शिक्षाशास्त्र में व्यावहारिक जीवन की स्थितियों को शामिल करने के साथ–साथ सक्षम बनाने वाले अधिगम को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी स्तरों पर खिलौनों पर आधारित शिक्षण पद्धति भी अपनाई जाएगी।

प्रत्येक कक्षा के हर विद्यार्थी के सीखने के परिणामों–यानी मात्रात्मक, शाब्दिक और तार्किक सोच संबंधी कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

समग्र प्रगति कार्ड (पी.एच.सी.) में केवल विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का उल्लेख करने की बजाय बहुआयामी मूल्यांकन पर ज़ोर दिया जाएगा जिसके तहत सहपाठी मूल्यांकन के साथ–साथ ये बातें भी शामिल होंगी :

- संज्ञानात्मक क्षेत्र
- भावनात्मक/रागात्मक क्षेत्र
- सामाजिक और मनोतंत्रिका मूलक/भौतिक आयाम

- जीवन मूल्य, स्वभाव और अभिवृत्ति संबंधी विवरण
- अर्जित अधिगम कौशल जैसे, आलोचनात्मक सोच, सृजनशीलता, सहयोग, समस्या समाधान आदि
- अर्जित जीवन कौशल जैसे साहस, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण, निर्णय करने की क्षमता आदि।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की बोर्ड परीक्षाओं के सुधारों का मुख्य ज़ोर इन्हें और अधिक लचीला तथा समसामयिक बनाने पर होगा–

- गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और समावेशी शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराने पर ज़ोर।
- भारतीय संकेत भाषाओं का मानकीकरण।
- शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण, मेंटरों का पूल तैयार करने और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय–स्तर पर विस्तृत व्यावसायिक मानदंडों का विकास।
- सभी स्तरों पर टेक्नोलॉजी का समन्वय और सुदृढ़ डाटा प्रणाली की उपलब्धता।
- प्रौढ़ साक्षरता के लिए उच्च कोटि की ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता।

ये घोषणाएं ऐसे समय में की गई हैं जब हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के माध्यम से प्रतिपादित प्रमुख आमूल परिवर्तनकारी कुछ विचारों के क्रियान्वयन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एन.ई.पी.–2020 से अत्यंत आवश्यक उत्साह और प्रगतिशील सोच का विकास हुआ है जिससे समूची शिक्षा प्रणाली में जबर्दस्त जिज्ञासा की भावना और जीवंतता उत्पन्न हुई है। बिग डाटा के आविर्भाव, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी संबंधी विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद अब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के साथ टेक्नोलॉजी को समन्वित करने की अपनी क्षमता को साबित करना है। साथ ही, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक सोच तथा रचनात्मक व अभिनव तरीकों से समस्याओं का समाधान खोजने योग्य बनाने के लिए समायोजित और सुसज्जित करना आवश्यक है। बजट 2021 में शिक्षा का आकलन समग्र दृष्टि से किया गया है और इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना को साकार करना है ताकि विद्यार्थियों के मन में भारतीयता की भावना न केवल सोच के स्तर पर, बल्कि कार्यकलापों, बुद्धि और आत्मिक–स्तर पर बड़ी गहरी जड़ें जमा सके। इसके अलावा, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, जीवन–मूल्यों और सोच का विकास करना भी है जिससे उनमें मानवाधिकारों, सतत विकास और जीवन तथा विश्व कल्याण के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिबद्धता उत्पन्न हो ताकि वे सही अर्थों में विश्व नागरिक बन सकें।

(लेखिका स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक हैं।)

ई–मेल : **rashi.edu@gov.in**

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को इसके सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित है–

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	434 रुपये	364 रुपये
2 वर्ष	838 रुपये	708 रुपये
3 वर्ष	1222 रुपये	1032 रुपये

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि

–संतोष पाठक

ग्रामीण समृद्धि के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बहुत व्यापक है। किसानों को मिलने वाली हर तरह की सब्सिडी (चाहे वो किसी भी रूप में हो) से लेकर ग्रामीणों के जीवन–स्तर और गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाएं मनरेगा, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन से लेकर स्वास्थ्य बीमा और जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का अंग हैं और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस लेख में विशेष तौर पर उन सरकारी योजनाओं का ज़िक्र किया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से मदद के लिए फंड का आवंटन किया जाता है और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ गांव में रहने वाले लोगों को मिलता है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन आज भी उतना ही सत्य है जितना आज से कई दशकों पहले तक हुआ करता था। वैसे ज़िक्र जब भी गांव या गांव की तरक्की का होता है तो ज़ेहन में सिर्फ किसान की ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। जबकि हकीकत में गांव एक समग्र समाज का रूप होता है जहां तमाम जातियों के लोग रहते हैं। अपने हाथ से मेहनत कर समाज को कुछ–न–कुछ देने वाले मेहनतकश इंसान रहते हैं। किसान से लेकर बढ़ई तक, कुम्हार से लेकर लोहार तक, हर कामगार तबका गांव में रहता है जो मेहनतकश और अपने आप में आत्मनिर्भर होता है और ये सब मिलकर ही गांव के समाज का निर्माण करते हैं इसलिए जब बात गांव के विकास और समृद्धि की आती है तो हमें किसानों के साथ–साथ इन सबके विकास को लेकर भी सोचना होगा।

ग्रामीण समृद्धि का मापदंड

गांव, किसान और भारत के परंपरागत समाज के विकास को मापने के पैमाने को लेकर हमेशा कई तरह के मत रहे हैं लेकिन वर्तमान में अगर ग्रामीण समृद्धि के स्तर को मापना चाहे तो इसे निम्नलिखित मापदंडों पर मापा जा सकता है–

1. आवास
2. रोज़गार
3. आजीविका
4. कौशल विकास या हुनर
5. असमानता या भेदभाव का खात्मा
6. जीवन के लिए ज़रूरी सुविधाओं की उपलब्धता।

उपरोक्त पैमानों के आधार पर हम निम्नलिखित तरीके से ग्रामीण समृद्धि को परिभाषित कर सकते हैं–

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण, सबके लिए घर

वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लक्ष्य के साथ 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) नामक इस पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के अंतर्गत घरों के निर्माण को पूरा करने की अवधि को कम करके 114 दिन कर दिया गया है। वित्तवर्ष 2020–21 के पहले चार महीनों के दौरान ही 1.10 करोड़ घरों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 1.46 लाख घर भूमिहीन लाभार्थियों के लिए हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2014 से लेकर अब तक कुल 182 लाख से ज्यादा मकान बनाए जा चुके हैं।

स्वामित्व योजना

इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत, बड़ी संख्या में गांवों में संपत्ति के मालिकों को अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक 6 राज्यों के 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा है। अब इस योजना में देश के हर गांव को शामिल किया जा रहा है। यह योजना भविष्य में गांवों के सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

"सरकार द्वारा लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान है। सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय–सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी है। प्रवासी मज़दूरों के लिए किराये के सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान में वित्तमंत्री ने सस्ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।"

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर ढांचे तैयार किए गए हैं। अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार 1,37,787 जल संरक्षण ढांचा, 4,31,640 ग्रामीण घर, 38,287 मवेशियों के लिए शेड, 26,459 पोखर और 17,935 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा चुका है। इस अभियान के दौरान ज़िला खनिज निधि के माध्यम से 7,816 काम किए गए हैं। 2,123 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 22,592 कार्य किए गए हैं जबकि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 65,374 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है। अभियान के 16वें सप्ताह तक कुल 33 करोड़ कार्यदिवस का रोज़गार मुहैया कराया गया और अक्टूबर 2020 तक अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 33,114 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

दरअसल, कोविड–19 संकट के चलते अपने गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण इलाकों में इससे प्रभावित नागरिकों को रोज़गार और आजीविका के अवसर मुहैया कराने के मकसद से गरीब कल्याण रोज़गार अभियान को शुरू किया गया था। उन छह राज्यों में यह अभियान मिशन मोड की तरह काम कर रहा है, जहां श्रमिक अपने पैतृक गांव लौटे हैं। इन राज्यों के 116 ज़िलों में यह अभियान आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है।

अभियान की सफलता को अब तक 12 मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के अभिन्न प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है, जो प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को इतने बड़े पैमाने पर लाभ मुहैया करा रहे हैं। उन लोगों के लिए रोज़गार और आजीविका के अवसर मुहैया कराने के मकसद से दीर्घकालीन पहल की जा रही है जिन्होंने वापस गांव में ही रहने का फैसला कर लिया है। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रमदिवस रोज़गार सृजित किए गए हैं और 31,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

मनरेगा

ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने वाली केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना– मनरेगा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस योजना का लाभ किसानों के साथ–साथ गांव में रहने वाले हर तबके के व्यक्तियों को मिलता है इसलिए यह माना जाता है कि इस योजना से पैसा ग्रामीणों की जेबों में पहुंचता है और इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मिलता है। वर्ष 2021–22 के बजट में मनरेगा योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले बजट की तुलना में तो अधिक हैं मगर संशोधित अनुमान, 1,11,500 करोड़ रुपये से 34.5 प्रतिशत कम हैं। वैसे तो यह पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 38,500 करोड़ रुपये कम है लेकिन यह भी तथ्य है कि पिछले वित्तीय वर्ष में शुरुआत में आवंटित राशि की तुलना में यह ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में पहले इस योजना के लिए 61,500 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया था लेकिन कोरोना काल में बढ़ी बेरोज़गारी के हालात के देखते हुए सरकार ने इसे 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये कर दिया था। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि भले ही सरकार ने बजट आवंटन को पिछले साल के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष कम कर दिया हो लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे और मनरेगा की मांग ज़्यादा रही तो सरकार संशोधन के ज़रिए आवंटित राशि को बढ़ा भी सकती है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है जिसे दूर किए बिना ग्रामीण समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गांवों में बेरोज़गारी का एक और रूप भी पाया जाता है जिसे छिपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को न्यूनतम मज़दूरी के बराबर या फिर उससे अधिक पर रोज़गार दिलाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर में लगभग 5.5 करोड़ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर स्थायी रोज़गार दिलाना है। यह भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई कई पहलों में से एक है। यह गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है। इसमें सामाजिक रूप से वंचित समूह के अनिवार्य कवरेज द्वारा उम्मीदवारों का पूर्ण सामाजिक समावेश भी सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना में 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा गया है जबकि 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए और 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों में एक तिहाई संख्या महिलाओं के होने को भी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत अब तक 10,91,027 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार ने मार्च 2022 तक कुल 28,82,677 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए उनकी गरीबी दूर करना है। वैसे तो इस योजना को जून, 2011 में शुरु किया गया था लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस मिशन ने स्वयंसहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 ज़िलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है, जो एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा होगा। इसके अतिरिक्त, गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने में, तरह–तरह के जोखिम उठाने में और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत गरीबों में सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण से जुड़ी क्षमताओं का विकास किया जाता है ताकि वो अपने जीवन–स्तर को सुधारने के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में भी अहम योगदान दे सकें। इस योजना के तहत अब तक 34.5 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 2021–22 के बजट में ग्रामीण आजीविका मिशन का बजट बढ़ा दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के लिए 9,210 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में 48 प्रतिशत बढ़ाकर 13,677 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार के अवसर बढ़ाने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

एक राष्ट्र–एक राशनकार्ड मिशन

एक राष्ट्र एक राशनकार्ड वैसे तो राशन देने की योजना का विस्तार है, लेकिन इसका सीधा फायदा गरीबों को मिलता है। खासतौर से उन गरीबों को जो गांवों से पलायन करके शहर आ जाते हैं और संकट के समय जिन्हें फिर से गांव की तरफ ही जाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ही भारत सरकार ने इस योजना को लांच किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राशनकार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने एनएफएसए खाद्यान्न/लाभों तक पहुंच के लिए सशक्त बनाना है। वर्तमान में यह प्रणाली 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मूल रूप से लागू है और इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं और यह एनएफएसए की 86 प्रतिशत आबादी को कवर कर रही है।

एक देश, एक राशनकार्ड का मतलब एक ही राशनकार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी–आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित ना रहे। मार्च 2021 तक शत–प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

बेटियों के जन्म का उत्सव – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटा बेटी एक समान और कन्या के जन्म का उत्सव मनाने के नारे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने और इस जन्मोत्सव पर 5 पेड़ लगाने का अनुरोध भी लोगों से किया। इसका लक्ष्य स्पष्ट था। शिशु लिंगानुपात की असमान दर को कम करने के साथ–साथ महिलाओं को मज़बूत बनाना। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में PC तथा PNDT कानून को सख्ती से लागू किया गया, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया गया एवं साथ ही सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 100 ज़िलों को छांट कर वहां विशेष अभियान शुरु किया गया। हरियाणा के बीबीपुर के एक सरपंच द्वारा शुरु किए 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान ने तो देशभर में सुर्खियां बटोरी थी।

सुकन्या समृद्धि योजना – सामर्थ्य योजना

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्याश्री प्रकल्प और धनलक्ष्मी जैसी कई योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके तहत सरकार कन्या के जन्म के समय प्रोत्साहन राशि, पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप और शादी के लिए सरकारी आर्थिक सहायता देती है। वर्ष 2017–18 में इस अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वर्ष सरकार ने इस तरह की कई योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे लाकर 'सामर्थ्य' योजना के अंतर्गत कुल 2,522 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस सामर्थ्य योजना में 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' योजना के साथ–साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौशल कार्यक्रम, क्रेच और जेंडर बजट को भी एक साथ जोड़ दिया गया है।

सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण

सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई है और 2025–26 तक की 6 वर्षों की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा।

बजट 2021–22 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का वार्षिक परिव्यय वित्त वर्ष 2020–21 के संशोधित वार्षिक परिव्यय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के आगे की पढ़ाई के लिए केंद्र

सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भी 5 गुना की वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति–बहुल 3500 गांवों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 1800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में सभी मंत्रालयों के लिए बजटीय आवंटन 2020–21 के 83,256 रुपये की तुलना में 51.65 प्रतिशत बढ़ाकर 1,26,259 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को शामिल किया गया है। साथ ही, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जोकि इस वर्ष के बजट अनुमान से दोगुना है।

उज्जवला योजना एक करोड़ और लोगों को मिलेगा लाभ

स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की थी। यह योजना एक धुंआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और उस समय वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों खासकर गरीबी–रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक देश के 8.3 करोड़ से ज़्यादा परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। वर्ष 2021–22 का बजट पेश करते समय वित्तमंत्री ने उज्ज्वला योजना का लाभ एक करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की। बजट पेश करते समय वित्तमंत्री ने बताया कि कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान भी बिना किसी रूकावट के ईंधन की आपूर्ति की गई। वित्तमंत्री द्वारा सदन को यह जानकारी भी दी गई कि ऑटोमोबाइल को सीएनजी उपलब्ध करवाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और घरों में पाइप कुकिंग गैस का विस्तार 100 और ज़िलों तक किया जाएगा।

गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ

2021–2022 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्लेटफॉर्म और गिग कर्मचारियों को भी दिए जाने का ऐलान किया। उन्होने कहा कि सरकार ने गिग कर्मचारियों, भवन और सनिर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का विचार किया है। इस पोर्टल में तमाम जानकारी को एकत्र किया जाएगा ताकि इन लोगों को भी स्वास्थ्य, ऋण, खाद्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ दिए जा सकें। उन्होंने सदन को बताया कि पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों समेत समूचे कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी वे हैं जो विभिन्न ई–कामर्स सेवाओं मसलन उबर, ओला, स्विगी और ज़ोमैटो से जुड़े हैं। इन्हें वेतन नहीं मिलता जिससे ये सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, समूह बीमा और पेंशन से वंचित रहते हैं।

चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। खेती और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग भी असंगठित क्षेत्र के कार्यबल में ही गिने जाते हैं।

प्रवासी कामगार और मज़दूरों का कल्याण– श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी

भारत सरकार ने 2021–22 के बजट में प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार ने देश में कहीं भी राशन का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना शुरू कर दी है जिसका लाभ प्रवासी कामगारों ने सबसे अधिक उठाया है। योजना लागू होने से अब तक 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 86 प्रतिशत लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जा चुका है। अन्य 4 राज्य भी अगले कुछ महीनों में इसमें एकीकृत हो जाएंगे। साथ ही, सरकार ने गैर–संगठित मज़दूरों, प्रवासी कामगारों विशेष रूप से इनके लिए सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे प्रवासी मज़दूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट, और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी।

साथ ही, वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की कि श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी है और इसे लागू करके सरकार उस प्रक्रिया को पूरी कर पाएगी जिसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले हुई थी। इसके जरिए पहली बार नावों और प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। इसमें सभी श्रेणी के मज़दूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाज़त होगी, जिसमें वह रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा, जिससे वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे।

दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवाओं का ख्याल

केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के सामाजिक सहायता कार्यक्रमों तथा मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रमों के लिए भी आवंटित की गई राशि में पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोत्तरी की है। हालांकि कोविड 19 के काल में भी ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, खासकर उज्ज्वला जैसी योजनाओं के लिए जिसकी वजह से लाखों महिलाओं के

जीवन–स्तर में बड़ा बदलाव आया है।

स्वास्थ्य एवं खुशहाली

स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश में इस बार केंद्र सरकार की तरफ से उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। बजट में वित्तवर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है जोकि पिछले साल के 94,452 करोड़ रुपये से 137 प्रतिशत ज्यादा है। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मज़बूत होंगे, और नए संस्थानों का सृजन होगा, जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। इस योजना के तहत 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी। 11 राज्यों के सभी ज़िलों और 3382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 602 ज़िलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा।

गांव और ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास

गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समग्र रूप से तभी मिल पाएगा जब उसे चलाने वाले सभी मंत्रालय एक साथ मिल कर काम करें। इसी रणनीति को अपनाते हुए समन्वय को और ज़्यादा मज़बूत किया गया है। वर्तमान में देखें तो मनरेगा के अंतर्गत सिर्फ रोज़गार ही नहीं मिल रहा है बल्कि इसी योजना में उन्हें दिए जाने वाले घरों का भी निर्माण हो रहा है। इन मकानों को विद्युत मंत्रालय की मौजूदा योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के अलावा स्वच्छ भारत मिशन एवं मनरेगा के अंतर्गत घरों में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन भी प्रदान किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, 1.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए उनकी आजीविका का विकास करने और उनके लिए अनेक प्रकार के अवसरों का निर्माण करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में इन प्रयासों के जरिए केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में घर जमा चुकी असंतुलन की व्यवस्था को भी बदलने का प्रयास कर रही है। सरकार का यह दावा है कि पिछले 6 वर्ष 9 महीनों में गांवों के विकास और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

13वें वित्त आयोग में पांच वर्ष के लिए देश की पंचायतों को

> "अपने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए है, हम 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों पर कर–अनुपालन का बोझ कम करेंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट देने का प्रस्ताव रखती हूं। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा।"
>
> वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

विकास के लिए 65 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। किंतु 2015 में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में पंचायतों को 2 लाख 292 करोड़ रुपये देने की अनुंशसा की गई और विगत पांच वर्षों में सरकार ने इसमें से 96 प्रतिशत राशि पंचायतों को सीधे पहुंचायी है।

सात साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ परिवारों के पास अपना मकान नहीं था। शौचालय, बिजली, रसोईगैस जैसी सुविधाओं का अभाव था, जिसे सरकार ने दूर किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देश में अब तक 1 लाख 78 हजार बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। दूसरे कार्यकाल में इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 लाख 25 हजार किमी. सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय देश में 7 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं 63 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मिशन से जुड़कर उत्पाद बना रही हैं।

ग्रामीण समृद्धि हेतु प्रावधान

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सरकार ने कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 148,301 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। एक लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अब कृषि उपज समितियां भी धन ले सकेंगी, इसके लिए पेट्रोल–डीज़ल पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया है जो 2 फ़रवरी से लागू हो गया है। एक हजार और मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जाएगा। कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। उर्वरक सब्सिडी 79,530 करोड़ रुपये रखी गई है जबकि 2020–21 के संशोधित अनुमानों में ये राशि 133,947 करोड़ रुपये थी। फसल बीमा योजना का इस बजट में आवंटन 16,000 करोड़ रुपये है जबकि 2020–21 में 15,695 करोड़ रुपये था। संशोधित अनुमानों में ये राशि 15,307 करोड़ रुपये थी। बजट सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, "नए कृषि सुधारों से देश के 10 करोड़ किसानों को तुरंत लाभ मिलना शुरू हुआ है।"

सबसे खास बात यह है कि 2021–22 के बजट के मुताबिक ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए सरकार 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। ये पैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। पिछले साल के बजट 2020–21 के दौरान सरकार ने इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : santosh.pathak2401@gmail.com

महिलाओं और युवाओं के लिए आशा का संदेश

–बनश्री पी.

वित्तमंत्री के बजट भाषण में भारत की महिलाओं और नौजवानों के लिए आशा का एक संदेश है। यह बजट भारत के फिर से उभरने, विनिर्माण और उससे संबंधित क्षेत्रों को सुदृढ़ करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स में नया जोश जगाने में मदद करेगा साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं के लिए बजट में किए गए प्रावधानों से महिलाओं के लिए नए अवसर सामने आए हैं जिनका फायदा उठाकर वे देश की अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने में अपना उचित योगदान दे सकती हैं।

आत्मनिर्भता आज समय की आवश्यकता है। बजट में प्रस्तावित पहल और विभिन्न क्षेत्रों व योजनाओं में निवेश में वह शक्ति है जिससे करोड़ों महिलाओं के जीवन को नई दिशा मिल सकती है और पोषक आहार और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाएं अधिक आसानी से उनकी पहुंच के दायरे में आ सकती हैं। उचित कौशलों का प्रशिक्षण हासिल करने से जहां उनकी रोज़गार प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, वहीं उन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सकता है।

भारत ने पिछला एक साल कोविड–19 महामारी से निपटने और उससे पैदा हुई आर्थिक अफरा–तफरी से जूझते हुए बिताया। 2020–21 की आर्थिक समीक्षा में वित्तवर्ष 2021–22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 15.7 प्रतिशत की भारी गिरावट पहली छमाही में और 0.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट दूसरी छमाही में आने की आशंका है। अगर क्षेत्रवार विचार करें तो कृषि के क्षेत्र में आशा की कुछ किरणें दिखाई देती हैं जबकि अनुबंध–आधारित सेवाओं, विनिर्माण, निर्माण गतिविधियों आदि पर सबसे बुरा असर पड़ा है। इतना ही नहीं, असंगठित क्षेत्र और अर्धकुशल रोज़गार करने वालों को महामारी का सबसे ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। असंगठित क्षेत्र की इकाईयां बंद होने से उनमें काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों की रोज़ी–रोटी छिन गई और सिर के ऊपर मंडराते कोविड–19 महामारी के संक्रमण के खतरे के बीच उन्हें अपने घरों को लौटने को मज़बूर होना पड़ा। पूर्वानुमान के अनुसार लॉकडाउन के बाद पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ, लेकिन दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का ग्राफ अंग्रेजी के 'वी' अक्षर की आकृति बनाता हुआ सुधरने लगा और गिरावट 7.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। इसके साथ ही दूसरी तिमाही में तमाम प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे। जुलाई से अर्थव्यवस्था का ग्राफ 'वी' की आकृति बनाता हुआ सुधरता जा रहा है और पहली तिमाही की गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में सुधार साफ नजर आने लगा है।

इसी पृष्ठभूमि में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021–22 का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष 2021 में भी जारी है और अगले वित्तवर्ष के बजट का मुख्य ज़ोर अन्य बातों के साथ–साथ "पहले राष्ट्र को प्राथमिकता, किसानों की आमदनी दुगुना करने, बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, स्वस्थ भारत, सुशासन, नौजवानों के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और समावेशी विकास" पर है। वर्ष 2021–22 के बजट प्रस्ताव छह स्तंभों पर आधारित हैं–स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी सृजन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानवीय पूंजी में नए जीवन का संचार, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास तथा न्यूनतम सरकार–अधिकतम शासन को बढ़ावा देना।

वित्तमंत्री के बजट भाषण में भारत की महिलाओं और नौजवानों के लिए आशा का एक संदेश है। यह बजट भारत के फिर से उभरने, विनिर्माण और उससे संबंधित क्षेत्रों को सुदृढ़ करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स में नया जोश जगाने में किस तरह मदद करेगा, इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं के लिए बजट में किए गए प्रावधानों से महिलाओं के लिए नए अवसर सामने आए हैं जिनका फायदा उठाकर वे देश की अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने में अपना उचित योगदान दे सकती हैं।

महिलाएं और स्वास्थ्य क्षेत्र

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

बजट में की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है जिसमें इतनी ताकत है कि यह सभी महिलाओं पर असर डाल सकती है। चाहे वे प्रतिभागियों या लाभार्थियों के रूप में हों, कुशल और अर्धकुशल कामगार हों या ग्रामीण अथवा शहरी महिलाएं हों। 64,180 करोड़ रुपये लागत की इस योजना के अंतर्गत अगले छह वर्षों में देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने का विशाल लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली के प्राथमिक, द्वितीयक और त्रितीयक स्तर की सुविधाओं का विकास किया जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और नई संस्थाओं का विकास किया जाएगा ताकि नई और नए रूपों में सामने आ रही बीमारियों का पता लगा कर उनका इलाज किया जा सके। यह कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा होगा। इस योजना के अंतर्गत मुख्य गतिविधियां इस प्रकार होंगी: देश में 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मदद करना, सभी ज़िलों में समन्वित जन'स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और 11 राज्यों के 3382 ब्लॉकों में जन स्वास्थ्य इकाइयां खोलना, 602 ज़िलों और 12 केंद्रीय संस्थाओं में क्रिटिकल केयर अस्पताल खंडों का निर्माण करना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को सुदृढ़ करना, देशभर में इसकी पांच क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों की स्थापना करना। इस समय देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों में से लगभग आधी महिलाएं हैं जो डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, मिडवाइफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इसलिए अगर किसी स्वास्थ्य योजना की पहुंच बढ़ाने, क्रियान्वयन और निगरानी में महिलाएं अधिक बेहतर भूमिका निभा सकती हैं तो ऐसी योजना भारतीय महिलाओं के जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकती हैं।

स्वास्थ देखभाल करने वाले कर्मियों से संबंधित दो प्रस्तावित विधेयक–राष्ट्रीय अनुषंगी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कर्मी विधेयक और राष्ट्रीय नर्सिंग तथा मिडवाइफरी आयोग विधेयक में भी महिला चिकित्साकर्मियों की विशिष्ट आवश्कताओं का ध्यान रखा गया है।

महिलाओं के लाभ की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं

मिशन पोषण 2.0

संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पोषण के स्तर, वितरण और परिणामों को सुधारने के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया जाएगा और मिशन पोषण 2.0 चलाया जाएगा। देश के 112 आकांक्षी ज़िलों में पोषण संबंधी नतीजों में सुधार के लिए हम सघन रणनीति अपनाएंगे। अगले वित्त वर्ष में महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 24,435 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो वर्ष 2020–21 के मुकाबले 16.31 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2020–21 में इसके लिए 30,007.09 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे जिसे बढ़ाकर 21,008.31 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 24,435 करोड़ रुपये में से सबसे अधिक 20,105 करोड़ रुपये की राशि हाल में घोषित सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 योजना के लिए आवंटित की गई है। पोषण 2.0 एक व्यापक योजना है जिसके दायरे में

समन्वित बाल विकास सेवा, आंगनवाड़ी सेवा, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है। मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं) के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के अभियान) के लिए 3109 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन शक्ति के निम्नलिखित घटक हैं : संभल (एक ही स्थान पर महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हैल्पलाइन/स्वाधार/उज्ज्वला, विधवा आश्रम जैसी सुविधा देने वाले केंद्र) और सामर्थ्य (बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, शिशु गृह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजटिंग, कौशल संपन्न बनाना, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि)। महिला और बाल विकास मंत्रालय के स्वायत्त निकायों– राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए आवंटन को भी 2021 के बजट में बढ़ा दिया गया है। मिशन पोषण 2.0 से खाद्य और पोषण सुरक्षा, खासतौर पर प्रवासियों के लिए इस तरह की सुरक्षा में वृद्धि होने की संभावना है। इन मिशनों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के लिए किए जा रहे पोषण संबंधी प्रयासों के परिणामों में सुधार लाना है जिन्हें प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक तौर–तरीकों और नियमों के चलते अक्सर सबसे आखिर में और सबसे कम खाने को मिलता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

बजट में महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाली एक अन्य योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत एक करोड़ और महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई, 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को धुंए से मुक्त करने के लिए गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को पांच करोड़ रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। बाद में इस लक्ष्य में संशोधन किया गया और मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कर दिया गया। अब वित्तमंत्री ने एक करोड़ और महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की अगले तीन वर्षों में 100 और ज़िलों को शहरी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाने की योजना है जिससे शहरी महिलाओं को लाभ मिलेगा।

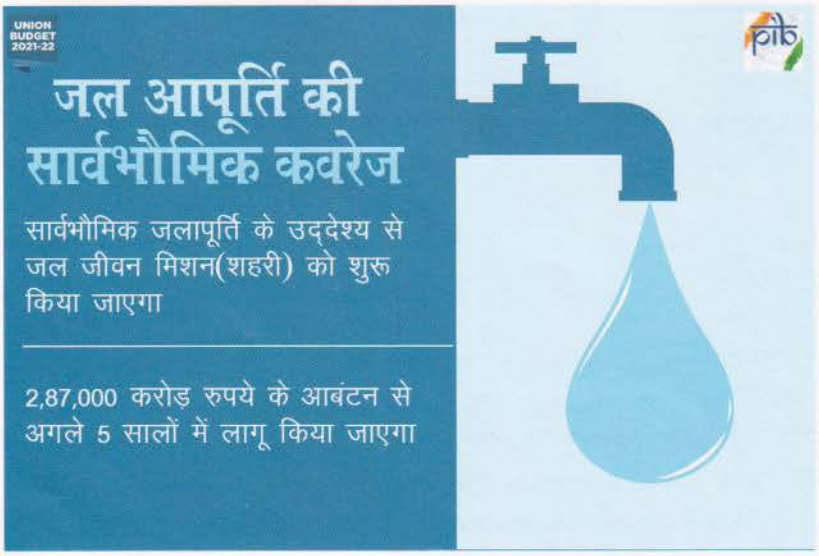

जल जीवन मिशन (शहरी)

सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत लाने से महिलाओं को घरेलू कामकाज में लगने वाले अतिरिक्त समय और परिश्रम से कुछ राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन (शहरी) का उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले 2.86 करोड़ परिवारों को पाइप लाइनों के ज़रिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और 'अमृत' योजना के अंतर्गत आने वाले 500 शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसे पांच साल में लागू किया जाएगा और इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

इन योजनाओं से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा क्योंकि इन सुविधाओं के अभाव में महिलाएं ही सबसे अधिक कष्ट उठाती हैं।

महिला श्रमशक्ति की भागीदारी

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला श्रमिकों की संख्या 14.98 करोड़ है जिनमें से 12.18 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.8 करोड़ शहरी इलाकों में हैं। लेकिन जब रोज़गार खोजने का सवाल उठता है तो इस तरह की महिलाओं की संख्या कामकाजी या रोज़गार ढूंढ रही महिलाओं के सिर्फ 18.6 प्रतिशत के बराबर है। दूसरी ओर, पुरुषों के मामले में 2018–19 में यह संख्या 55.6 प्रतिशत के बराबर थी। सामाजिक रीति–रिवाज़ों की वजह से महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी (एफएलएफपी) कभी बहुत अधिक नहीं रही है, फिर भी हाल के वर्षों में इसमें भी गिरावट आ रही है। वर्ष 2018–19 में 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यह तेज़ी से घटकर 24.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी जबकि 2011–12 में यह 31.2 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, यह 45 प्रतिशत के वैश्विक औसत से भी काफी कम है। हालांकि भारत में एफएलएफपी ऐतिहासिक दृष्टि से ही कम रहा है, लेकिन ताज़ा रुझानों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि श्रमशक्ति में उनकी संख्या कम होती जा रही है जबकि घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब देश में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास हो रहा है।

कोविड–19 महामारी से स्थिति और खराब हुई

और शिक्षा, घरेलू कार्य, पर्यटन और रेस्तरां जैसे क्षेत्रों की नौकरियों में, जिनमें महिलाएं बड़ी तादाद में कार्य करती हैं, भारी कमी आई है। कोविड–19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट ने जहां कुछ क्षेत्रों पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक असर डाला है, वहीं इसने पहले से मौजूद कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है। एक प्रमुख विषमता मज़दूरी वाले और बिना मज़दूरी के किए जाने वाले कार्यों में स्त्री–पुरुष असमानता की है। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा भी महिलाओं को रोज़मर्रा के घरेलू कामकाज में बढ़ोत्तरी, स्वास्थ्य और पोषण में कमी तथा आर्थिक अवसरों के कम होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हालांकि स्त्री और पुरुष, दोनों ही पर आर्थिक संकट का असर पड़ा है, लेकिन पुरुषों ने अपेक्षाकृत आसानी से फिर से रोज़गार प्राप्त कर लिया है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट के अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2019 में काम कर रही महिलाओं में से केवल 16 प्रतिशत लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद अपनी नौकरियों में बनी रह सकीं जबकि इस तरह के पुरुषों की संख्या 60 प्रतिशत रही। लॉकडाउन का सबसे अधिक दुष्परिणाम शहरी महिलाओं को उठाना पड़ा। नवंबर 2020 में रोज़गार से हाथ धोने वाली करीब 67 लाख महिलाओं में से 23 लाख ग्रामीण महिलाएं थीं जबकि शहरी महिलाओं की संख्या 44 लाख थी। इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से भी पता चलता है कि श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आई।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (पीएमजीकेआरए) के जरिए स्थानीय–स्तर पर रोज़गार सृजित करने की पहल की है। आत्मनिर्भर भारत योजना अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, जीवंत जनसांख्यिकी और महिलाओं समेत युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने की मांग पर आधारित है। पीएमजीकेआरए के तहत सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं ताकि शहरों से लौटे प्रवासी मज़दूरों के लिए स्थानीय–स्तर पर रोज़गार के अवसर विशेष रूप से बढ़ें। मिशन मोड पर चलाई जा रही इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने महिलाओं समेत करीब 50 लाख रेहड़ी–पटरी–फेरी वालों को बिना ज़मानत दिए अपना कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण एक साल के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का भी शुभारंभ किया है ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें।

गिग अर्थव्यवस्था में अवसर

बीते कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में महिलाएं रोज़गार और नौकरी के लिए शहरी इलाकों में आ रही हैं। 2001 में 47 प्रतिशत महिलाएं रोज़गार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में आई थीं और 2011 में यह आंकड़ा बढ़ कर 58 प्रतिशत हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि उच्चतर महत्वाकांक्षाओं वाली और रोज़गार बाज़ार के अनुकूल नए कौशलों से संपन्न युवा महिलाएं पारंपरिक लैंगिक वर्जनाओं से ऊपर उठकर काम की तलाश में बड़े शहरों में आ रही हैं। वे शहरी इलाकों में और अधिक संख्या में रोज़गार के अवसर खोज रही हैं और पा रही हैं। ऐसा गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में खासतौर पर हो रहा है जिसमें मांग पर सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफार्म के साथ–साथ अनौपचारिक क्षेत्र में आने वाले फ्री लांस काम करना, डायरेक्ट सैलिंग, ब्यूटी पार्लर और इसी तरह के कार्य भी शामिल हैं। पेशेवर कार्य करने वाली महिलाओं और अर्ध–कुशल श्रमिकों के लिए गिग इकोनॉमी, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफार्म 'गैम चेंजर' साबित हुए हैं। काम करने के लचीले नियमों की वजह से महिलाओं के लिए अपनी पारंपरिक भूमिकाओं और कार्य के बीच संतुलन बनाना बहुत आसान हो गया है। यह बात और है कि इसके लिए उन्हें जो मेहनताना मिलता है, उससे वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। आज बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी गिग कर्मियों को रखना ज़्यादा फायदेमंद मानती हैं क्योंकि इससे एक तो श्रम पर लागत कम आती है और वांछित कार्य का अनुभव रखने वाली और कार्य करने को उत्सुक महिलाकर्मी आसानी से खोजी जा सकती हैं। गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली श्रमशक्ति में से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं और चूंकि ये पद न्यू इकोनॉमी का हिस्सा हैं इसलिए इनमें महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन असमानता भी कम है। लेकिन गिग इकोनॉमी से संबंधित कायदे–कानून फिलहाल अस्पष्ट से हैं। महिला श्रमिकों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार, श्रम संबंधी फायदों तक पहुंच, कराधान, सामाजिक सुरक्षा और विवाद समाधान जैसे मुद्दों को लेकर भी स्पष्टता का अभाव है।

गिग अर्थव्यवस्था के कामगारों के लिए पोर्टल

बजट में गिग अर्थव्यवस्था के बारे में की घोषणा को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "गैर–संगठित क्षेत्र के श्रमिकों–विशेष रूप से प्रवासी मज़दूरों के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रस्ताव एक ऐसा पोर्टल शुरू करने का है जिस पर नौका, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। इससे प्रवासी मज़दूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी।" उन्होंने आगे कहा, "चार श्रम संहिताओं को लागू करके हम उस प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे जिसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले हुई थी। विश्व भर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रेणी के मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा।"

सामाजिक सुरक्षा के फायदों का गिग और प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था (अनुबंधित और अस्थायी आधार पर कार्य करने वालों) के लिए विस्तार किया जाना एक अभिनव पहल है जिससे करोड़ों महिलाओं को अपनी सुविधा से काम और अपनी मर्ज़ी से उसे करने का समय तय करने के मौके मिल सकते हैं। मज़दूरी में अंतर कम करना, पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराना, डिजिटल आस्तियों तक पहुंच, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल प्लेटफार्म भारत की श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के मुख्य प्रेरक हैं। प्रस्तावित पोर्टल अनुबंधितकर्मियों, भवन और निर्माण उद्योग में काम करने वाली महिला श्रमिकों आदि के बारे में जरूरी डाटा संकलित कर सकता है जिससे विभिन्न योजनाओं का फायदा ऐसी महिलाओं तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। किए गए कार्य के आकलन संबंधी उचित उपायों से ऐसे कर्मियों, खासतौर पर महिलाओं द्वारा पूरे किए गए काम का स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सकेगा और ऐसे काम के लिए वांछित कौशलों, उसके लिए मज़दूरी संबंधी रुझानों, काम की अवधि तथा इसी तरह की अन्य सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी जिससे नियोक्ताओं और सरकार, दोनों ही को ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी जिनसे अन्य महिलाएं भी इन पदों के लिए आवेदन करने, उन्हें पाने तथा उससे बेहतर पद तक पहुंचने को प्रेरित होंगी। बजट में अप्रत्यक्ष रूप से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि महिलाएं भविष्य में उत्पन्न होने वाले काम के अवसरों के लिए अपने हुनर को बढ़ाने को भी अधिक से अधिक संख्या में तैयार होंगी और ऐसे अवसरों के डिजिटल प्लेटफार्म पर आने की अधिक संभावना है।

महिलाओं को सभी क्षेत्रों में और रात्रि पाली में काम करने की मंज़ूरी

इतना ही नहीं, महिला श्रमिकों को सभी क्षेत्रों और रात्रि पाली में काम करने की इजाज़त देने के बजट प्रस्ताव से कार्यस्थलों में लैंगिक विविधता बढ़ सकती है और विनिर्माण और इंजीनियरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। इस समय विनिर्माण, औषधि और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है। विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या 10 प्रतिशत, औषधि क्षेत्र में 19 प्रतिशत और एफएमसीजी क्षेत्र में 15 प्रतिशत ही है क्योंकि वे कारखानों में काम करने से कतराती हैं। बजट में की गई घोषणा से कंपनियों को कार्यस्थल को लेकर ऐसी नीतियां बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा जिनमें महिला श्रमिकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए ताकि वे भी कारखानों में काम करने के लिए दी गई छूट का फायदा उठा सकें। कारखानों में श्रमिक के रूप में काम करने की स्वीकृति दिए जाने के बाद बहुत जल्द ऐसे रोज़गार और अधिक संख्या में महिलाओं को मिलने लगेंगे। इससे देश में श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इसका व्यापक सामाजिक–आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा और अधिक संख्या में महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर पाएंगी।

कपड़ा और चाय उद्योग : महिलाओं के बड़े नियोक्ता

कपड़ा और चाय, ये दो ऐसे उद्योग हैं जिनमें महिला श्रमिक बड़ी तादाद में कार्य करती हैं। ये दोनों क्षेत्रों के लिए इस साल बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने बड़े निवेश वाले सात टेक्सटाइल पार्क (मेगा इनवेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों–मित्रा) और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की बजट में घोषणा की है ताकि हमारा वस्त्र उद्योग वैश्विक–स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके और बड़े पैमाने पर निवेश आकृष्ट कर सके। इससे महिलाओं के लिए रोज़गार ने नए अवसर खुले हैं। इसके अलावा, सरकार कई अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों पर भी अमल कर रही है ताकि कपड़ा क्षेत्र का समग्र विकास हो। इससे रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

अगर चाय उद्योग पर विचार करें तो चाय मज़दूरों खासतौर पर असम और पश्चिम बंगाल की महिला चाय मज़दूरों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है जो एक स्वागत योग्य कदम है। चाय बागानों में पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं की संख्या इस उद्योग में काम करने वालों का करीब 60 प्रतिशत है। इस राशि से उनके लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।

कौशल संपन्न बनाने और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

इसका उद्देश्य उपयुक्त कौशल–संपन्न लोगों को लाभप्रद काम दिलाने में मदद देना है। इस संदर्भ में उद्योगों के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण और कौशलों तक पहुंच बनाना आवश्यक है। 2030 तक देश में 9 करोड़ नौजवान श्रमशक्ति में शामिल हो जाएंगे और 2025 तक रोज़गार के 6 करोड़ अवसर डिजिटल अर्थव्यवस्था की वजह से उत्पन्न होंगे। ऐसे में भारत को युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। वक्त की ज़रूरत युवाओं के कौशलों में सुधार की है ताकि वे रोज़गार के नए अवसरों का फायदा उठाने में सक्षम हो सकें। डिजिटलीकरण हमारा भविष्य है और यह ज़रूरी है कि युवाओं के प्रशिक्षण, उन्हें कौशल–संपन्न बनाने और वर्तमान श्रमशक्ति को नए डिजिटल कौशल सिखाने जैसे कार्यों में निवेश बढ़ाकर नए अवसरों का पूरा फायदा उठाया जाए।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में उचित ही कहा है कि देश के नौजवानों के पास भरपूर कौशल हैं और उन्हें उचित दिशा देने की आवश्यकता है। इस तरह कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तमंत्री ने प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना में शिक्षोपरांत प्रशिक्षुता, स्नात्तकों के प्रशिक्षण और इंजीनियरी विषयों के डिप्लोमाधारकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री ने इसके लिए 2021–22 के बजट में 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे उद्योगों के लिए उपयुक्त कौशलों वाले प्रतिभावान नौजवानों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमारात की साझेदारी में एक पहल की जा रही है जिसके तहत कौशलयुक्त योग्यताओं की पहचान की जाएगी और उनका मूल्यांकन तथा प्रमाणन करके प्रमाणित श्रमशक्ति को रोज़गार में नियोजित किया जा सकेगा। विदेशी उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट में दोहरी डिग्री, संयुक्त डिग्री, जुड़वां डिग्री जैसी व्यवस्था के लिए विनियामक प्रणाली विकसित की जाएगी।

उद्यमियों को प्रोत्साहन

स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत मार्जिन राशि की आवश्यकता में कटौती

स्टार्टअप क्षेत्र देश के विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर कर सामने आया है और देश में हो रही डिजिटल, नवाचार तथा रोज़गार क्रांतियों में अपना योगदान कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा बढ़ाई गई है। बजट में ऐसे ऋण लेने के लिए मार्जिन राशि 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया है। इससे इन उपेक्षित वर्गों के नौजवानों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन वर्गों के लोगों को अपने उद्यम लगाने के लिए धन जुटाने में मदद मिल सकती है। इससे वे न सिर्फ 'आत्मनिर्भर' हो सकेंगे बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकेंगे। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बजट में उनके लिए कर मुक्ति (टैक्स हॉलिडे) और पूंजी लाभ से छूट का दावा कराने की समय–सीमा एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

हर साल 8 मार्च को स्त्री–पुरुष समानता को बढ़ावा देने के आह्वान पर अमल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान का मुख्य विषय **'चुनौती देने को चुनो'** है जिसके पीछे स्त्री–पुरुष असमानता और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करने, समानता लाने और महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने की चुनौती स्वीकार करके समावेशी विश्व के निर्माण का आह्वान छिपा है। हालांकि दुनिया ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश स्त्री–पुरुष समानता का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। कानूनी पाबंदियों ने विश्व की 2.7 अरब महिलाओं को रोज़गार के चयन में पुरुषों की बराबरी करने से वंचित रखा है। जिसका ही नतीजा है कि 2019 में सिर्फ 25 प्रतिशत महिलाएं ही सांसद थीं। हर तीन में से एक महिला को अब भी महिला होने के नाते हिंसा का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

घर से बाहर महिलाओं की भूमिका देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गई है और इस नए दशक में और भी अधिक अहम हो जाएगी। महिलाएं दुनिया में, खासतौर पर भारत में सतत विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी युगांतरकारी बदलाव का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच जैसी बाधाएं उनके सपने को साकार करने के मार्ग में बाधक बनती हैं और कोविड–19 महामारी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण पर और अधिक ज़ोर देना ज़रूरी है ताकि वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने की है। केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं में प्रस्तावित पहलों और निवेश से करोड़ों महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी जा सकती है; पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को महिलाओं की आसान पहुंच के दायरे में लाया जा सकता है और उन्हें कौशल संबंधी समुचित प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोज़गार की नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं; आसान ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं और अंततः उन्हें आत्मनिर्भर तथा आर्थिक दृष्टि से अपने पांवों पर खड़ा करने योग्य बनाया जा सकता है। नए भारत के अंतर्गत भी ऐसी अधिकार–संपन्न महिलाओं की परिकल्पना की गई है जो नए अवसरों का बेहतरीन फायदा उठाने के लिए उत्सुक हों।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई–मेल : ideainksreply@gmail.com

गैस ग्रिड : स्वच्छ ऊर्जा का टिकाऊ तंत्र

–अरविन्द मिश्रा

वन नेशन, वन गैस ग्रिड विज़न अर्थव्यवस्था के अलग–अलग स्तंभों के मध्य ऊर्जा उपलब्धता का टिकाऊ सेतु विकसित करने का ही एक प्रयास है। इसके अंतर्गत समुद्री और ज़मीनी मार्ग पर तैयार होने वाला पेट्रो–गैस पाइपलाइन का नेटवर्क एनर्जी कॉरिडोर की शक्ल में सामने आएगा। इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्राकृतिक गैस पर आधारित ईंधन की खपत बढ़ने के रूप में देखने को मिलेगा। इससे एक ओर सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के ज़रिए शहरों में रसोई ईंधन के रूप में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) और वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता बढ़ेगी।

किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न अभिकरणों को सक्षम बनाए रखने में आर्थिक सुधारों और नई परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्रीय बजट 2021–22 के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित कुछ हालिया परियोजनाओं में हम इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। बजट में एक ओर जहां सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर इनवर्टर और सोलर लालटेन पर आयात कर बढ़ाया गया, वहीं प्राकृतिक गैस से तैयार होने वाले ईंधन का दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ाने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इनमें शहरी गैस वितरण प्रणाली से 100 नए शहरों को जोड़ने के साथ उज्ज्वला में एक करोड़ नए हितग्राही जोड़ने का लक्ष्य प्रमुख है। स्वच्छ ऊर्जा से मानवीय जीवन को गुणवत्ता प्रदान करने से जुड़ी सरकार की इस प्रतिबद्धता में प्राकृतिक गैस सबसे अहम कारक बनकर उभरी है।

पिछले कुछ महीनों की ही बात करें तो प्राकृतिक गैस से जुड़ी दो विशाल परियोजनाएं सफलतापूर्वक परिचालन–स्तर पर आ चुकी हैं। चार जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जहां 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि–मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया, वहीं सात फरवरी को स्वयं हल्दिया पहुंचकर प्रधानमंत्री ने 347 किमी. लंबी डोभी–दुर्गापुर गैस पाइपलाइन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। प्राकृतिक गैस के सुगम परिवहन के लिए तैयार गैस पाइपलाइन से जुड़ी दोनों ही परियोजनाएं **'वन नेशन, वन गैस ग्रिड'** विज़न पर आधारित हैं। इसमें प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक ऐसा ग्रिड विकसित करने का लक्ष्य है जो पूरे देश में ऊर्जा का लोकतांत्रिक वितरण सुनिश्चित करे।

भारत के संदर्भ में प्राकृतिक गैस की उपयोगिता को इस तथ्य से समझा जा सकता हैं कि यहां ऊर्जा की मांग 4.2 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। ऊर्जा की खपत के मामले में हम दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, उस प्राकृतिक गैस के उपयोग में काफी पीछे हैं, जो कोयला आधारित जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले न सिर्फ लागत सक्षम है बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की खपत का अनुपात महज 6.2 प्रतिशत है, जबकि इसका वैश्विक औसत लगभग 24 प्रतिशत है। केंद्र सरकार का लक्ष्य हमारी कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की भागीदारी 2030 तक 15 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाने की है। जाहिर है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ानी होगी। मौजूदा समय में घरेलू ईंधन के अलावा परिवहन, फर्टिलाइज़र कारखानों, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है, लेकिन यह अनुपात काफी कम है।

वन नेशन, वन गैस ग्रिड विज़न अर्थव्यवस्था के अलग–अलग स्तंभों के मध्य ऊर्जा उपलब्धता का टिकाऊ सेतु विकसित करने

प्रमुख पहल

- 8 करोड़ परिवारों को लाभ देने वाली उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा
- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक गैस पाईपलाइन परियोजना शुरु की जाएगी
- एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर की स्थापना की जाएगी

UNION BUDGET 2021-22

बिजली अवसंरचना

- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन बनाने के लिए 2021–22 में व्यापक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन (राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा अभियान) को शुरू किया गया।
- उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनियों में चुनाव करने का विकल्प देने के लिए प्रतिस्पर्धी रूपरेखा
- शोधित सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए 3,05,984 करोड़ रुपये की योजना शुरू होगी
- पिछले छह वर्षों में बिजली क्षेत्र में 139 गीगावॉट स्थापित क्षमता को जोड़ा गया और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाई गई है; अतिरिक्त 2.8 करोड़ परिवारों को कनेक्शन मिला है।

का ही एक प्रयास है। इसके अंतर्गत समुद्री और ज़मीनी मार्ग पर तैयार होने वाला पेट्रो–गैस पाइपलाइन का नेटवर्क एनर्जी कॉरिडोर की शक्ल में सामने आएगा। इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्राकृतिक गैस पर आधारित ईंधन की खपत बढ़ने के रूप में देखने को मिलेगा। इससे एक ओर सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के ज़रिए शहरों में रसोई ईंधन के रूप में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) और वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं उज्ज्वला जैसी सामाजिक योजनाओं का दायरा बढ़ाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा।

पाइपलाइन के जरिए रसोईं तक पहुंचने वाली पीएनजी की ही बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले यह न सिर्फ सस्ती है बल्कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने के बाद इसकी उपलब्धता आसान रहती है। रसोई ईंधन के लिए एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था ग्राहकों के लिए महंगी और श्रम साध्य है। कोरोना जैसे स्वास्थ्य संकट ने सिलेंडरों की आपूर्ति की परंपरागत व्यवस्था में बदलाव की प्रासंगिकता को और प्रबल कर दिया है। वहीं पीएनजी की तरह ही परिवहन के लिए सीएनजी की बढ़ती जरुरत को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति देश के कोने–कोने तक बढ़ानी होगी।

ठीक इसी तरह प्राकृतिक गैस हमारी उन औद्योगिक विनिर्माण इकाईयों के लिए वरदान बनेगी जिनके लिए ऊर्जा उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम उद्योग जगत को प्राकृतिक गैस के रूप में समावेशी ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो वह प्रत्यक्ष रूप से 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मज़बूती प्रदान करेगा।

एक देश, एक गैस ग्रिड विजन पर आधारित कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वी भारत को सेंट्रल नेचुरल गैस पाइपलाइन कॉरिडोर से जोड़ेगी। इसमें जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा गैस पाइपलाइन को शामिल किया गया है। इसी तरह दक्षिण भारत में 6,250 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1450 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन पर कार्य प्रगति पर है। अब तक ऊर्जा परियोजनाओं में अनदेखी का दंश झेल रहे पूर्वोत्तर की वन नेशन, वन गैस ग्रिड में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य एक देश, एक गैस ग्रिड से समानांतर रूप से जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। यही नहीं बजट में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जम्मू–कश्मीर को भी गैस पाइपलाइन परियोजना से जोड़ने की घोषणा कर इस क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया है।

हालांकि गैस ग्रिड के ज़रिए अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस आधारित ईंधन की खपत बढ़ाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। प्राकृतिक गैस से जुड़ा कारोबारी वातावरण सुधारना इसकी पहली शर्त है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वह आह्वान प्रासंगिक हो जाता है, जिसमें उन्होंने

- 100 नए शहर शहरी गैस वितरण प्रणाली से जुड़ेंगे।
- एक करोड़ नए हितग्राही उज्जवला योजना से जुड़ेंगे।
- जम्मू को गैस पाइपलाइन परियोजना से जोड़ने की घोषणा।
- बजट में स्वतंत्र गैस सिस्टम की स्थापना की घोषणा।
- गैस–आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाने की घोषणा।
- 2030 तक प्राकृतिक गैस की खपत 15 प्रतिशत के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य।
- 34,500 किमी लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम प्रगति पर।
- अगले कुछ वर्षों में 10 हजार सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे।
- 347 किमी लंबी डोभी–दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का परिचालन शुरू।
- 450 किमी. लंबी कोच्चि–मंगलुरू गैस पाइपलाइन का परिचालन शुरू।
- 4.2 प्रतिशत वार्षिक–दर से बढ़ रही है ऊर्जा की खपत।

स्वच्छ हवा

एक मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निबटने के लिए 2,217 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

स्क्रेपिंग नीति

पुराने और अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रेपिंग नीति

15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों और 20 साल पुराने निजी वाहनों ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस टेस्ट की सुविधा

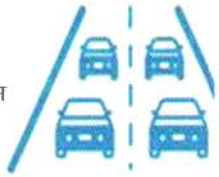

प्राकृतिक गैस से जुड़े सभी साझेधारकों, चाहे वह केंद्र और राज्य की एजेंसियां हों या फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ उपभोक्ता, सभी से एक दिशा में आगे बढ़ने की अपील कर चुके हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं कि वन नेशन, वन गैस ग्रिड का विज़न प्राकृतिक गैस पर आधारित बुनियादी परियोजनाओं के विस्तार पर निर्भर करेगा। एक अनुमान के मुताबिक 2014 तक जहां देश भर में 938 सीएनजी स्टेशन थे, वहीं पिछले वर्ष तक ये आंकड़ा 2,300 हो गया है। सरकार अगले कुछ वर्षों में देशभर में लगभग दस हजार सीएनजी स्टेशन का नेटवर्क खड़ा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन मोर्चे पर हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले से अच्छी ख़बर सामने आई है। यहां स्थित तेल रिज़र्व से नेचुरल गैस का उत्पादन शुरू हो गया है।

लगभग 34,500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना एक ओर जहां कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को संजीवनी प्रदान कर रही है, वहीं स्वच्छ ऊर्जा का यह टिकाऊ तंत्र बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ छोटे और मझोले उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा। स्वच्छ ऊर्जा की इस उपलब्धता प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव न हो, इस उद्देश्य से बजट में एक स्वतंत्र गैस सिस्टम की स्थापना का कदम भी स्वागत योग्य है। आखिरकार इसका सबसे बड़ा लाभ 'लोकल फॉर वोकल' जैसे अभियान को मिलेगा। अर्थात, गैस–आधारित अर्थव्यवस्था का यह उपक्रम निश्चित रूप से हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन को ऊर्जामयी बनाने वाला सबसे सुंदर घटक साबित होगा।

(लेखक ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : arvindmbj@gmail.com

फॉर्म-IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका का स्वामित्व तथा अन्य विवरण

(1) प्रकाशन का स्थान	:	नई दिल्ली
(2) प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
(3) मुद्रक का नाम	:	मोनीदीपा मुखर्जी
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003
(4) प्रकाशक का नाम	:	मोनीदीपा मुखर्जी
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003
(5) संपादक का नाम	:	ललिता खुराना
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 655 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003
(6) उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/ हिस्सेदार हों	:	सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली-110001

मैं मोनीदीपा मुखर्जी एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

मोनीदीपा मुखर्जी

दिनांक : 05.02.2021

(मोनीदीपा मुखर्जी)
प्रकाशक

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 मार्च, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 मार्च, 2021 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब उपलब्ध है...

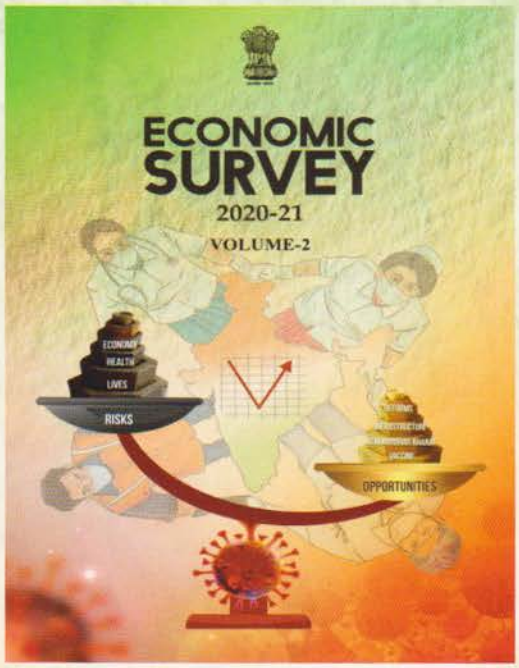

इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 (अंग्रेजी संस्करण)
खंड-1 और 2

भारत के आर्थिक विकास की गहन समीक्षा से युक्त
इस पुस्तक में देश के औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण इत्यादि
सभी क्षेत्रों के विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े दिए गए हैं।

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता के पास
अपनी प्रति सुरक्षित कराएं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ट्विटर पर फॉलो करें @DPD_India

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना